Page No 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ८] तृतीय विधान सभा के अष्टम् सत्र, १९६५ का १० वां दिवस [संख्या १२

शुक्रवार दिनांक ८ अक्टूबर, १९६५

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बज कर ५ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[शिक्षा, गृह, कृषि, वन, श्रम, नियुक्ति, मंत्रि-मंडल, आयुर्वेद, सिंचाई, पशु-पालन एवं खाद्य-विभाग]

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। श्री पोहूमल!

स्कूल व कालेजों का राष्ट्रीयकरण

२८९. **श्री पोहूमल ईसरदास** (अजमेर सिटी, पश्चिम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार की यह योजना है कि राजस्थान में एडेड स्कूल व कॉलेजों का राष्ट्रीयकरण किया जाय? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों?

(२) क्या सरकार को विदित है कि प्राइवेट स्कूल व कालेज विद्यार्थियों से मनमाने ढंग से फीस वसूल करते हैं?

(३) क्या सरकार को विदित है कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने प्राइवेट स्कूल व कॉलेजों का राष्ट्रीयकरण करने की घोषणा की है?

शिक्षा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा): (१) जी नहीं। गैर सरकारी स्वसंचालित एजेंसियों को शिक्षण संस्थाएं चलाने के लिए उत्साहित करना है, यदि उनमें इनको भली प्रकार चलाने की क्षमता है।

(२) प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं सरकारी शिक्षण संस्थाओं में निर्धारित फीस से कम फीस नहीं ले सकती हैं। सरकार द्वारा स्वीकृत फीस से अधिक फीस प्राइवेट संस्थाएं अपने शिक्षा स्तर के अनुसार ले सकती हैं।

(३) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री पोहूमल ईसरदास: क्या मंत्री महोदय कृपा करके बतायेंगे कि जितने भी एस० टी० सी० के टीचिंग स्कूलस हैं वह हर एक छात्र से दाखिले के वक्त कोई से ढाई सौ, कोई से डेढ सौ रुपये लेते हैं और बिल्डिंग के लिए लिया ऐसा रसीद पर लिख देते हैं। आदर्श महाविद्यालय मल्टी पर्पज स्कूल है, उसमें सौलह सौ विद्यार्थी शिक्षा लेते हैं उनसे दससे पचास रुपये तक लिए जाते हैं, क्या यह सही है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा: जी नहीं।

श्री पोहूमल ईसरदास: अगर इसका सबूत दिया जाय तो क्या मंत्री महोदय उसकी जांच कराने को तैयार हैं?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अगर लिखित रूप में स्पेसिफीक इन्सटान्स सामने आयेगा तो जांच कराई जायगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स का टीचिंग स्टेन्डर्ड क्या है और उनमें छात्रों से कितनी फीस लेते हैं. क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई सर्वे कराई है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह अलग से प्रश्न है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्रश्न बिल्कुल इसके साथ है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या राज्य सरकार............

श्री बृजसुन्दर शर्मा: ऐसी कोई सर्वे होना मेरी नोलेज में नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के पास कम्प्लेन्ट आई हैं कि जो यह प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स हैं वे छात्रों से हेवी फीस लेती हैं और इनका टीचिंग स्टेन्डर्ड ठीक नही हैं? क्या सरकार के पास ऐसी कम्प्लेन्ट्स आई हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा: ऐसी कम्प्लेन्ट आने का मुझे ज्ञान नहीं हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या राज्य सरकार इससे भिज्ञ है कि प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स में, और विशेष तौर पर बच्चों के स्कूल में, जो एडेड इन्स्टीट्यूशन्स हैं, मनमाने ढंग से दस रुपये, बारह रुपये, पन्द्रह रुपये फीस वसूल की जाती है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अपनी शिक्षा के स्तर के अनुसार, जो प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स हैं, वह फीस लेती हैं और जो फीस दे सकता है वह अपने बच्चों को पढ़ाता है। कोई गरीब आदमी नहीं पढ़ा सकता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप कहते हैं कि शिक्षा के स्तर के बारे में सर्वे नहीं करवाई है तो इस चीज के लिए कैसे प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स को अलाऊ कर दिया ? कोई इन्स्टीट्यूशन्स अपनी शिक्षा का स्टेन्डर्ड डिक्लेअर करके मनमानी फीस ले लें ?

श्री बृजसन्दर शर्मा : मनमानी फीस लेने का सवाल नहीं है। उन्हें फीस को एप्रूव कराना पड़ता है कि वह इतनी लेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या सरकार ने रिजल्ट्स की सर्वे कराई है कि प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स से बैठने वाले स्टूडेंट्स का रिजल्ट अच्छा रहता है, जिसके आधार पर आपने उनको खुली छूट दे दी है कि जितनी मर्जी आये उतनी फीस ले लें ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : खुली छूट नहीं है क्योंकि जितनी फीस ली जाती है और जो एक्सपेंडीचर होता है उसके अनुसार ही एड में उनको रुपया दिया जाता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या यह सही है कि नियमानुसार एडेड स्कूल्स, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में फीस की रेट्स हैं, उससे अधिक फीस चार्ज नही कर सकती ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है कि ज्यादा फीस चार्ज कर सकते हैं।

Page No 3

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या यह सही है कि सरकारी आदेश जो सरकारी स्कूलों को दिये जाते हैं उनका एडेड इन्स्टीट्यूशन्स को भी पालन करना पड़ता है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : समझ में नहीं आया।

श्री मुरलीधर व्यास : जैसे स्वर्णकार के बच्चों से फीस लेने के सम्बन्ध में गवर्नमेंट के आदेश हैं कि इनकी फीस माफ है। लेकिन इसको एडेड इन्स्टीट्यूशन्स नहीं मानती हैं। जब एडेड इन्स्टीट्यूशन्स हैं उनको इन मामलों के कारण ज्यादा एड मिलती है तो उन्हें गवर्नमेंट के आदेशों का पालन करना चाहिए ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां तक मुझे यूनिवर्सिटी का पता है, यूनिवर्सिटी के सामने यह सवाल उठा था, जो एग्जेम्पशन सरकार ने दे रखा है वह यूनिवर्सिटी भी दे। वह एग्जेम्पशन राजस्थान यूनिवर्सिटी अब तक नहीं दे रही थी, अब उसने किया है और वह एग्जेम्पशन देगी। मैं समझता हूँ, प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स के बारे में जब यह चीज आयेगी तो ज्यादा ग्रान्ट-इन-एड मिलेगी जिससे उसको अकाउन्ट फोर कर सकें।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या यह सही है कि बच्चों की जो प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स हैं उनका स्तर सरकारी स्कूलों से अच्छा है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कुछ का हो सकता है, कुछ का नही हो सकता।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : आपने पिछली बार कहा था, जब मैंने पब्लिक स्कूलों का सवाल उठाया था कि सरकार डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहती है। अब सरकार सरकारी और पब्लिक स्कूलों में क्यों डिस्क्रिमिनेशन रख रही है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आपने सादुल पब्लिक स्कूल के बारे में पूछा था कि उसका जितना खर्चा होता है और जितने लड़के पढ़ते हैं, उसके अनुपात में उसे ज्यादा एड मिलना मालूम पड़ता है और ज्यादा फीस देने से ही उसमें लड़के भर्ती हो सकते हैं। मेरी भावना यह थी कि एड हमें डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पर नहीं बल्कि सलेक्टिव बेसिस पर ही देनी है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : सैंट जेवियर स्कूल है उसको अधिक एड क्यों दी जाती है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह मामला सरकार के विचाराधीन है। आप कहें और आपका यह विचार हो तो बन्द कर दी जायगी।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह बच्चों के स्कूल का मामला है।

श्री पोहूमल ईशरदास : क्या यह सही है कि हर एक बच्चे से स्कूल में १.२५ और १.५० एक्टीविटीज़ फीस ली जाती है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : एक्टीविटीज़ फीस नहीं, बच्चों के फण्ड के लिए लिया जाता है जिसमें गेम्स फीस शामिल है और वह बच्चों के लिए यूटीलाइजेशन में आती है और उनकी एक्टीविटीज के काम में आती है। उसके अलावा उसे खर्च नहीं कर सकते।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या यह सही है कि प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स में ज्यादा फीस एलाउ करते हैं और इसीलिए एड देते हैं कि

Page No 4

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
गवर्नमेंट इन्स्टीट्यूशन्स में विद्यार्थियों के लिए सफीशियेन्ट वेकेन्सीज नहीं हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यही तो हो रहा है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : गवर्नमेंट स्कूल्स में रश कम रखने की वजह है, दूसरी दृष्टि यह है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो सेंट पर्सेन्ट खर्च होता है, उससे कम में वह काम चला लें इसीलिए ग्रान्ट-इन-एड देनी पड़ती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस स्थिति में राज्य सरकार का निश्चित रूप से कर्त्तव्य नहीं हो जाता है कि ऐडेड और प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स हैं उनकी पूरी तरह से सर्वे कराये और देखे कि गवर्नमेंट स्कूल में क्योंकि वेकेन्सी नहीं हो तो कहीं यह प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स वाले लड़कों को एक्सप्लोइट तो नहीं कर रहे हैं। वस्तु स्थिति यह है कि बहुत से लोग इस तरह की इन्स्टीट्यूशन्स खोल कर बैठे हैं, उन्होंने बिल्डिंग क्रियेट कर ली है और उनका स्टेन्डर्ड भी अच्छा नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां तक माननीय सदस्य का कहना है कि वे एक्सप्लोइटेशन करते हैं, ये एक्सप्लोइटेशन जरूर करते हैं। इसके लिए सरकार विचार कर रही है कि इसको कैसे रोका जावे और उनके ग्रान्ट-इन-एड में क्या तब्दीलियां कर दी जावें, यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, उप शिक्षा मंत्री ने पिछले सत्र में इस सम्बन्ध में निजि शिक्षण संस्थाओं के बारे में अगले सत्र में एक विधेयक पेश करने के लिए कहा था कि वे एक विधेयक पेश करेंगे। मैं यह जानना चाहता हूँ कि वह विधेयक कब पेश होगा, इसी सत्र में होगा या नहीं और नहीं होगा तो क्यों और कब तक पेश करेंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ऐसा है कि मोडल बिल है जो सरकार के विचाराधीन है। वह यूनिवर्सिटी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया से आ चुका है। उस पर विचार कर रहे हैं। इसलिये पहले यूनिवर्सिटी के लिए करने के बाद में इसको हाथ में लेंगे।

श्री मानिकचंद सुराणा : क्या यह आपके प्राइमरी एज्यूकेशन फ्री और कम्पलसरी शिक्षा के सिद्धान्त के विपरीत नहीं है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसमें प्राइमरी एज्यूकेशन फ्री और कम्पलसरी का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : कक्षा १, २, ३ और ४ की स्कूलें जो भी आपके द्वारा एडेड हैं उनमें ५), ७) और १०) रुपये की फीस रखी है। हमने प्राइमरी एज्यूकेशन फ्री और कम्पलसरी रखी है। क्या यह हमारी उस योजना के विपरीत नहीं है ? क्या ऐसी संस्थाएं इस योजना के विपरीत काम नहीं कर रही हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह विपरीत कार्य नहीं है। जो बड़े आदमी हैं और जो अपने बच्चों को दूसरे इन्स्टीट्यूशन्स में पढ़ने के लिये भेजते हैं वे भेज सकते हैं। उनको पसन्द नहीं है कि उनके बच्चे जमीन पर हमारी स्कूलों में बैठ कर पढ़ें। इसलिये जो ज्यादा पैसे वाले लोग हैं वे अपने बच्चों को पढ़ने के लिये भेजते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या यह सही है कि प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स गैस पेपर्स छाप

Page No 5

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
कर बच्चों की स्टडी और उनके फ्यूचर केरियर को बिल्कुल रुइन कर देते हैं। इसलिये ऐसे इन्स्टीट्यूशन्स को समाप्त किया जावे। गैस पेपर्स वगैरह से लड़के अपनी स्टडी ठीक तरह से नहीं करते हैं और अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते हैं। क्या यह सरकार की जानकारी में है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : गैस पेपर्स को छपाने की घटना किसी एडेड इन्स्टीट्यूशन की मेरे ध्यान में नहीं आई।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : रावत कॉलेज और कपूर कॉलेज के सम्बन्ध में गैस पेपर्स का प्रश्न इसी सदन में उठा था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ये जो इस प्रकार के प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स हैं जैसे रावत कॉलेज, कपूर कॉलेज; they are not regulated by law, they are not aided by Government and Government has no control over them. इसके लिये हमारी बराबर यही डिमान्ड है कि इनके लिये भी कोई रूल्स लाये जावें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जिस प्रकार का काम ये इन्स्टीट्यूशन कर रहे हैं उससे स्टूडेन्ट्स का सारा फ्यूचर केरियर बरबाद हो जाता है और वे गैस पेपर्स आदि पर निर्भर रहते हैं। उनकी फाउन्डेशन कमजोर रह जाती है और उनका फ्यूचर बरबाद हो जाता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, एक बहुत जरूरी प्रश्न है। मंत्रीजी ने अभी बड़े आदमियों की बात कही। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे संविधान में बड़े और छोटों के लिये कोई फर्क नहीं है। प्राइमरी एज्यूकेशन फ्री और कम्पल्सरी होगी वह सब के लिये होगी। आपने बड़े और छोटों की बात कही…………

श्री बृजसुन्दर शर्मा : बड़े और छोटों से पैसे वाले और गरीब से मतलब है।

श्री रामकिशन : यह आप किस तरह का जवाब दे रहे हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अगर पैसे वाले हमारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ने के लिये भेजें तो उनका स्वागत है; मगर वे हमारी स्कूलों में बच्चों को नहीं भेज कर दूसरी जगह भेजते हैं, उनकी प्रवृत्ति ऐसी है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : आप उनको विश्वास में लेकर उनकी प्रवृत्ति को चेन्ज करिये।

श्री रामकिशन : आप इस तरह का जवाब कैसे दे रहे हैं समझ में नहीं आता। जब सरकार ने एक नीति बनाई है और जब सरकार की नीति बन चुकी है तो फिर इस प्रकार का उत्तर आप कैसे दे रहे हैं? बड़े आदमियों के बच्चों के लिये प्राइमरी एज्यूकेशन कम्पल्सरी और फ्री नहीं है क्या? क्या यह बात सही है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो इस प्रकार की शिक्षण संस्थाएं हैं वे नये शिक्षण प्रयोग करती हैं और उसके लिये इस तरह से फीस लगाती हैं। जो बच्चों को पढ़ाने की योजना बनाई है वे एक्सपेरिमेन्ट करते हैं। इसमें कुछ खर्चा ज्यादा होता है इसलिये उनको सुविधाएं हैं। वे दो या चार रुपया बेसी लेते

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

हैं तो कोई बात नहीं है। जो खर्चा दे सकते हैं उनके बच्चे उन शिक्षण संस्थाओं में पढ़ते हैं। हमारे यहां सरकारी स्कूलें हैं उसमें आकर अगर उनके बच्चे पढ़ें तो कोई बात नहीं है। अभी मोन्टेसरी सिस्टम या दूसरे तरीकों से शिक्षण देते हैं..........

एक माननीय सदस्य : जब पैसे वाले चलाते हैं तो गवर्नमेंट किस बात की एड देती है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : नये नये एक्सपेरीमेन्ट वे लोग शिक्षण में करते हैं, उसके लिये उनको गवर्नमेंट एड मिलती है।

एक माननीय सदस्य : इसमें क्या फायदा होता है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : चार गुना खर्चा इससे ज्यादा.......

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

एस. डी. ओ. राजगढ़ के विरुद्ध शिकायत

२९०. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जुलाई के आखरी सप्ताह या अगस्त, १९६३ के प्रथम सप्ताह में सर्किल इन्सपेक्टर, श्री भोखाराम के नेतृत्व में पुलिस के एक दल ने छापा मार कर हिसार के एक होटल से राजगढ़ के इश्तहारी मुल्जिम चौधरी दीपचन्द को गिरफ्तार किया ?

(२) यदि हां, तो क्या यह सही है कि छापे के समय इश्तहारी मुल्जिम चौधरी दीपचन्द राजगढ़ के एस० डी० ओ० श्री पगोरिया के साथ खाना खा रहा था।

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त घटना के करीब एक सप्ताह पूर्व, दीपचन्द के कथित गुट के लोगों ने श्री पगोरिया पर हमला किया था जब कि वे रिक्शा पर रेल्वे स्टेशन से घर जा रहे थे तथा इस सिलसिले में काफी लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और उसमें राजगढ़ पंचायत समिति के कुछ सरपंच भी शामिल थे ?

(४) क्या यह सही है कि उपरोक्त घटना के बाद श्री पगोरियां द्वारा अपनी जान के खतरे की सूचना पुलिस में देने पर उनके निवास स्थान पर सशस्त्र पहरा भी बैठा दिया गया था ?

(५) क्या यह सही है कि करीब २ अगस्त को पुलिस को यह सूचना मिली कि श्री पगोरिया राजगढ़ पंचायत समिति के किसी सरपंच की मारफत दीपचन्द से समझौते की बात कर रहे हैं ?

(६) क्या यह सही है कि राजगढ़ पुलिस के उच्च अधिकारियों ने इश्तिहारी मुल्जिम को आश्रय देने के अभियोग में श्री पगोरिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी ?

(७) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा आज्ञा दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) :

(१) जी हां, श्री दीपचन्द को दिनांक २-८-६३ को रात को ९ बज कर ४५ मिनट पर गिरफ्तार किया था।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

(२) ये दोनों खाना खा नहीं रहे थे अपितु खाना खाने की तैयारी में अवश्य थे।

(३) ता० १८-७-६३ को दीपचन्द के गुट के ५ व्यक्तियों ने श्री एस० सी० पगोरिया पर घातक हमला किया था। इस सम्बन्ध में मुल्जिमान श्री फतेसिंह व मुन्शीलाल को १८-७-६३ को, दुलीचन्द को १९-७-६३ को पीथा को २३-७-६३ को तथा ओमप्रकाश को २६-७-६३ को गिरफ्तार किया गया था। इसमें राजगढ़ पंचायत समिति के सरपंच कोई भी नहीं थे।

(४) जी हां, ता० २०-७-६३ से एक सशस्त्र गार्ड उनके निवास स्थान पर लगाई गई थी।

(५) दि० २-८-६३ को केवल यही सूचना मिली थी कि श्री पगोरिया श्री दीपचंद से समझौता करने के लिये उससे मिलने हिसार जा रहे हैं। किसी सरपंच की मारफत बातचीत करने की सूचना मिली थी।

(६) जी नहीं।

(७) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने यहां पर इन सारी चीजों को स्वीकार किया है और यह साबित हो गया कि पगोरिया ने मुल्जिमान को प्रोटेक्शन दिया और उनसे बात चीत की थी, उसके बाद क्या कारण है कि एस० पी० ने उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये और मुकदमा चलाने के लिये सेंक्शन क्यों नहीं मांगी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उनके खिलाफ डी० ई० आरम्भ है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : डी० आई० आर० से क्या सम्बन्ध है। जब उन्होंने मुल्जिम को प्रोटेक्शन दिया यह जाहिर हो गया तो एस० पी० ने खुद ने चार्ज चाक आउट करके उसके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : डी० ई० आरम्भ है इसलिए यह प्रश्न अब मुल्तबी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: डी० ई० तब की जाती है जब किसी के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन मुद्दमल हो या यह ख्याल हो कि वह सफल नहीं होगा। यह तो क्लीयर कट क्रिमिनल केस है। एस० डी० ओ० साहब क्राइम को छिपाते रहे हैं और उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन नहीं।

श्री निरंजननाथ आचार्य: क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन में एवीडेन्स को तोलना आवश्यक है। हम यह नहीं चाहते कि क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन आरम्भ करें और उसका कोई नतीजा नहीं निकले। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कि प्रोसीक्यूशन सफल हो या नहीं ? इसलिए डी० ई० समाप्त होने पर ही एवीडेन्स का मूल्यांकन कर सकेंगे और जो प्रश्न माननीय सदस्य का है वह उस समय विचाराधीन किया जा सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि डी० ई० उसी प्रकार के मामलों में की जाती है जिनमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़, ओमीशन, कमीशन ऑफीशियल ड्यूटीज़ के दौरान में हुई हों, उन सारे एलीगेशन्स के बारे में डी० ई० की जाती है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: यह सही है और सही नहीं भी है। दोनों के आधार पर

Page No 8

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

डी० ई० से हमको मदद मिलती है। एवीडेन्स छिपी हुई हो, लिक्ड (Linked) नहीं हो तो वह संगठित हो जाय तो उससे प्रोसीक्यूशन को आगे चलकर मदद मिल सकती है। दोनों ही साथ साथ चल सकती हैं, दोनों अलग भी चल सकती हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरे सवाल का जवाब आपने दिया है और नहीं भी दिया है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : आप डिप्टी मिनिस्टर भी हैं और नहीं भी हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें इश्तहारी मुल्जिम को प्रोटेक्शन देने का सवाल है। एस० डी० ओ० ने ऑफीशियल ड्यूटीज़ के डिस्चार्ज में कोई गलती की हो तो डी० ई० का सवाल खड़ा हो सकता है, लेकिन यह तो क्रिमिनल ऑफेन्स है। इसलिए इस ऑस्पेक्ट को एग्ज़ामिन करने के बाद जो माननीय सदस्य ने सवाल उठाया है उस सम्बन्ध में विचार किया जाय।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऑफीशियल ड्यूटीज का सवाल नहीं है। हिसार जाना सशंकित वातावरण में और छुट्टी लेकर न जाना, इस आधार पर से डी० ई० चल रही है। दूसरा प्रश्न है, आप सारे प्रोसीक्यूशन के सम्बन्ध में मुझसे विश्लेषण कराते हैं जो उचित नहीं है। मैंने नॉन कमिटल तरीके में निवेदन किया है। डी० ई० समाप्त होने के बाद इस प्रश्न पर विचार किया जायगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : क्या यह सही है कि इस अधिकारी के खिलाफ या सदन में इससे पहले भी कई शिकायतें पहुंची और जैसे आपने माना है जनता से उसको प्रोटेक्शन के लिए वहां पुलिस लगानी पड़ी और उसके बाद इस तरह से ऑफेन्डर के साथ होने का उस पर एलीगेशन लगाया जाय तो यह ऑफेन्स बनता है ? पुलिस एक्सपर्ट है एवीडेन्स इकट्ठा करने में, डी० ई० वाले डिपार्टमेंट के कामों में एक्सपर्ट्स हो सकते हैं। पुलिस के एक्सपर्ट्स या एस० पी० ने ऑफेन्स को ढूंढकर क्यों नहीं केस रजिस्टर किया, उससे सरकार का क्या बिगड़ता था ? इस डी० ई० को एक साल का अर्सा हो गया और अभी यह इन्क्वायरी खतम नहीं हुई। डी० ई० में क्या दिक्कतें आ रही हैं कि ऐसे ऑफेन्सेज़ को इतने अर्से तक रखा गया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस अधिकारी के विरुद्ध पहले कोई सदन में बात हुई हो, ऐसा मेरी स्मृति में नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि जनता से प्रोटेक्शन के लिए उसकी कोठी पर पुलिस लगाई गई।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने निवेदन किया कि प्रोटेक्शन इसलिए उसने सीक की कि उसको जीवन का खतरा था और इनकी पिटाई भी की गई थी; ३०७ ता० हि० का एक मुकदमा आरम्भ भी हुआ और फिर यह उचित समझा गया कि सशस्त्र पुलिस तैनात को जाय। मैंने एविडेन्स के सम्बन्ध में निवेदन किया कि प्रत्यक्ष में एवीडेन्स से ऐसा आभास मिलता है कि वह हिसार में खाना खाने की तैयारी में बैठा और वह प्रोक्लेम्ड ऑफेन्डर के साथ था। ये सारी बातें हैं जिनको डी० ई० समाप्त होने पर है किया जा सकता है। डिफेन्स का आधार क्या है, मैं नहीं कह सकता क्योंकि डी० ई० चल रही है और वह प्रेजुडिस न हो। किन्तु मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि डी० ई० जल्दी से जल्दी समाप्त होगी; पुलिस विभाग का पूरा पूरा सहयोग है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या आपने उस ऑफिसर को सस्पेंड किया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : नहीं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी को न केवल सस्पेंड ही किया गया बल्कि उसको ओन डेप्यूटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में भेजा गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह मेरी जानकारी में नहीं है कि वह सेंट्रल गवर्नमेंट में चला गया ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जब सरकार के पास एवीडेंस है कि वह हिसार गया, बगैर छुट्टी लिये गया, तो फिर क्या वजह है कि उसको सस्पेंड भी नहीं किया गया ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : सस्पेन्शन का प्रश्न विचारणीय है; मैं इसको एनेलाइज करूंगा । जो कुछ भी आगे इस सम्बन्ध में उचित होगा वह किया जायगा, ऐसा विश्वास दिला सकता हूँ ।

श्री अध्यक्ष : विभागीय जांच किस स्तर पर है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : एवीडेन्स प्रोड्यूस हो चुकी है और डी० ई० मध्य में है :

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह सीरियस बात है; आप कहते हैं कि मध्य में है। इसका मतलब डेढ़ साल हो गया और डेढ़ साल और लगेगा । यह तो बताइए कि अब आप किस जगह पहुंचे हैं । एवीडेन्स तो एक दिन में खत्म हो सकती है। अब और कितना समय लगेगा ? मध्य में है या शुरू हुआ है, आखिर इसका अन्त कब होगा ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपका शायद ख्याल हो कि डी० ई० हमारे मारफत हो रही है, ऐसा नहीं है । उसका अलग विभाग है । हमसे इतना ही हो सकता है कि जो एवीडेन्स हो उसको जल्दी से जल्दी प्रोड्यूस करा दें और यह एस० डी० ओ० का मामला है जिसमें हमारा संबंध बैठता नहीं है । अब प्रौसीक्यूशन गवाह डी० ई० में एग्ज़ामिन हो रहे हैं । मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं कि जहां तक पुलिस विभाग का संबंध है हमारे गवाह जल्दी से जल्दी प्रोड्यूस किए जा सकेंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या डी. ई. के कारण पुलिस विभाग किसी व्यक्ति के खिलाफ एफ. आइ. आर. दर्ज नहीं करता ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : पुलिस चाहे तो साइमल्टेनियसली कर सकती है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो इस पर्टीक्यूलर मामले में क्यों नहीं किया गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने बार-बार निवेदन किया है । क्योंकि डी. ई. खुल चुकी है, एवीडेन्स पेश की जा रही हैं इसलिए तफतीश के हित में हम उचित नहीं समझते हैं कि साइमल्टेनियसली प्रोसीक्यूशन भी आरंभ कर दें । अगर हम समझें कि प्राइमाफेसी एवीडेन्स है; डी. ई. के आधार पर कन्सोलीडेटेड एवीडेन्स का आभास मिल जायगा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आभास का प्रश्न नहीं है । प्रश्न यह है कि जब प्राइमाफेसी यह एस्टेब्लिश हो गया कि उसने क्रिमिनल ऑफेन्स कमिट किया है, प्रोक्लेम्ड ऑफेन्डर को प्रोटेक्शन देकर, वैसे उसने एक ऑफेंस

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
नहीं किया, दो-तीन ग्राफेन्सेज़ किए हैं। इसी दीपचन्द की उसी दिन कुर्की निकली मकान की जिस दिन वह हिसार में मिलता है। ३५-३५ हजार की जमानत बड़ी-बड़ी ग्रासामियों की लीं, उसको कोग्रर्स करने के लिए उनसे लीं, उसके बाद समझौता करने की कोशिश की। जब प्राइमाफेसी ग्रॉफेन्स कमिट हो गया तो एस. डी. ग्रो. कौनसा प्रिविलेज्ड ग्रादमी है, एस. पी. ने एफ. ग्राई. ग्रार. तक दर्ज नहीं की?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : On a point of order, sir; यह तो भाषण हो रहा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह तो क्लीयर कट क्वेश्चन है, ग्रध्यक्ष महोदय, भाषण नहीं है। हिसार में बीस विटनेसेज़ मौजूद हैं। २० ग्रादमियों के सामने गिरफ्तार किया है, उसके बावजूद भी एफ. ग्राइ. ग्रार. दर्ज क्यों नहीं की?

श्री ग्रध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा।

ग्रंगूरों की खती हेतु ग्रार्थिक सहायता के लिए ग्रावेदन-पत्र

२९१. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायात) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या राज्य सरकार ने ग्रंगूरों की खेती के लिए ग्रार्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में बनाये गये नियमों की एक प्रति सदन को मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) ग्रब तक ग्रंगूरों की खेती करने के लिये कितने ग्रावेदन-पत्र प्राप्त हुए ग्रौर कितने लोगों को यह सहायता दी गई है?

(३) जिन लोगों को यह सहायता ग्रब तक दी गई है उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) इस सम्बन्ध में कितने ग्रावेदन-पत्र सरकार के समक्ष ग्रभी विचाराधीन हैं?

(५) ग्रंगूरों की खेती के लिये ग्रब तक कुल कितना रुपया वितरित किया गया?

उप-मंत्री, सहकारी : (श्री भीमसिंह) (१) जी हां। प्रतिलिपि प्रस्तुत है।

(२) ६ ग्रावेदन-पत्र प्राप्त हुए। ४ किसानों को ऋण स्वीकृत किया जा चुका है।

(३) सूची 'ग्र' संलग्न है।

(४) केवल दो प्रार्थना–पत्र विचाराधीन हैं।

(५) रुपये १८,००० केवल वितरित किये गये हैं।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह जो लोन दिया चार ग्रादमियों को, जिसमें एक बाड़मेर, एक जोधपुर, एक जयपुर ग्रौर एक भीलवाड़ा के हैं; राज्य सरकार ने इस बात को भी एग्जामिन कर लिया है कि जिन व्यक्तियों को लोन दिया गया है उन लोगों के पास ग्रंगूरों की खेती करने का पर्याप्त ग्रनुभव है या उन लोगों को एंगेज कर लिया है जिनको इस बारे में ग्रनुभव है?

कृषि-मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : हरएक किसान को काम करने से ही अनुभव होगा। ऐसी क्षमता नहीं है कि टैक्निकल एक्सपर्ट अपने पास रख लें लेकिन विभाग ने अपने पास से यह व्यवस्था की है कि ट्रेनिंग दिला कर ऐसा काम हाथ में वे ले सकें। समय-समय पर सब प्रकार की टैक्निकल जानकारी की सुविधा प्रदान की जायगी।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाचन्द सोन

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अंगूरों की खेती राजस्थान में कर रहे हैं, उसकी जानकारी तो होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : बहुत प्रश्न रह गये हैं।

बारां हायर सैकण्डरी गर्ल्स स्कूल में अनुसूचित जन-जाति छात्राओं की संख्या तथा छात्रवृत्ति

२९२. **श्री दयाचन्द सोन** (बारां--सु०) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) बारां हायर सैकन्डरी गर्ल्स स्कूल में कुल कितनी छात्रायें हैं और इनमें से कितनी अनुसूचित जाति की व कितनी अनुसूचित जन जाति की हैं?

(२) गत वर्ष व इस वर्ष कितनी। अनुसूचित जाति की छात्राओं को छात्रवृत्ति मिली और कितनी छात्राओं की आधी फीस माफ की गई?

शिक्षा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा): अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

बबूल व खेजडे की राड़ियों से आमदनी

२९३. **श्री जुझारसिंह** (चेचट) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पंचायत समिति सांगोद व चेचट में किन २ स्थानों पर कितने २ क्षेत्र में बबूल, खेजड़े की वन विभाग द्वारा नियंत्रित राड़ियां मौजूद हैं?

(२) इन राड़ियों से विभाग को अलग-अलग स्थान पर कितनी-कितनी आमदनी होती है और उन पर कितना २ सालाना खर्च करना पड़ता है? खर्चे के अलग २ आइटम्स बताने की कृपा करें।

(३) राड़ियों के स्थान, आमदनी व खर्च को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इन्हें सम्बन्धित पंचायतों को हस्तान्तरित कर देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(४) क्या यह सही है कि उपरोक्त राड़ियों में से बहुत सी राड़ियां ऐसी हैं जिनमें स्थानीय ग्राम पंचायतों के मवेशियों को चराई के अधिकार दिये हुए हैं और बहुत से स्थानों पर तो चरागाह बताई जाने वाली भूमि भी इन राड़ियों के बीच ही स्थित है, जैसे मंडीता, राजगढ़ आदि? यदि हां, तो ऐसे स्थानों पर पंचायत व वन विभाग के दायित्वों व अधिकारों का कैसे सामन्जस्य बैठाया जाता रहा है?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आज की डिबेट अंगूर की खेती पर हो जाय।

श्री नाथूराम मिर्धा : हो जाय ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : बाजार में गेहूँ, बाजरा तो मिलता नहीं है क्या अंगूर मिलेंगे ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) सूची संलग्न है ।

(२) इन राड़ियों से वन विभाग को पिछले तीन सालों में जो आय हुई और उन पर अलग अलग आइटम्स में जो सालवार खर्चा हुआ वह आंकड़े भी उपरोक्त सूची में अंकित कर दिये गये हैं ।

(३) जो नहीं, इन राड़ियों में कर्म-करण योजना के अनुसार कार्य कराया जाता है और इनके पेड़ों को सही वैज्ञानिक तरीके से काटने व संरक्षण देने के लिये यह क्षेत्र विभाग के पास ही रहना चाहिये ।

(४) जी हां । इन समस्त राड़ियों में सम्बन्धित जनता को फोरेस्ट कन्सेशन रूल्स १९५५ के अनुसार चराई की रियायत दी हुई है । किन्तु ये राड़ियां रक्षित वन हैं और पूर्णतया वन विभाग के नियंत्रण में हैं । ऐसी सूरत में वन विभाग के अलावा और किसी विभाग के दायित्व व अधिकारों का प्रश्न नहीं उठता ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

श्री जुझारसिंह : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इन राड़ियों को मेन्टेन करने का उद्देश्य क्या है ? इनको मेन्टेन करके क्या करना चाहते हैं ?

श्री दिनेशराय डांगी : रक्षित वन हैं ।

श्री जुझारसिंह : १३०० बीघा जमीन की लिस्ट है जिसमें सालाना २२५) या ३००) की आमदनी है और खर्चा हजार रुपये का है । गांव के लोगों को लकड़ी उपलब्ध करा सकें, पशु-चराई करा सकें इनमें से कौनसा उद्देश्य है ? क्या इनको पंचायतों को देने के लिये सरकार तैयार है जिससे लकड़ी-घास पंचायतों वगैरह के काम आता रहे । अभी इस समय न तो सरकार को इकोनोमिकली फायदा है और न किसी को ।

श्री भीखाभाई (वन मंत्री) : जहां तक, अध्यक्ष महोदय, उनका सवाल है, माननीय सदस्य जानते हैं कि आस-पास में कोई भी ऐसा ग्रीन बेल्ट होना चाहिये । बंबूल के दरख्त काश्तकारों के काम में आ सकते हैं । साथ-साथ मवेशियों को चराई के अधिकार मिले हुए हैं । पंचायतों को देने के लिये माननीय सदस्य ने कहा है, जिला परिषद् वगैरह की ओर से ऐसा प्रस्ताव आये तो उस पर विचार किया जा सकता है ।

श्री जुझारसिंह : आपका यह फरमाना है कि काश्तकारों को लकड़ी उपलब्ध होती है............

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने कहा है कि जिला परिषद् की मार्फत डिमाण्ड भेजें उनको देने का विचार कर सकते हैं । इससे आपको संतुष्ट हो जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष श्री कृष्णकुमार गोयल ।

स्टेनोग्राफर्स के हक-तल्फी के मामले

२९४. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि कृषि विभाग के स्टेनोग्राफ़र्स के हक-तलफी (सुपरसेशन

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
ग्रोफ क्लेम) के मामले में सरकार ने कोई फैसला किया है ? अगर हां, तो कब तथा क्या इसको कार्यान्वित करने के लिये कोई तारीख निश्चित की थी ?

(२) क्या उपरोक्त फैसला कार्यान्वित हो चुका है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या यह सत्य है कि इसके अतिरिक्त ग्रौर भी स्टेनोग्राफर्स के हकतल्फी के मामले सरकार के विचाराधीन हैं ? अगर हां, तो किस स्टेज पर हैं ?

उप-मंत्री, सहकारी (श्री भीमसिंह) : (१) राज्य सरकार ने २८ जून १९६५ को यह ग्राज्ञा निकाली थी कि शीघ्र लिपिकों की वरिष्ठता राजस्थान मिनिस्टीरियल रूल्स १९५७ के ग्राधार पर निर्धारित की जावे। इसको कार्यान्वित करने की कोई तारीख निश्चित नहीं की थी ।

(२) उपरोक्त फैसला कार्यान्वित कर दिया गया है।

(३) एक मामला सरकार के विचाराधीन है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि सितम्बर १९६१ के ग्रन्दर कुछ सिलेक्शन ग्रेड्स मंजूर की गई थी । १-९-६१ को सिलेक्शन ग्रेड्स स्टेनोग्राफर्स के लिये मुकर्रर की गई थीं ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा): जी नहीं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि सिलेक्शन ग्रेड मंजूर की गई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने आपको 'जी नहीं' कह दिया ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि २५-८-६४ को कृषि विभाग के पत्र संख्या एफ. ८-१९-एग्रीकल्चर २। ६३ द्वारा सुपरसेशन ग्रॉफ क्लेम्स का फैसला किया था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : गवर्नमेन्ट की तरफ से यह हुआ कि उनकी सीनियोरिटी का डिसीजन उन्हीं रूल्स के ग्राधार पर किया जाय जो सेक्रेटेरियेट में सर्विस रूल्स के ग्राधार पर हैं ग्रौर उस सिलसिले में एक ग्रादमी जो दूसरे महकमे से कृषि विभाग में ग्राया था, कृषि विभाग ने कहा कि हमारे महकमे में जो परम्परा से करते ग्राये हैं उन्हीं के ग्रनुसार सीनियोरिटी ग्रौर क्लेम्स तय करेंगे । सेक्रेटेरियेट ने कहा कि सर्विस एज ए होल इस डिपार्टमेन्ट में हो या दूसरे डिपार्टमैन्ट में हो रूल्स के मुताबिक काम किया जाय ग्रौर विभाग के रूल्स के मुताबिक नहीं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : २५-८-६४ को सेक्रेटेरियेट से जिस व्यक्ति के लिए कह रहे हैं उस व्यक्ति के लिये ग्रॉर्डर्स हो गये ग्रौर सुपरसेशन क्लेम्स मंजूर करने के लिये कहा गया……

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो कर लिया है। विभाग ने भी मान लिया है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सेक्रेटेरियेट ने ग्रार्डर्स दे दिये कि क्लेम्स मंजूर कर लिये जांय तो फिर उसको डाइरेक्टर लेवल पर री-ग्रोपन क्यों किया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उन्होंने किया तो फिर उनको समझा दिया गया ग्रौर उन्होंने वैसा ही वापिस कर दिया ।

Page No 14

श्री कृष्णकुमार गोयल : सरकार के सामने ऐसे केसेज आये हैं सीनियोरिटी के सम्बन्धित डिपार्टमेन्ट में सीनियर माना हो और दूसरे विभाग में यानि कृषि विभाग में जिस जगह से आये हैं वहां की सीनियोरिटी को मान्य किया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा: यही मैंने कहा है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : फिर इसमें भेदभाव क्यों रखा गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : भेदभाव नहीं रखा गया है । उसी आधार पर किया गया है जो सेक्रेटेरियेट में नियम हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

बलदाऊजी मन्दिर से चोरी गए सामान की बरामदगी

२९५. श्री **भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) [श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि थाना मानक चोक, जिला जयपुर में जुलाई-अगस्त, १९६५ में प्रभु नाम का कोई व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है ?

(ख) क्या यह सही है कि प्रभु की निशांदेही से एक रिवोल्वर या पिस्तोल तथा जयपुर शहर की कई अन्य चोरियों का माल जयपुर में बलदाऊजी के मन्दिर के महंत के कब्जे से बरामद हुआ है ? यदि हां, तो किस किस चोरी का कितना कितना माल ?

(ग) इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(घ) क्या यह सही है कि विधान सभा के कूलर की चोरी के सम्बन्ध में भी इस प्रभु पर सन्देह है ? यदि हां, तो इस तफतीश का क्या परिणाम निकला ?

उप-मंत्री, गृह (श्री निरन्जननाथ आचार्य): (क) जी हां, किन्तु प्रभु को तारीख २४-६-६५ को ही बन्दी बना लिया गया था ।

(ख) जी हां, एक रिवॉल्वर ३२ बोर मय ६ कारतूस के प्रभु के पास से ही पुलिस द्वारा बरामद किया गया था । प्रभु की निशांदेही से बलदाऊजी मन्दिर के महन्त श्री नारायण दास के यहां से जयपुर नगर के दो गृह भेदन के अभियोगों में माल बरामद किया गया था जिसमें से एक दरीबा पान के रास्ते की श्री रामगोपाल सर्राफ के यहां की जिसमें स्वर्ण बरतन १७५ ग्राम व ५३० मिली ग्राम तथा चांदी के आभूषण १००० ग्राम व २०२ मिली ग्राम व एक घड़ी प्राप्त हुई । दूसरा नाथूलाल जगन्नाथ शाह का खुर्रा, रामगंज बाजार जयपुर की जिसमें ४ बर्तन पीतल व ४ पीतल के छोटे छोटे खिलौने प्राप्त हुए । इसके अतिरिक्त प्रभु की जामा तलाशी से एक घड़ी जो श्री सूरज नारायण निवासी खजाने वालों का रास्ता, के यहां से चोरी गई थी, प्राप्त हुई ।

(ग) रिवोल्वर के सम्बन्ध में आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत प्रभु का चालान कर दिया गया है जो न्यायालय में विचाराधीन है । अभियोगी श्री रामगोपाल के गृह भेदन के अभियोग में प्रभु का चालान दि० २१-९-६५ को कर दिया गया है । श्री नाथूलाल के अभियोग में चालान सम्बन्धित न्यायालय में प्रभु के विरुद्ध ता० ८-९-६५ को प्रस्तुत किया जा चुका है । श्री

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
सूरजनारायण के अभियोग में घड़ी की शनाख्त बाकी है, अनुसंधान की जा रही है।

(घ) जी नहीं, कूलर के मोटर की चोरी के मामले में प्रभु पर सन्देह नहीं था; तो भी उसके बन्दी होने पर इस अभियोग में भी उनसे भली प्रकार पूछताछ की गई थी जिसमें कोई परिणाम नहीं निकला। अभियोग में अभी भी अनुसंधान की जा रही है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : जिन महन्तजी के कब्जे से माल बरामद हुआ उस महन्त के खिलाफ सरकार ने क्या एक्शन लिया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह अभी गवाह में है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इनको धारा ४११ के तहत गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया।

श्री निरंजननाथ आचार्य : बोनाफाइड पजेशन आफ दी प्रोपर्टी यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या सरकार यह मानकर चलती है कि जिस व्यक्ति के कब्जे के अन्दर माल निकला उस व्यक्ति का उस माल पर कब्जा नहीं था ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जिन तथ्यों के आधार पर जिसके कब्जे से यह सारा माल निकला उस पर किसी भी प्रकार से बोनाफाइड्स पर डाउट नहीं किया जा सकता है या नहीं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : तो क्या सरकार इस बारे में अभी कोई नतीजे पर नहीं पहुंची है ? जब उसको गवाह बनाया गया है तो उसके बोनाफाइड्स के आधार पर मुलजिम भी बना सकती थी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : पहले प्रोसीक्यूशन को कामयाब करना चाहते हैं। इस बारे में और ज्यादा सवाल नहीं पूछें तो अच्छा है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या कारण है कि इस महन्त को मुलज़िम नहीं बनाया गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने, निवेदन किया, हम प्रोसीक्यूशन को कामयाब करना चाहते, हैं, आपके यहां के ऑबजर्वेशन से हमारे कदम आगे बढ़ाने से रुक सकते हैं। इसलिये पहला कदम प्रोसीक्यूशन को कामयाब बनाने का है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या इसको एप्रूवर बनाया गया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : नहीं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मेन एक्यूज्ड बनाया तो को-एक्यूज्ड बनाने में आपको क्या दिक्कत है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्रोसीक्यूशन के कमजोर होने की दिक्कत आती है, क्योंकि प्रभु एक हिस्ट्री शीटर है, उसके कब्जे से अनलाइसैन्स्ड आर्म निकली है। उसकी एवीडेन्स सब से स्ट्रोंग हो जाय। प्रोपर्टी महन्तजी के कब्जे से निकली है इस पोइन्ट पर हमारा दिमाग है, लेकिन मैं ज्यादा कमिटमेन्ट इस स्टेज पर करना उपयुक्त नहीं समझता। इससे प्रोसीक्यूशन पर असर पड़ सकता है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : १६४ के अन्तर्गत इसके बयान कराये गये ?

श्री अध्यक्ष : श्री उमरावसिंह ढाबरिया ।

वरिष्ठ लेखकों के पदों पर स्थाई कर्मचारी

२९६. **श्री उमरावसिंह ढाबरिया**(बनेड़ा): क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:--

(क) श्रम विभाग में १९५६ से १९६५ तक वरिष्ठ लेखकों की कितनी पोस्ट स्थाई की गई हैं और किन किन तारीखों से ?

(ख) इन पोस्टों पर जिन कर्मचारियों को स्थाई किया गया है उनके स्थायी करने के आदेश-पत्रों की एक एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें । शेष पोस्ट इतने लम्बे अर्से से खाली रखने का क्या कारण है ?

(ग) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के नियुक्ति विभाग ने आदेश सं०एफ० १०-१ अपोइन्टस : ए: ५५ पी। टी। १४ दिनांक १६-११-६४ के द्वारा कनिष्ठ और वरिष्ठ लेखकों को स्थाई किये जाने के सम्बन्ध में अपने आदेश सं० एफ. १०(१) अपोइन्ट्स-ए-५५ दिनांक १६-३-६२ को अतिरिक्त स्पष्टीकरण करते हुए सभी विभागों से अनियमित और आदेश विरुद्ध स्थाई किये गये कर्मचारियों के संबंध में जानकारी चाही थी ? यदि हां, तो श्रम विभाग द्वारा उसके प्रत्युत्तर में दी गई सूचना की प्रतिलिपि भी प्रस्तुत करें ।

श्रम मंत्री (भीखाभाई) : (क) श्रम विभाग में १९५६ से १९६५ तक केवल ३ अस्थाई वरिष्ठ लिपिकों के पदों को दिनांक १-७-५९ से स्थाई रूप में परिवर्तित किया गया है ।

(ख) एकीकरण के फलस्वरूप इन तीनों पोस्टों पर स्थाई वरिष्ठ लिपिकों का एक्स पोस्ट फैक्टो पोस्टिंग कर दिया गया । शेष कोई भी पोस्ट खाली रखने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी हां, ऐसी सूचना चाही गई थी । जो सूचना दी गई उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह जो आपने भाग (२) का जवाब देते हुए बताया कि तीन वरिष्ठ लेखक बनाये गये हैं; इसकी सूची मांगी गई वह सूची आपने नहीं दी है; वह कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको वरिष्ठ लेखक बनाया गया है ?

श्री भीखाभाई : इसकी सूची दे दी गई है ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आपने तो यह लेटर दिया है जो अपोइन्टमेन्ट्स डिपार्टमेन्ट को लिखा है । किन किन आदमियों को वरिष्ठ लेखक बनाया गया है वह आपने सूची नहीं दी है । इस प्रश्न के भाग (ख) में कहा गया है कि इन पोस्टों पर जिन कर्मचारियों को स्थाई किया गया है उनके स्थायी करने के आदेश-पत्रों की एक-एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

श्री भीखाभाई : वही आदेश-पत्र रखा गया है।

श्री उमरावसिंह डाबरिया : यह तो भाग (३) में जो सूचना चाही गई उसके बारे में है।

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, अपोइन्टमेंन्ट लेटर इश्यू हुआ था उसके बारे में एतराज किया, किन किन ने इसके बारे में रिप्रें जेन्टेशन किया उन्होंने इनको कहा होगा मैं अपने ख्याल से बता सकता हूं कि वे किन के बारे में पूछना चाहते हैं और वह किसके इशारे से पूछना चाहते हैं। यहां पर जिन लेखकों को वरिष्ठ लेखक बनाया गया है उनमें वे कर्मचारी भी थे जो अजमेर से आये थे जो वहां पर परमानेन्ट एम्प्लाईज थे। उनके परमानेन्ट होने के कारण राजस्थान स्टेट रिआॅर्गेनाईजेशन की दफा १५ के तहत इन लोगों को यहां पर जो चार पोस्टें परमानेन्ट थीं उन पर स्थायी रूप से फिक्स किया गया है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैंने यह पूछा था उनके क्या नाम हैं वह बताने में आपको क्या आपत्ति है। इसके अलावा मैं यह जरूर कहना चाहूंगा, जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा कि किसी के इशारे से प्रश्न पूछते हैं यह उनका कहना यहां पर अच्छी बात नहीं है। इसी डिपार्टमेंट के मुताल्लिक मैंने पहले भी सवाल पूछा था जिसमें आपने २०० से ऊपर कर्मचारियों की लिस्ट दी है। जहां आप अपने आदमियों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और उसकी लिस्ट जब मांगते हैं तो आप हम पर यह आरोप लगाते हैं कि हम किसी के इशारे पर प्रश्न पूछ रहे हैं। यह उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री चन्द्रसिंह बर्फा।

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, उद्योग) : (उत्तर देने खड़े हुए)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री महोदय सामान्य प्रोसीजर नहीं जानते; जब मैंने व्यवस्था का सवाल उठाया है तो उनको बैठ जाना चाहिये।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : अध्यक्ष महोदय ने मेरा नाम पुकार दिया इसलिये मैंने सवाल पूछा।

श्री मुकुटबिहारीलाल : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का यह सवाल है कि इस प्रश्न के भाग (२) के अन्दर एक सूची चाही गई है जो मंत्री महोदय ने नहीं दी है तो हम यह जानना चाहते हैं और इस बारे में आप से व्यवस्था चाहते हैं कि क्या माननीय सदस्य को वह सूची जो चाही गई है उसे प्राप्त करने का अधिकार नहीं है? अगर अधिकार है तो मंत्री महोदय को डाईरेक्ट किया जाय कि वे उनको सप्लाई करें।

श्री अध्यक्ष : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री चन्दनमल वैद : अब तो मालूम हो गया कि प्रोसीजर किसको मालूम नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या २९७, श्री चन्द्रसिंह बर्फा।

पटवारी ग्राम सेवक एवं अन्य अधिकारियों का होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग

२९७. **श्री चन्द्रसिंह बर्फा** (बिलाड़ा) : क्या मंत्री, नियुक्ति विभाग यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या राज्य सरकार ने ऐसे अध्यादेश जारी कर रखे हैं कि कोई पटवारी, ग्राम सेवक, एवं अन्य अधिकारी अपनी तहसील,

(श्री चन्द्रसिंह बर्फा)
पंचायत क्षेत्र एवं होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं रह सकेंगे। यदि हां, तो क्या इसका पालन हो रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

उप-मंत्री, नियुक्ति विभाग (श्री चन्दनमल वैद) : राज्य सरकार ने ऐसे कोई आदेश प्रसारित नहीं किये हैं जिसके अनुसार पटवारी और ग्राम सेवक अपनी तहसील पंचायत क्षेत्र एवं गृह जिले में पदस्थापन नहीं किये जायें।

नियुक्ति (क) विभाग द्वारा समय-समय पर प्रसारित आज्ञाओं के अनुसार निम्नलिखित श्रेणी के अधिकारियों को उनके गृह जिलों में पद-स्थापन करने पर रोक हैं:—

१. आई० ए० एस० के अधिकारी
२. आई० पी० एस० के अधिकारी
३. राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी
४. तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार
५. ट्रेजरी ऑफिसर
६. जिला कृषि अधिकारी
७. सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां
८. जिला उद्योग अधिकारी
९. अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण एवं सिंचाई
१०. कंजरवेटर ऑफ फोरेस्ट
११. डिवीजनल फोरेस्ट ऑफिसर
१२. डिप्टी कंजरवेटर ऑफ फोरेस्ट
१३. सहायक कंजरवेटर आफ फोरेस्ट
१४. माइनिंग अभियन्ता
१५. सहायक माइनिंग इन्जीनियर
१६. इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स
१७. इन्सपेक्टर एवं सब-इन्सपेक्टर आफ पुलिस

उपरोक्त नीति के अनुसार काम हो रहा है। यदि उपरोक्त वर्ग के अधिकारियों में से अब कोई अपने जिले में तैनात हो तो ऐसे लोगों के अगले स्थानान्तर अपने जिले के बाहर होंगे।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

संस्कृत कॉलेजों के विद्यार्थियों की संख्या

२९८. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य में संस्कृत के कालेज कितने हैं और उनमें शास्त्री तथा आचार्य की परीक्षाएं देने वाले विद्यार्थी कितने हैं?

(२) क्या यह सही है कि राज्य में एक संस्कृत विश्वविद्यालय खोला जा रहा है? यदि हां, तो उस पर कितने व्यय का अनुमान है?

(३) एक विश्व विद्यालय के लिये कम से कम कितने विद्यार्थी होने चाहिये?

(४) क्या उस अनुपात से हमारे संस्कृत कालेजों में शास्त्री और आचार्य की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं?

शिक्षा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (१) शास्त्री और आचार्य स्तर के २१ कालेज हैं। शास्त्री और आचार्य में नियमित पढ़ने वाले छात्रों की वर्तमान संख्या १५० है।

(२) यह मामला सरकार के विचाराधीन है। यह अनुमान लगाया गया है कि पंच-

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)
वर्षीय अवधि में ऐसे विश्वविद्यालय पर २,४८,७५,४०० रुपये खर्च होंगे। जिसमें आयुर्वेदिक फेकल्टी का खर्चा भी शामिल है।

(३) विश्वविद्यायल की स्थापना के लिये न्यूनतम छात्र संख्या का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : १५० छात्रों पर ही दो करोड़ के करीब खर्च कर देंगे ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : आपने खर्चा कितना बताया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : २,४८,७५, ४००)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : अध्यक्ष महोदय, २१ कालेजों में सिर्फ १५० विद्यार्थी निकलते हैं, उनके लिये २ करोड़ खर्च करके एक अलग से यूनीवर्सिटी कायम करना क्या यह अपव्यय नहीं है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जब विश्व विद्यालय बन जावेगा तो आयुर्वेदिक फेकल्टी भी उसमें शामिल होगी और फिर जब यूनीवर्सिटी स्तर की शिक्षा यहीं होगी तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों की संख्या तो बढ़ेगी इसके लिये जो कमेटी बनाई थी उसने एस्टीमेट लगाकर बताया है ?

श्री बिजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : यह विश्वविद्यालय कब तक बन जावेगा।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : इन १५० विद्यार्थियों के लिये अलग से कालेज रखने की क्या जरूरत है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसमें शुरू से आखिर तक कालेज और स्कूल भी चलती है केवल कालेज स्तर के १५० विद्यार्थी हैं। दूसरे विद्यार्थी और हैं और इसलिये यह कालेज चलाते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह शिक्षा के क्षेत्र में भी आप अंगूरों की खेती क्यों शुरू कर रहे हैं ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : दो करोड़ लगाकर संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने के बजाय तो आज साइन्स व टैक्निकल शिक्षा की बहुत आवश्यकता है और देश के लिये बहुत जरूरी है, आप यह खर्चा क्यों उधार नहीं करते ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : आपका क्या सुझाव है कि संस्कृत विश्वविद्यालय खोला जाय ? सरकार संस्कृत को प्रोमोट कर रही है। इसमें चिढ़ा–चिढ़ी होने की क्या आवश्यकता है, छात्र संख्या तो बढ़ जावेगी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सरकार ने इस पहलू से भी विचार किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अब तो रशिया में भी संस्कृत की पुस्तकों का अनुवाद हो रहा है इसलिये रामानन्द जी को भी चिढ़ होने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पंजाब का मुझे पता है, वहां संस्कृत शिक्षा के लिये ओरियन्ट स्टडी के रुप में वहां के विश्व विद्यायल में अलग से विशेष व्यवस्था है और इसके लिये खर्चा भी कोई विशेष नहीं होता। तो फिर यहां बजाय अलग खोल कर इतना बड़ा खर्चा करके ओरियेन्ट स्टडीज और

Page No 20

(रामानन्द अग्रवाल)
विशेष तौर पर संस्कृत की स्टडी जयपुर, जोधपुर या उदयपुर के विश्व विद्यालय में करने के लिये विशेष प्रबन्ध करने से आवश्यकता की पूर्ति आसानी से हो सकती है और खर्चा भी बच सकता है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सरकार इस सुझाव पर विचार करेगी और इसके बाद ही अंतिम निर्णय लेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री रामानन्द अग्रवाल।

सार्दूल टैक्सटाइल मिल गंगानगर के मैनेजमेंट और लेबर मजदूर यूनियन के बीच हुआ समझौता

२९९. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि मैनेजमेन्ट श्री सार्दूल टैक्सटाइल मिल गंगानगर और सार्दूल टैक्सटाइल लेबर मजदूर यूनियन के बीच गत दिनांक १७–३–६५ को एक समझौता हुआ था ?

(२) क्या यह सही है कि समझौते की धारा १ के अनुसार उन सब कारीगरों को बोनस लेना तय हुआ था जिन्होंने १९६३ के दौरान मिल में काम किया है, चाहे वे इस मिल को छोड़ कर भी चले गये हों और यह बोनस २० मई, १९६५ तक सब मजदूरों को देना तय हुआ था ?

(३) क्या यह सही है कि मैनेजमेन्ट ने ऐसे मजदूरों को १९६३ का बोनस देने से इन्कार कर दिया है जो १९६३ में मिल में काम करते थे लेकिन अब मिल को छोड़ कर चले गये हैं ?

(४) क्या मैनेजमेन्ट का यह रुख समझौते की खुली अवहेलना नहीं है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इसका पालन कराने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

श्रम मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) इस सम्बन्ध में कोई शिकायत श्रम विभाग के पास नहीं आई है।

(४) जी हां, चूंकि मामला सरकार के समक्ष लाया गया है। अतएव श्रम विभाग को इसकी जांच कर आवश्यक कदम उठाने के आदेश दिये जा रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, टैक्सटाइल मिल मजदूर यूनियन की तरफ से इस प्रकार की शिकायत बाकायदा डिपार्टमेन्ट को भेजी गई है। इस प्रकार के बहुत से मुलाजिम अपने घरों को चले गये थे। वे फैक्टरी में गये हैं, पेमेन्ट उनको नहीं किया गया उनको कहा गया कि तुम्हारे घरों पर भेज देंगे पर आज तक भेजा नहीं। तो क्या सरकार इस बात का आश्वासन देगी कि यह जो एग्रीमेन्ट की अवहेलना की गई है उसको एक निश्चित अवधि में पूरा कर देंगे ?

श्री भीखाभाई : ऐसे किसी एग्रीमेन्ट की सरकार को जानकारी नहीं है। पर यह निश्चित बात है कि पेमेन्ट की जानकारी हो गई है और इसलिए जो भी मैनेजमेन्ट के

(श्री भीखाभाई)
खिलाफ इसके लिये कार्यवाही अन्डर लॉ सैक्शन २९ और ३४ के अन्दर करनी पड़ेगी, वह की जावेगी ।

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम ।

चूरू जिले में कृषकों को हल व औजारों का वितरण

३००. श्री रावतराम [सादुलपुर] : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) चूरू ज़िले में गत दो साल में जिला कृषि विभाग ने किसानों को नई किस्म के हल व औजार कितनी संख्या में बांटे ?

(२) नये औजारों में से कौन से औजार कामयाब सिद्ध हुए हैं और उन्हें कितने प्रतिशत किसान काम में लाते हैं ?

उप-मन्त्री सहकारी (श्री भीमसिंह) : (१) कृषि यन्त्रों का वितरण पंचायत समितियों द्वारा किया जाता है । दो साल में २३५ कृषि यन्त्र इस जिले में बांटे गये ।

(२) निम्नलिखित कृषि यन्त्र चूरू जिले में कामयाब सिद्ध हुए हैं :

(१) बल्डे हेरो, (२) आलपेड थ्रेशर, (३) कुट्टी मशीन, (४) हैण्ड हों (५) सिह पटेला ।

कितने प्रतिशत किसान इन्हें काम में ले रहे हैं । सर्वे कराने पर पता लगतो सकता है ।

श्री रावतराम : यह आपने जो बताया यह पंचायतों के हैड क्वार्टरों के अलावा किसानों को नही मिले हैं ।

श्री भीमसिंह : डिपार्टमेंट की ओर से पंचायत समितियों को भेजे जा चुके हैं । आप कहते हैं कि किसानों को नहीं मिले हैं तो जांच कराली जावेगी ।

श्री रावतराम : यही तो मैं कह रहा हूं कि पंचायत समितियों ने किसानों को नहीं दिये । दूसरी बात यह भी है कि पंचायत समितियों को यह भी देखना चाहिये कि कौन से औजार कामयाब हो सकते हैं और कौन से नहीं ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : जो औजार कृषि विभाग का वर्कशाप बनाता है उनको जो खरीदना चाहती हैं उन पंचायत समितियों और पंचायतों को अपने आॅर्डर वर्क शाप को पंचायत समितियों के मार्फत देने पड़ते हैं । फिर वहां से वे ले जाकर घर पर खेत पर काम में लेते हैं । अब जो डिमॉन्स्ट्रेशन के यूनिट हैं उनके औजार पंचायत समितियों के हैड क्वार्टर पर ही रहते हैं और वहीं रहेंगे । उनको वे डिमॉन्स्ट्रेशन परपजेज के लिये यूज़ करते हैं । अब आप अगर यह चाहते हैं कि किसान औजारों को काम में लेना चाहता है पर मिलते नहीं, तो हमारी तरफ से जितनी अवेलेबिलिटी है उतने औजार मुहय्या कराये जाते हैं । आज प्रश्न यह है कि मांग बहुत ज्यादा है जिनको हम अपने वर्तमान साधनों से कोप-विथ भी नही कर पा रहे हैं । हमारे वर्क-शॉप छोटे पड़ते हैं । इसलिए चूरू जिले में अगर कमी है तो जो कोटा हम उस जिले को दे सकते हैं उसके हिसाब से देने की कोशिश करेंगे ।

श्री रावतराम : डिमान्ड और सप्लाई की बात तो समझता हूं । पर अभी तक तो

(श्री रावतराम)

किसानों को यह जानकारी ही नहीं है कि किस जमीन में किस तरह के औजार कामयाब हो सकते हैं। वह जानकारी उनको मिल सके, ऐसा प्रबन्ध किया जाना चाहिए। पिछले चार सालों से वे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, पर मिल नहीं रही है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री दिग्विजयसिंह।

शूटिंग ब्लाक्स का रिजर्वेशन

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : [श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) द्वारा पूछा गया] : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि फीस जमा करा देने पर शूटिंग ब्लॉक्स रिजर्व कर दिये जाते हैं ? यदि हां, तो फीस कितनी है ?

(२) क्या यह सही है कि विदेशी पर्यटकों और भूतपूर्व नरेशों को एक ब्लाक के रिजर्वेशन के लिये प्रति गन ५०० रुपये जमा करना पड़ता है ? यदि हां, तो भूतपूर्व नरेशों को विदेशी लोगों के साथ क्यों रखा गया है ? क्या यह कानून के विरुद्ध नहीं है ?

(३) क्या सरकार फीस वसूल किये जाने सम्बन्धी नियमों पर पुनः विचार करेगी ?

उप-मंत्री, वन (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी हां। फीस की दरों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी नहीं। यदि कोई विदेशी पर्यटक भूतपूर्व नरेश के द्वारा या किसी शिकार एजेन्सी के द्वारा लाइसेन्स ले तो उनसे ५०० रुपये फी गन लिया जाता है। भूतपूर्व नरेशों को विदेशी लोगों के साथ नहीं रखा गया है। यदि वे स्वयं शिकार खेलने के लिए लाइसेन्स लेना चाहें तो जन साधारण की तरह ही उन्हें २० रुपये फी गन से लाइसेन्स मिलता है।

(३) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया।

मन्त्री मंडल में बढ़ोत्तरी से खर्चा

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान मन्त्री मण्डल में चार नये सदस्यों को और लिये जाने से राजस्थान के बजट पर कुल कितने रुपये सालाना का खर्चा बढ़ा है ? वेतन, भत्ता, स्टाफ बंगला, मोटर, पैट्रोल आदि के अलग-अलग आंकड़ों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) यह नया खर्चा इस संकटकालीन स्थिति (एमर्जेन्सी) के समय में क्यों किया गया है जबकि अन्य आवश्यक कार्यों में कटौती की जाती है ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : चार नये मन्त्रियों का अनुमानित खर्चा रुपया ३,६०,७०० का है। वेतन, भत्ता आदि के आंकड़े संलग्न है।

(२) आवश्यक होने से यह विस्तार किया गया है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या सरकार यह महसूस नहीं करती कि मन्त्रियों को तनख्वाह तो ६०,००० रुपये और भत्ता ९७,००० रुपये, तो यह भत्ता क्या ज्यादा नहीं है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : ग्राम तौर से जो पहले का औसतन होता है वह ही बजट में लगाया जाता है।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या इन चार मन्त्रियों के बढ़ाने के बाद सरकार के कामकाज में कोई फर्क पड़ा है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : इसका उत्तर देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। आवश्यकता होने पर ही इनको रखा गया और काम में सुविधा हुई है।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसहाय ।

(अनुपस्थित)

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : एक और सप्लीमेन्टरी ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर सप्लीमेंटरी डिमान्ड्स के वक्त काफी बहस हो चुकी है ।

(विराम)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : तीन लाख रुपये का काम दूसरे मदों में कर सकते थे।

(कुछ माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बहस करना चाहते हैं, उत्तर नहीं चाहते ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : जनता को कितना फायदा हुआ ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : घर में लड़ने वालों की संख्या घटी । राज्य को कोई फायदा नहीं हुआ ।

(१२ मध्याह्न)

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

शिक्षकों की वरिष्ठता सूची व फिक्सेशन के मामले

३०४. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि शिक्षकों की वरिष्ठता सूचियां अभी तक भी तैयार नहीं हुई हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या यह सही है कि इन सूचियों के अभाव में फिक्सेशन आदि की अनेक समस्यायें बनी हुई हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (१) महिला शिक्षकों की वरिष्ठता सूचियां निकल चुकी हैं। पुरुष शिक्षकों की वरिष्ठता सूचियां तैयार हो चुकी हैं। वे संकलित की जा रही हैं तथा वे अक्टूबर के द्वितीय सप्ताह में प्रकाशित कर दी जावेंगी।

(२) फिक्सेशन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : प्रसारित कब तक कर दी जायेगी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अक्टूबर के द्वितीय सप्ताह का बताया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कितने लोगों की बन चुकी है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : करीब करीब सब की बन गई है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सब ग्रेड की ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जी हां ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सब ग्रेड के टीचर्स जितने हैं, उनकी जितनी सूची बनती है, सब की बन चुकी है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जी हां ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कितने हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ७० हजार के करीब होंगे ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या सारे अध्यापकों का फिक्सेशन भी हो चुका है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : प्रावीजनल सीनियोरिटी लिस्ट हो गई है । उस पर ऑब्जेक्शन्स मांग कर फाइनल सीनियोरिटी लिस्ट फिर बनेगी ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरा प्रश्न यह नहीं है । मेरा प्रश्न यह है कि क्या सारे अध्यापकों का फिक्सेशन हो गया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उनकी अपाइन्टमेंट्स की तारीख से जिस ग्रेड में उनको ले लिया गया है उसी ग्रेड में वह तनख्वाह पा रहे हैं ।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या यह सही है कि पंचायत समिति के टीचर्स का इस सूची के आधार पर प्रमोशन नहीं हुआ है न फिक्सेशन हुआ है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : फिक्सेशन में वरिष्ठता सूची का कोई ताल्लुक नहीं है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्या यह सही है कि पंचायत समिति से जो प्रमोशन होकर ग्रेजुएट टीचर्स हैं वे मिडल स्कूल में गये हैं उनको पे उसके अनुसार नहीं मिली है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जब तक उनका अपोइन्टमेन्ट स्थाई नहीं हो जायेगा उस समय तक उनको उस ग्रेड के मुताबिक कैसे तनख्वाह मिलेगी ?

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : बीस बीस साल से काम कर रहे हैं ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सीनियोरिटी के आधार पर प्रमोशन होगा और फिर कन्फर्मेशन होगा और उसके मुताबिक फिक्सेशन होगा ।

श्री अध्यक्ष : वे वहां से स्थानांतर होकर आये, उसके पहले ग्रेड मिल चुकी थी और उसको वापिस सेट इसलिए करना चाहते हैं कि वरिष्ठता में सम्भवतः उनके नीचे आते हैं जो कि पंचायत समिति से वहां गये हैं ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह तो जो नई लिस्ट है वह तीन तरह की तैयार होगी; पहली तो सन् ५० में, फिर उसके बाद में ५६

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

में और उसके बाद में जब अजमेर का मर्जर हुआ उसके बाद को और फिर ६१ की लिस्ट तैयार होगी; तो तीनों-चारों सीनियोरिटी लिस्ट के आधार पर प्रमोशन का करके उनको उनके ऊपर स्थाई किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा।

चम्बल की नहरों से सीपेज तथा उससे खराब हुई भूमि का मुआवजा

३०५. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) कोटा व जिला बूंदी में कितनी जमीन चम्बल की नहरों से सीपेज के कारण खराब हुई है ?

(२) क्या यह सही है कि इस प्रकार खराब हुई भूमि का मुआवजा सम्बन्धित व्यक्तियों को नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) सीपेज का अधिक प्रभाव क्रमशः १०३१ व २५०० एकड़ पर हुआ है।

(२) इस प्रकार की भूमि पर खराब हुई फसलों का मुआवजा दिया जाता है। दाईं व बाईं मुख्य नहरों पर कुल मिला कर अब तक करीब २९५२८ ०० का मुआवजा दिया जा चुका है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आपके कहने से मान लिया जाये कि जिन किसानों को फसल सीपेज के कारण पानी से डूब रही है और वह किसी प्रकार की फसल नहीं कर पाते उनको मुआवजा देने का प्रावधान बनाया है ?

श्री दौलतराम सारण : जिस किसान की जमीन में सीपेज की वजह से फसल खराब हो जाती है उसका मुआवजा दिया जाता है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मेरा प्रश्न यह नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि वाटर लोगिंग और सीपेज के कारण जिन किसानों का खेत पानी से डूबा रहता है और वह किसी प्रकार की फसल नहीं बो सकता है, उसको मुआवजा देने का क्या प्रावधान है ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन किया कि सीपेज में जो जमीन मैंने आपको बताई है करीब ३॥ हजार एकड़ इस जमीन में ऐसी जमीन भी है कि जिसमें कुछ फसल होती है, लेकिन जहां ज्यादा सीपेज है वहां फसल नहीं होती है और हम चेष्टा करते हैं कि सीपेज का पानी नालियां बना कर निकाल दें और धीरे धीरे वह जमीन वापस ठीक हो जाये। यह कार्यक्रम हमारा चालू है और इससे कुछ जमीन ठीक भी हुई है लेकिन जिन किसानों की जमीन सीपेज की वजह से फसल नहीं देने लायक रही है उनको हम मुआवजा देते हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : यही मैं जानकारी करना चाहता हूँ कि आपने अब तक कितने किसानों को इसका मुआवजा दिया है। उनके खेत पानी से भरे रहते हैं और वे फसल नहीं कर सकते। अगर मुआवजा देते हैं तो किस आधार पर देते हैं ?

श्री दौलतराम सारण : मुआवजा फसल का एस्टीमेट लगा करके जो उसका तरीका है मुआवजा देने का। उसके हिसाब से देते हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आप जांच कराने के लिए तैयार हैं कि जितने भी सीपेज के कारण पानी से खेत भरे हुए हैं वे तीन तीन साल से भरे हुए हैं और किसी प्रकार की फसल नहीं बो सकते; उनको मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है और हमको सिंचाई विभाग ने बता दिया है कि सरकार ने इसका निर्णय नहीं लिया है कि जो फसल नहीं कर सकते उनको मुआवजा क्या दें, ऐसी बात है तो आप बता दें।

सिंचाई मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : जो जमीन परमानेन्टली पानी के नीचे है जहां कई सालों से फसल नहीं बोई गई है उन जमीनों का मुआवजा फसल के रूप में देने का तो कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता। उन जमीनों को मुआवजा या तो वह जमीन छोड़ना चाहें तो अक्वायर करके जो कुछ कम्पेन्सेशन लेना चाहें तो हम देने के लिए तैयार हैं। अगर वे अपने राइट्स जैसा कि किसानों ने हमको कहा है कि इन जमीनों पर अपने राइट्स को नहीं छोड़ना चाहते हैं और वे इस लिए नहीं चाहते हैं कि उनको उम्मीद है कि आगे आने वाले कुछ वर्षों में जो ड्रेनेज की योजनायें वहां पर बन रही हैं उनके जरिये उनके खेतों से पानी का निकास हो जायगा और वह उसी आशा में अपनी जमीन पर कब्जा नहीं छोड़ना चाहते हैं और इस वजह से इसी आशा में कि कभी उनको आगे जाकर फसल होगी इसलिए ऐसी सूरत में उन जमीनों में जहां लगातार पानी भरा है फसल का मुआवजा देने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मुझे खुशी है कि आपने इस सत्य को तो स्वीकार किया है कि अभी तक ऐसे किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है और उस पर विचार कर रहे हैं। लेकिन तीन–तीन साल से वे किसान फसल नहीं कर सकते और आप कहते हैं कि वे छोड़ें तो मुआवजा देदें तो आपको खुद को विचार करना चाहिए कि वह फसल नहीं कर सकते और उनके लिए मुआवजे का प्रावधान नहीं है। मैं समझता हूं कि उसके बारे में व्यवस्था होनी चाहिए। आप अगर इस तरह से करेंगे तो बड़े परेशानी का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनराज

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इस संबंध में पूरी फसल का मुआवजा न देकर सीमित रीहेबिलिटेशन के तरीके का कुछ मुआवजा देने पर विचार करेंगे, जब तक वह फसल बोने लायक नहीं रहे तब तक के लिए।

श्री नाथूराम मिर्धा : वे ऐसे किसान हैं कि हमने उनसे पूछा कि क्या आप जमीन को सरेण्डर करने के लिए तैयार हैं और उसके एवज में गवर्नमैन्ट की जमीन दूसरी दे दें या मुआवजा पैसे के रूप में लेलें उन लोगों ने कहा कि ऐसा हम करने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि वह किसान उतनी ही जमीन वाले नहीं हैं, बल्कि उनके पास और भी अपनी जमीनें हैं। जैसा कि आप मानकर चलते हैं कि उनके पास और खाने का क्या होगा, ऐसे किसान वे नहीं हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या सरकार ने वाटर लॉगिंग के कारण जो फलदार पेड़ थे और नष्ट हो गए उनके मुआवजे का सरकार ने तय करके भुगतान कर दिया है?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह अलग प्रश्न है और इसका जवाब सदन में दिया जा चुका है।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनराज ।

अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र में छात्रवृत्ति में भेदभाव

३०६. **श्री मोहनराज जैन** (बाली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रशिक्षित होने वाले अध्यापक छात्रों को प्रति माह २५ रु० की छात्रवृत्ति दी जाती है जब कि उसी केंडर के ग्राम सेवक को प्रशिक्षण-काल में प्रति माह ५० रु० की छात्रवृत्ति दी जाती है ?

(२) क्या राज्य सरकार इस भेदभाव की नीति के फलस्वरूप अध्यापकों में व्याप्त घोर असन्तोष को मिटाने के लिए अध्यापक छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ाने का विचार रखती है ?

शिक्षा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (१) अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षित होने वाले ऐसे अध्यापक छात्रों को जो १-७-५४ के बाद तथा ३१-३-६३ से पहले राजकीय सेवा में प्रविष्ट हुए हैं उनको राज्य सरकार द्वारा प्रति माह २५ रु० की प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है। भारत सरकार की नीति के अनुसार ग्राम सेवकों को उनके २ वर्ष के प्रशिक्षण-काल में ५० रु० की प्रतिमाह छात्रवृत्ति भारत सरकार से मिलती है।

(२) जी नहीं, क्योंकि इसमें भेदभाव का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री मोहनराज जैन : यह जो प्रशिक्षण काल में छात्रवृत्ति देते हैं उसका आधार क्या है ? जो ग्राम सेवकों को छात्रवृत्ति दी जाती है और जो अध्यापकों को छात्रवृत्ति दी जाती है वह क्या समान है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ग्रामसेवकों का तो मुझे पता नहीं है, अध्यापकों का अवश्य पता है। अध्यापकों को ५४ से पहले जो सेवाकाल में आए हैं और जिनको ट्रेनिंग दी है उनको स्टाइपण्ड दिया जाता है और जो ५४ से लेकर ६३ के बीच में आए हैं उनको २५) रु० माहवार स्टाइपण्ड देते हैं और ६३ के बाद वाले अपने खर्चे पर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

श्री मोहनराज जैन : छात्रवृत्ति देने का आधार क्या है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आधार क्या है, हमने तय किया कि प्रतिमाह रकम देना है इसलिए देते हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

श्री मोहनराज : क्या सोच कर देते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यही कि जो कुछ भी थोड़ी बहुत मदद मिल सके जिससे वे अपने घर का खर्चा चला सकें ।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : अध्यापकों को ट्रेनिंग के लिए तो आप छात्रवृत्ति देते हैं लेकिन दूसरे विभागों में पे के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंस भी दिया जाता है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो गरीब अध्यापक ट्रेनिंग के लिए जाते हैं उनको आप तनख्वाह भी नहीं देते ।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

पुलिस स्टेशन बगरु के थानेदार के विरुद्ध कार्यवाही

३०७. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि पुलिस स्टेशन बगरु के थानेदार श्री किशोरसिंह और उसके अन्य साथियों ने ग्राम महलां के श्री सबलदान को सोने का तस्कर करने का झूंठा आरोप लगाकर पीटा, डराया, धमकाया और फिर ३००) रु० लेकर छोड़ दिया ?

(२) क्या यह सही है कि श्री सबलदान के साथ उक्त थानेदार ने भारी मारपीट की जिसकी डाक्टरी रिपोर्ट भी पेश की गई और तत्पश्चात् थानेदार को मोअत्तिल कर दिया गया।

(३) मोअत्तिल थानेदार के खिलाफ अभी तक क्या कार्यवाही की गई तथा श्री सबलदान के ३००) रु० वापस दिलाये या नहीं ?

उप-मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य): (१) ऐसे आरोप लगाये गये थे, किन्तु जांच से मारपीट करने के तथा रिश्वत लेने के आरोप सिद्ध नहीं हुए; केवल श्री सबलदान को थाने में बुला कर रोके रखने के आरोप सिद्ध हुए हैं।

(२) डाक्टरी रिपोर्ट में केवल चार साधारण चोटें आना बतलाया गया था। प्रारम्भिक जांच के बाद थानेदार को मोअत्तिल किया गया था ।

(३) विभागीय जांच के फलस्वरूप थानेदार की वार्षिक वेतन-वृद्धि दो साल के लिए रोकी गई एवं मोअत्तिल अवधि की ३/४ तनख्वाह भी जब्त की गई। जांच से रिश्वत लेना सिद्ध नहीं हुआ। अतः पैसे वापिस दिलाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

श्री मुरलीधर व्यास : जब उसे आपने सस्पेंड किया और उसके साथ ही साथ उसका दो साल का इन्क्रीमेंट रोका, तो क्यों रोका; उसने क्या गुनाह किया था ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने प्रश्नोत्तर में कहा है; आदमी को रोक कर रखा। इसी गुनाह की यह सजा दी गई है ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या इस बात का खास तौर पर पता चला कि तीन सौ रुपये रिश्वत के लिए हैं। आपने इन्क्वायरी कराई, परन्तु क्या इस मामले की जांच भी कराई कि इनने तीन सौ रुपये लिए हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : रेगुलर इन्क्वायरी की गई और उस जांच के दौरान कोई शहादत इस पक्ष में नहीं आई कि तीन सौ रुपये लिये गये और पिटाई की भी शहादत नहीं हुई। तीनों तथ्यों पर जांच की गई लेकिन एक तथ्य पर ही शहादत आई ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या सबलदान को भी जिसके साथ मारपीट की गई उसको बुलाकर जांच की गई है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : यह डाक्टरी मुआयने की रिपोर्ट है कि चोटें आई हैं और यह भी माना गया है कि उसे थाने में रोका गया है; तो क्या यह तथ्य इससे साबित नहीं होता कि उसे थाने में बुला कर पीटा गया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह प्रश्न सरकम्स्टांसेज का है। यह सही है कि उसको थाने में रोका गया, लेकिन जो साधारण चोटें हैं उनसे यह सिद्ध होता कि उसे थाने में पीटा गया है। डॉक्टरी जांच का नतीजा इससे नहीं निकाला गया है कि उसे थाने में रोक कर रखा गया।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : क्या जो डिटेन्श ऑफ अन-लॉ-फुल कन्फाइनमेन्ट हुआ है वह रोजनामचे में दर्ज है।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री मुरलीधर व्यास : सबलदानसिंह को बुलाकर पूछा या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : रिश्वत की भी शहादत पेश नहीं की गई और न हो मार-पिटाई की शहादत पेश की गई है। अगर शहादत पेश करते तो सजा दे दी जाती।

श्री मुरलीधर व्यास : इसने दरख्वास्त दी थी कि मेरे साथ मारपीट की गई है और मुझसे रिश्वत के रुपये लिये गये हैं। तो इनकी जांच करने के लिए सबलसिंह को भी बुलाया गया या नहीं ? उसको खुद को बुलाकर पूछना चाहिए था, उसके गवाहों से पूछना चाहिए था।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह दरख्वास्त मुझे ही दी गई थी और मैंने ही उसकी जांच करवाई है। मैं भी चाहता था कि इसकी पूरी जांच हो और अगर दोषी पाया जावे तो सजा दी जाय। इसकी शहादत मिल सकती थी। उसको शहादत लाने के लिये कहा गया, लेकिन वह नहीं लाया।

श्री मुरलीधर व्यास : सबलदानसिंह को बुलाकर पूछा गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : पूछा गया।

श्री मुरलीधर व्यास : कौनसी तारीख को पूछा गया ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री अध्यक्ष : श्री गंगासिंह।

मैडिकल कॉलेज के प्रथम वर्ष में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों के साथ अभद्र व्यवहार

श्री गंगासिंह (जायल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सत्य है कि मैडिकल कॉलेज, जयपुर में सर्व प्रथम जब लड़के भर्ती होते हैं, उस समय प्रथम वर्ष में नये लड़कों के साथ पुराने लड़के अभद्र व्यवहार करते हैं ?

(२) क्या यह सही है कि मैडिकल कॉलेज होस्टल में परेड के नाम से प्रथम वर्ष के नये लड़कों को इकट्ठा किया जाता है तथा उनके साथ दुर्व्यवहार व अनैतिकता बर्ती जाती है ?

(३) क्या ऐसी घटनाएं जयपुर में अन्य कॉलेजों में भी घटित होती हैं ?

(४) अगर यह सब सत्य है तो यूनिवर्सिटी व सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : इसके बारे में अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यह प्रश्न स्वास्थ्य मंत्री जी से सम्बन्धित है, मैडिकल कॉलेज स्वास्थ्य विभाग के अण्डर

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)
में है इसलिए इस प्रश्न को उनकी टर्न पर लें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : स्वास्थ्य तो आपका भी काफी अच्छा है ।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ बिश्नोई।

लूनी नदी के बांधों का सर्वे

३०९. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सत्य है कि लूनी नदी पर सांचोर में सांकरिया बांध, सूंतड़ी बांध व रतनपुरा गोमी बांध आदि की सर्वे काफी असें पहिले हो चुकी है और उनकी टेक्नीकल सेंक्शन भी हो चुकी है ? अगर हां, तो उपरोक्त बांधों का कार्य अब तक क्यों नहीं चालू कराया गया है ?

(२) उपरोक्त बांधों का कार्य कब तक चालू करा दिया जावेगा।

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी): (१) जी हां, सांकरिया बांध, सूंतड़ी बांध व रतनपुरा गोमी बांध आदि की सर्वे हो चुकी है। उनमें से तकनीकी स्वीकृति केवल सांकरिया की हुई है। अन्य योजनाओं की छानबीन हो रही है। कार्य शुरू करने का सम्बन्ध पंचायत समिति से है ।

(२) सांकरिया बांध का कार्य सांचोर पंचायत समिति को प्रारम्भ करना है व अन्य योजना भी यदि उपयुक्त पाई गई तो पंचायत समिति को तुरन्त सूचित किया जावेगा ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : पूरी नदी का सर्वे हो पाया है या नहीं, पूरे सब बांधों का ।

श्री दिनेशराय डांगी : सर्वे सब बांधों का हो चुका है। टेक्नीकल सेंक्शन सिर्फ एक की दी है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आपने एक की टेक्नीकल सेंक्शन दे दी और दो का सर्वे जारी है, लेकिन इस नदी का हजारों मन पानी कच्चे में फालतू चला गया है जिसका बहुत कुछ उपयोग किया जा सकता था। जब यह इतनी महत्वपूर्ण स्कीम है तो सरकार अपने लेवल पर इसको लेकर क्यों नहीं काम पूरा कराती है ?

श्री दिनेशराय डांगी : अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि एक की तो टेक्नीकल सेंक्शन दे दी गई है और दो का सर्वे चालू है; जब वह वह पूरा हो जाएगा तो पंचायत समिति को इण्टीमेशन दे दी जावेगी। यह स्कीम पच्चीस हजार से कम की है, जिस पर पंचायत समिति को ही कार्य करना है । वैसे इसका सीधा सम्बन्ध विकास विभाग से है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ी स्कीम है, पंचायत समिति के लिए यह बहुत बड़ी है, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के सर्वे विभाग ने भी इसको महत्व दिया है और यह बहुत प्रोडक्टिव स्कीम है। इसको काम में लेने से बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है इसलिए गवर्नमेंट को इसे अपने लेवल पर लेकर काम पूर्ण कराना चाहिये । पंचायत समिति के पास न तो कोई टेक्निकल स्टाफ है और न दूसरे साधन हैं; तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट को अपने लेवल पर कार्यवाही

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)
करनी चाहिए। यह बहुत प्रोडक्टिव स्कीम है, दो-तीन डिस्ट्रिक्ट को फीड कर सकती है।

सिंचाई मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : जहां तक इस स्कीम का सम्बन्ध है, इसमें दो की सर्वे और उसकी डिटेल्ड छानबीन चीफ इन्जीनियर ऑफिस के लेवल पर की जा रही है और एक की टेक्निकल संक्शन, जो करीब पांच हजार की स्कीम थी, उसकी संक्शन दी जा चुकी है और जैसा कि सदन के माननीय सदस्यों को मालूम है कि २५ हजार से नीचे की योजनाओं का काम पंचायत समितियों को ही करने का हक है इसलिए इनकी टैक्नीकल संक्शन दी जा चुकी है। अगर हम देखेंगे कि पंचायत समिति अपना काम करने में समर्थ नहीं हैं या वह हमसे कहती है कि हम काम नही कर सकते या उनके पास टैक्नीकल आदमी नहीं हैं तो उस स्थिति में हम इस पर विचार करेंगे। जैसा कि आपने कहा कि उस एरिया के अन्दर कच्छ का पानी जाता है, उसको बचा कर उसका ज्यादा उपयोग करके उत्पादन के काम में लाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में मैं आपको बता दूं कि एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर सर्वे का हैड क्वार्टर वहां पर ही है और वे काफी डिटेल में छानबीन कर रहे हैं, काफी बड़े पैमाने पर वे इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : क्या यह सही है कि इन सारी नदियों पर जो अभी बान्ध बन्धने हैं उनके स्पोट्स निश्चित कर दिये गये हैं कि फलां फलां जगह बान्ध बंधेंगे, ये स्पोट्स मुकर्रर कर दिये हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह मैं ऑफ हैण्ड नहीं कह सकता।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

चूरू जिले में ऊन का उत्पादन

३१० **श्री मोहरसिंह (चूरू) :** क्या पशु-पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) राजस्थान में सालाना कितनी ऊन पैदा होती है ?

(२) चूरू जिले में सालाना कितनी ऊन पैदा होती है ?

(३) सरकार ने चूरू जिले में ऊन उत्पादन की वृद्धि और ऊन के क्रय-विक्रय की व्यवस्था के लिए अब तक क्या कार्यवाही की है ?

(४) क्या सरकार चूरू जिले में ऊन के वर्गीकरण (ग्रेडिंग) केन्द्र खोलना उपयुक्त समझती है ? यदि हां, तो कब तक खोला जावेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

उप-मंत्री, पशुपालन (श्री भीम सिंह) : (१) राजस्थान में अनुमानतः २७३ लाख पौंड ऊन सालाना पैदा होती है ?

(२) चूरू जिले में अनुमानतः १४-४८ लाख पौंड ऊन सालाना पैदा होती है।

(३) इस समय चूरू जिले में सरकार ने ऊन उत्पादन की वृद्धि और ऊन के क्रय-विक्रय की व्यवस्था के लिए ६ भेड़ व ऊन बिकाऊ एवं कतरण केन्द्रों की स्थापना की है और प्रत्येक केन्द्र में एक सुपरवाइजर व दो स्टॉक असिस्टेन्ट्स की नियुक्ति की गई है। ये केन्द्र जिले के भेड़-पालकों को आधुनिक सुविधाएं व दवाएं उपलब्ध कराते हैं और उनको वैज्ञानिक ढंग से कटवाकर वर्गीकरण कराने का प्रबन्ध भी करवाते हैं। वर्गीकरण

(श्री भीमसिंह)
के पश्चात् भेड़-पालकों को एक रुपया साई देकर पंजीकृत कर लिया जाता है और फिर ऊन खरीदते समय ऊन का पैसा उसी समय तोल के अनुसार दे दिया जाता है ।

(४) चूरू जिले में अभी तक ऊन वर्गीकरण केन्द्र खोलने की योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है । क्योंकि चूरू जिले से प्राप्त ऊन पास ही नवलगढ़ संस्थापित वर्गीकरण केन्द्रों पर वर्गीकृत की जावेगी ।

श्री मोहरसिंह : झुन्झुनू जिले में चूरू जिले से ज्यादा ऊन पैदा होती है ।

श्री भीमसिंह : यह भी आपने अलग से प्रश्न पूछा नहीं है, इसलिए डिटेल्स में अर्ज नहीं कर सकता । सीकर और झुन्झुनू काफी ऊन पैदा करते हैं ।

श्री मोहरसिंह : दोनों मिलाकर चूरू जिले से ज्यादा पैदा करते हैं, तो नवलगढ़ में वर्गीकरण केन्द्र क्यों खोल दिया गया ?

श्री भीमसिंह : इसका स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते तो फिगर्स पेश करता । अभी मेरे पास कोई फिगर्स नहीं हैं ।

श्री नाथूलाल करोल (चाकसू) : जो आप ऊन कटवाते हैं भेड़ पर से वैज्ञानिक ढंग से, उसकी आपने रेट फिक्स कर रखी है या बाजार भाव से पैसे दिये जाते हैं ?

कृषि मंत्री (श्री नथूराम मिर्धा : हमारी) तरफ से ऊन की कोई फिक्स्ड रेट नहीं है । जिस समय ऊन कतरी जाती है उस समय हमारे वहां पर जो ऊन कतरने वाले लोग हैं उनको वहां पर तीन आदमियों की कमेटी है जिनको कि हम हमेशा यहां से मार्केट ट्रेंड और मार्केट प्राइस जो उस समय प्रिवेलेन्ट होती है भेजते हैं उस हिसाब से वे प्राइस तय करते हैं और फिर ऊन के दाम चुका देते हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया ।

टोंक जिले में मक्का की नीलामी

३११. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि टोंक जिले में मक्का के तीन गोदामों की करीब १७०० बोरी मक्का को दिनांक २९-९-६५ को डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर के द्वारा खुली नीलाम पर ६७ रु० क्विंटल के भाव पर बेची गई ?

(२) क्या यह भी सच है कि यह मक्का फसल के समय पर किसानों से सरकार द्वारा ३५) रु० क्विन्टल पर खरीदी गई थी ? यदि हां, तो इतना मुनाफा क्यों लिया गया?

(३) क्या यह भी सही है कि मक्का ऊंचे दामों पर व्यापारियों द्वारा इसलिए खरीदी गई थी कि उनको सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि इस मक्का को व्यापारी बिहार राज्य में भेज सकेंगे, जब कि अन्य मक्का को कोई व्यापारी राजस्थान से बाहर नहीं भेज सकता था ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

श्री उप-मंत्री, खाद्य (श्रीमती कमला बेनीवाल): (१) जी हां, १८०९ बोरी मक्का बेची गई ।

(२) जी नहीं । मक्का राजस्थान कोर्स ग्रेन (रेगुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर

(श्रीमती कमला बेनीवाल)
१९६४ के प्रावधान के अनुसार लाइसेंसिंग डीलर्स से ३७–५० पैसे प्रति क्विन्टल खरीदी गई थी।

(३) जी नहीं। जिलाधीश को यह निर्देश थे कि अगर इस प्रकार बेची गई मक्का की खपत राज्य में न हो तो यह मक्का राज्य के बाहर भेजने की अनुमति दी जा सकती है। राज्य के बाहर मक्का का विकास राजस्थान कोर्स ग्रेन (रेग्युलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर के तहत उस समय भी होता था।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या आप कृपा करके बतायेंगे कि खरीदी किस भाव में थी और बेची किस भाव में ?

खाद्य मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : बता दिया है सब, सवाल के जवाब में।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने उत्तर में बता दिया कि ३७ रु० ५० पैसे प्रति क्विन्टल में खरीदी और आखरी बोली लगी ६७ रु० प्रति क्विन्टल के हिसाब से।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या सरकार इसको ब्लैक मार्केटिंग नहीं समझती है कि ३७ रुपये में खरीदे और ६७ रु० में बेचे।

श्री नाथूराम मिर्धा : जी नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : क्या सरकार इसको प्रोफीटियरिंग नहीं मानती ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि इसकी वजह से बाजार में मक्का के दाम ऊंचे हुए हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : जी नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किस प्रकार से उसको उचित नहीं समझती है जब कि ३७ रुपये से खरीदी और ६७ रुपये में बेची; तो वह मक्का के प्राइसेज को ऊंचा करने में सहयोग नहीं दे रही है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : ३७ रुपये में खरीदना और ६७ रुपये में बेचना यह क्या प्रोफीटियरिंग की डेफिनिशन में नहीं आता ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रोफीटियरिंग ही नहीं, वे प्राइसेज को ऊंचा उठाने में मदद करती हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या माननीय मंत्री महोदय इसको स्टेट एन्टरप्राइज में एक प्रकार का रिटर्न मानते हैं।

एक माननीय सदस्य : 'जी नहीं' वाली क्या बीमारी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ३७ रुपये ५० पैसे में खरीदा इसलिए गया था कि किसानों के लिए मिनिमम प्राइस मक्का की ३६ रु० थी। उनको १ रुपये ५० पैसे ज्यादा देकर लेवी के बतौर जो मक्का राज्य ने अपने पास में ली, उसको अपने पास में रखा। वह पुरानी मक्का है, लास्ट ईयर की नहीं उससे पहले के साल की थी। जब उसकी हालत खराब स्थिति में जाने लगी और उसके सड़ने की गुंजाइश पैदा होने लगी और उस मक्का को लेने के लिए जब कि कई राज्यों के प्रतिनिधि भी यहां पर आये हुए थे; गुजरात, महाराष्ट्र उन्होंने भी उस मक्का को गवर्नमेंट एकाउन्ट पर

(श्री नाथूराम मिर्धा)

भी लेने से इन्कार कर दिया तो ऐसी सूरत में जब वह मक्का सड़ने की स्थिति में आने लगी तो सिवाय इसके कोई दूसरा चारा नहीं रहा, राज्य सरकार के पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि इसको खुले बाजार में लोगों से यह कहे कि जो खरीदना चाहता है वह बोली लगाये। हम ग्रॉक्शन के हिसाब से ही बेच सकते थे। ग्रॉक्शन में जिन लोगों ने खरीदा, जो ज्यादा बोली लगाई और जो उनसे पैसा आया वह राज्य के खजाने में आया। वह इस नियत से नीलाम नहीं की गई थी कि उससे मुनाफा कमाए, न मुनाफा कमाने का सवाल ही पैदा हुआ। पर चूंकि इसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता होता तो किसी प्रकार से दूसरा मतलब लगाया जा सकता था। तो सरकार के पास में नीलाम करने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं था। तो जिन लोगों ने बोली लगाई उन्होंने आगे कमाया या घाटा खाया, यह हमको मालूम नहीं। उसको सड़ने से बचाने की कोशिश नहीं करते तो यह कहा जा सकता था कि जान-बूझ कर खराब कर दी गई। ऐसी सूरत से बचने के लिए यही रास्ता था। दो-चार जगह खराब स्थिति थी, मक्का की थी, तो अखत्यार करना पड़ा।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल (बयाना): गरीब उपभोक्ताओं को क्या भाव मिली ?

श्री अध्यक्ष : आज सारे दिन इसी पर बहस है ?

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : टोंक में एक हजार के करीब परिवार ऐसे हैं जो मंहगाई की वजह से अन्न नहीं खा सकते हैं और शक्करकन्दी खाकर अपना गुजारा करते हैं। उन्होंने इस मक्का को बाजार भाव से उन्हें देने के लिए प्रार्थना-पत्र दिये थे कि यह मक्का उनको दे दी जाय, उनको न देकर पब्लिक ऑक्शन करके ऊंचे भाव पर बेचने का क्या कारण था ? ऐसा निश्चय क्यों किया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इस सम्बन्ध में जो अर्जियां आई थीं उसकी मुझे इस समय जानकारी नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया : अब उस मक्का की क्या स्थिति है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उसका ऑक्शन हो चुका है और लोगों ने ले ली है। ऑक्शन के पहले सबके लिए यह ओपन था कि क्योंकि राजस्थान के बाहर की स्टेट्स उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं है और यहां के लोग खरीदने के लिए तैयार नहीं हैं तो ऐसी सूरत में जहां कहीं भी बाहर उसको भेजना चाहेंगे वह भेज सकेंगे, यह सबके लिए कमिटमेंट ओपन था। इसको ध्यान में रख कर ऑक्शन को बोली लगी थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : किसानों को उचित दाम दिलाने वाली यह सरकार ३७ रुपये में उनसे ले और ६७ रुपये में बेचे, क्या यह न्यायोचित है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह आर्ग्यूमेंट करते रहेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस छोटी सी बात को आप समझते नहीं कि ३७ रु० में खरीदी और ६७ रु० में बेची, तो ३० रुपये क्विन्टल का मुनाफा क्या प्रोफिटियरिंग नहीं होता है ?

Page No 35

श्री नाथूराम मिर्धा : आपकी बातें समझ में आ जायेंगी।

श्री दयाराम (नौहर) : मक्का में ऐसी क्या चीज मिलाई गई थी कि ३७ रु० में उसको खरीदा और ६७ रु० में बेचा ?

श्री मानिकचन्द सुराणा ; ३७ रुपये में लें और ६७ रु० में बेचें, इसका कोई ऐतराज नहीं है; लेकिन एक तरफ तो यहां कन्ज्यूमर मरता रहा भूखों और उसको मक्का नहीं दी गई और दूसरी तरफ वह सड़ने को हालत में आ गई और उसको ऑक्शन कर दिया गया। सड़ने की हालत में पहुंचने से पहले क्या कन्ज्यूमर्स को देने का प्रयास राज्य सरकार ने किया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : राज्य सरकार पहले भी दे रही थी और आज भी दे रही है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : कन्ज्यूमर्स को मक्का नहीं दी जा रही है। आपका यह कहना गलत है। एक-एक हजार की लाइन तीन तीन दिन तक पड़ी रहती है; लेकिन उसको अन्न नहीं मिलता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री राधाकृष्ण गोयल : कन्ज्यूमर्स ने उसको डिमाण्ड किया था और उसको बाजार भाव से उन्हें देने के लिए उन्होंने आवेदन-पत्र भी दिये थे।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : माननीय अध्यक्ष कुछ मेरे स्थगित प्रश्न हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न बहुत हैं। माननीय सदस्य संयम न रखें समय के बारे में तो सारे प्रश्न नहीं लिये जा सकते हैं। किसी किसी प्रश्न पर तो २०-२० मिनिट लगते हैं तो प्रश्न रह सकते हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया ; स्थगित प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : वे भी रहेंगे।

शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए (कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

औषधालय का अपूर्ण भवन

३०३ **वैद्य श्री गोविन्दसहाय** (गंगापुर) :—क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ओर से औषधालय भवन बनाने के लिये प्रति वर्ष धन-राशि स्वीकृत होती थी ?

(२) क्या यह सही है कि डिस्ट्रक्ट बोर्ड भंग होने के बाद औषधालय भवन अपूर्ण पड़े हुए हैं ? यदि हां, तो कितने ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) इस विभाग को इसकी जानकारी नहीं है।

(२) डिस्ट्रक्ट बोर्ड से जिस प्रकार के औषधालय या भवन प्राप्त हुए हैं वे उसी प्रकार से हैं; अपूर्ण वांछित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

आयुर्वेदिक औषधालय रायपुर में नर्स

१२४. श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) आयुर्वेदिक औषधालय, रायपुर, पंचायत समिति पिड़ावा जिला झालावाड़ में नर्स (या दाई) कब से नहीं है ?

(२) क्या यह सही है कि जब से रायपुर मध्य भारत से राजस्थान में शामिल हुआ तब से ही वहां के आयुर्वेदिक औषधालय में नर्स (या दाई) की पोस्ट रही है ?

(३) क्या यह सही है कि ग्राम रायपुर की आबादी को देखते हुए ग्राम रायपुर में नर्स का होना अत्यन्त आवश्यक है और इसके अभाव में जनता रायपुर को कष्ट सहना पड़ता है।

(४) यदि हां, तो अब रायपुर में नर्स नियुक्ति कब तक हो जावेगी ?

उत्तर

(१) रायपुर में उप-वैद्य अथवा धात्री की एक पोस्ट है, और उस पर श्रीमती रुक्मिणी देवी दिनांक २६-१-६३ से काम कर रही है।

(२) जी हां।

(३) जब वहां श्रीमती रुक्मिणी देवी दिनांक २६-१-६३ से कार्य कर रही है तो फिर नर्स के अभाव का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(४) प्रश्न तो पैदा नहीं होता।

जामनगर आयुर्वेद स्नातकोत्तर प्रशिक्षण केन्द्र से उत्तीर्ण व्यक्ति

१२५. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने कृपा करेंगे:—

(१) जामनगर आयुर्वेद स्नातकोत्तर प्रशिक्षण केन्द्र से दो वर्ष के विशेष अध्ययन के पश्चात् नियमित उत्तीर्ण कितने व्यक्ति आयुर्वेद विभाग में सेवारत हैं ?

(२) भविष्य में ऐसी योग्यता वाले व्यक्तियों को सेवारत करने के संबंध में आयु संबंधी सामान्य नियमों में क्या कोई परिवर्तन किए गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं जबकि एलोपैथिक विशेष अध्ययन प्राप्त व्यक्तियों की आयु में ५० वर्ष तक ही सीमा निर्धारित की हुई है ?

उत्तर

१. निम्नलिखित व्यक्ति सेवारत हैं:—
   १. श्रीमती शैलकुमारी
   २. श्री रंगराम स्वामी
   ३. श्री बनवारीलाल मिश्र
   ४. श्री कृष्णदत्त शर्मा
   ५. श्री वेणीमाधव

२. आयु सम्बन्धी सामान्य नियमों में अभी ऐसे कोई परिवर्तन नहीं किये गये हैं।

राजकीय सैकेन्ड्री स्कूल, निवाई का परीक्षा फल

१२६. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राजकीय सैकण्ड्री स्कूल निवाई में सन् ६४-६५ में सैकन्ड्री

(श्री जयनारायण सालोदिया)
की परीक्षा में ११० लड़के बैठे जिनमें सिर्फ ३५ लड़के ही पास हुए ? यदि हां, तो इतने कम लड़के पास होने का क्या कारण है ? क्या इस सम्बंध में कोई जांच कराई गई है ? यदि हां, तो जांच से क्या तथ्य ज्ञात हुए ?

उत्तर

(१) राजकीय सैकन्ड्री स्कूल, निवाई में सन् ६४–६५ में परीक्षा में बैठने वाले छात्रों तथा परिणाम का ब्योरा निम्न प्रकार है:—

नाम	परीक्षा	प्रविष्टि उत्तीर्ण प्र०	द्वि०	तृ०	योग	परिणाम प्रतिशत
हाई स्कूल	११	०	१	२	३	२७
सैकं० स्कूल	९१	५	१६	१४	३५	३९

इतने कम छात्रों के पास होने का कारण परीक्षा की नवीन प्रणाली का आयोजन किया जाना है।

इस सम्बन्ध में और जांच की जा रही है।

लोहिया कालेज, चूरू में बिजली के पंखे

१२७. **श्री मोहरसिंह (चूरू)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि लोहिया कालेज चूरू में पढ़ने के कमरों तथा प्रयोग-शालाओं के कमरों में बिजली के पंखे नहीं हैं और इसके कारण विद्यार्थियों और अध्यापकों को बड़ी असुविधा रहती है ?

(२) यदि हां, तो सरकार उक्त कालेज में कमरों और प्रयोगशालाओं में बिजली के पंखे कब तक लगवा देने का विचार रखती है ?

उत्तर

१. जी हां।

२. आर्थिक कठिनाई के कारण इस वर्ष प्रावधान नहीं किया जा सका, अगले वर्ष अन्य कार्यों के साथ प्राथमिकता के अनुसार विचार किया जायेगा।

बारां की स्कूलों में यादव व जाटव जाति के विद्यार्थी

१२८. **श्री दयाचन्द सोन (बारां-सु०)**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) हाईस्कूल, मिडल स्कूल और गर्ल्स हायर सैकण्डरी स्कूल, बारां में कुल कितने विद्यार्थी यादव व जाटव जाति के शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ?

(२) इनमें से गत वर्ष उक्त कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिली ?

उत्तर

१. बारां के हायर सैकन्डरी, माध्यमिक और कन्या हायर सैकन्डरी स्कूलों में यादव व जाटव जाति के शिक्षा प्राप्त करनेवाले छात्रों की संख्या निम्न है:—

	सं० यादव	सं० जाटव छात्र
हायर सैकन्डरी	–	११
माध्यमिक शाला	५	३४
कन्या हायर सैकन्डरी	१	११

२. गत वर्ष व इस वर्ष यादव व जाटव जाति के छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले

Page No 38

(श्री शिक्षा मंत्री)

छात्रों की संख्या निम्न प्रकार है :—

	१९६४-६५		१९६५-६६	
	यादव	जाटव	यादव	जाटव
हायर सैकन्डरी	–	५	–	–
माध्यमिक शाला	–	५	–	–
कन्या हायर सैकेन्डरी	२	–	२	

लोहिया कालेज चूरू में बी० ए० (ग्रोनर्स) की कक्षाएं

१२९. **श्री मोहरसिंह** (चूरू): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार लोहिया कॉलेज, चूरू में लड़कों की संख्या को ध्यान में रखते हुए बी०ए० (ग्रोनर्स) की कक्षाएं चालू करने की ग्रावश्यकता ग्रनुभव करती है? यदि हां, तो कब तक ऐसा कर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है?

उत्तर

१; जी हां। लोहिया कालेज, चूरू में बी. ए. (ग्रोनर्स) की कक्षाएं जुलाई १९६४ से चालू करने के लिये संचालक, कॉलेज शिक्षा ने ग्रनुमति दे दी थी लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित योग्यता के छात्र उपलब्ध न होने के कारण कक्षाएं चालू नहीं की जा सकीं।

नदबई मिडल स्कूल में छात्रों के बैठने के लिए स्थान

१३०. **श्री सांवलियाराम** (रूपवास-सु.) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या नदबई गर्ल्स मिडल स्कूल में छात्राग्रों के बैठने के लिए पर्याप्त स्थान हैं?

(२) यदि नहीं, तो पूर्ति कब तक हो जावेगी?

उत्तर

१. जी नहीं।

२. (ग्र) सन् ६४-६५ में जनता द्वारा शाला के चारों तरफ चार दीवारी का निर्माण कराया गया था।

(ब) इस वर्ष ५ कक्षाग्रों के लिये टीन डाली जा रही है जो कि इस माह तक लग जायगी।

(स) व्यापार मंडल, नदबई इस वर्ष १ नवीन कक्ष ग्रौर बनवाने का ग्राश्वासन दे चुका है; दिनांक २०-१०-६५ से कार्य ग्रारम्भ हो जायगा। इस कार्य के लगभग २ माह में पूर्ण होने की ग्राशा है।

करौली में कालेज के नए भवन का निर्माण

१३१. **महाराज कुमार श्री बृजेन्द्रपाल** (करौली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि करौली में कॉलेज के नये भवन के निर्माण हेतु एक लाख रुपये स्वीकृत किये गये थे?

(२) क्या विश्वविद्यालय ग्रनुदान ग्रायोग (यूनिवर्सिटी) ग्रान्ट्स कमीशन ने भी उक्त भवन के लिये कुछ राशि स्वीकृत की है?

(३) क्या उक्त भवन के लिये पहले से ही भूमि ग्रवाप्त कर ली गई है? यदि हां, तो कितनी?

Page No 39

(श्री शिक्षा मंत्री)

उत्तर

१. जी नहीं।

२. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से इस सम्बन्ध में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कॉलेज के नये भवन निर्माण हेतु कुछ भी राशि प्रदान नहीं करता है। यह केवल कालेज के विकास (प्रोजेक्ट) के लिये ही अनुदान देता है। भूमि प्राप्ति हेतु कार्यवाही चल रही है। ४७ बीघा १२ विस्वा भूमि अवाप्ति हेतु राजस्थान भूमि अवाप्ति एक्ट की धारा ४ के अन्तर्गत नोटिस जारी हो चुके हैं, सब डिवीजनल ऑफिसर करौली ने सूचित किया है कि अभी इस संबंध में धारा ६,७ व ९ के तहत नोटिस जारी किये जायेंगे जिसकी कार्यवाही चल रही है।

भरतपुर कालेज में रात्रि—कक्षाएं

१३२. **श्री सांवलियाराम** (रूपवास-सु०) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार भरतपुर कॉलेज में रात्रि कक्षायें खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

१. इस वर्ष भरतपुर में रात्रि कक्षाएं नहीं खोली जा सकीं। यदि भारत सेवक समाज सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा निर्धारित करने पर भवन किराया देने को तैयार हो और रात्रि कक्षाओं का पूर्ण अधिकार प्रिन्सीपल, कॉलेज भरतपुर के अधीन रखने के निर्णय पर राजी हो तो अगले वर्ष से रात्रि कक्षाएं खोलने पर विचार किया जा सकता है।

नागौर हायर सेकेन्डरी स्कूल का परीक्षा-फल

१३३. **श्री गंगासिंह** (जायल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(१) नागौर हायर सेकन्डरी स्कूल कब से खोली गई ?

(२) सन् १९६० से १९६५ तक उपरोक्त हायर सेकन्डरी स्कूल से फाइनल परीक्षाओं में हर साल कितने कितने विद्यार्थी बैठे ? और उनमें से कितने उत्तीर्ण हुए तथा परीक्षा-फल कितने प्रतिशत रहा।

उत्तर

१. हायर सेकन्डरी स्कूल, नागौर सन् १९५५ से आरम्भ हुआ। इससे पहले यह हाई स्कूल था।

२. सन् १९६० से १९६५ तक फाइनल परीक्षाओं में जो विद्यार्थी बैठे, पास हुए आदि का ब्योरा निम्न प्रकार है:—

सत्र	परीक्षा में बैठे	उत्तीर्ण हुए	प्रतिशत
१९६०-६१	५२	२८	५४
६१-६२	८५	५०	६०
६२-६३	७०	३८	५४
६३-६४	८५	६४	७५॥
६४-६५	१३१	८९	६८

प्राइवेट स्कूलों को सरकारी सहायता सम्बन्धी नियम

१३४. **श्री अमरसिंह** (दूदू) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No 40

(श्री अमरसिंह)

(१) आदर्श बापू विद्यालय चांदपोल, जयपुर को सालाना कितनी सरकारी सहायता दी जाती है ?

(२) प्राइवेट स्कूलों को सरकारी सहायता देने सम्बन्धी नियमों की कॉपी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

१. आदर्श बापू विद्यालय, चांदपोल-जयपुर सहायता प्राप्त स्कूलों की सूची में नहीं है।

२. नियमों की प्रति राजस्थान राज पत्र दिनांक २४-१-६३ भाग ४ (ग) में प्रकाशित हो चुकी है।

तहसील दूदू के ग्राम सावरदा की माध्यमिक स्कूल का भवन

१३५. **श्री अमरसिंह (दूदू)**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(अ) तहसील दूदू के ग्राम सावरदा की माध्यमिक स्कूल के लिए भवन कहां से प्राप्त हुआ और कब प्राप्त हुआ ?

(ब) सरकार ने आज तक कितनी बार इस भवन की मरम्मत करवाई ?

(स) क्या इस समय इस भवन की बावड़ी को साइड जीर्ण अवस्था में हैं ?

(द) क्या स्थानीय पंचायत की तरफ से इसकी मरम्मत के लिए कभी विभाग को लिखा गया था ?

उत्तर

(अ) यह भवन ठाकुर साहब गोपालसिंह के वंशजों द्वारा दिया गया था।

(ब) इसकी सूचना इकट्ठी की जा रही है; प्राप्त होने पर प्रस्तुत कर दी जावेगी।

(स) जी हां, कुछ जीर्ण अवस्था में हैं।

(द) जी नहीं।

ग्राम बगड़ी (जिला पाली) स्थित शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र

१३६. **श्री मोहनराज (बाली)**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम बगड़ी (जिला पाली) स्थित शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र पर पीने के पानी की भारी कमी होने के कारण अध्यापक व छात्रों में तीव्र असन्तोष फैला हुआ है और इस सम्बन्ध में उन्होंने काफी अर्से से आवेदन-पत्र भेज रक्खे हैं ?

(२) क्या राज्य सरकार बगड़ी ग्राम में पानी की कमी को देखते हुए इस केन्द्र को किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर स्थानान्तरित करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

(३) क्या यह सही है कि इस केन्द्र पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अध्यापक-छात्रों से मकान-किराया प्रति माह १ रुपया वसूल किया जाता है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

उत्तर

१. पानी की कमी अवश्य है। इस सम्बन्ध में छात्राध्यापकों द्वारा कोई पत्र प्राप्त

(श्री शिक्षा मंत्री)
नहीं हुआ है इसलिये असन्तोष का प्रश्न ही नहीं उठता।

२. जी हां, सन् १९६४ में विचार किया गया था लेकिन स्थानान्तर करना सम्भव नहीं हो सका।

३. जी हां। नोमिनल फीस एक रुपया पर सीट उन मामूली होस्टलों में जिनमें के कमरे २ सीट से ज्यादा हैं वसूल की जाती है। अगर लाइट व पानी की सहूलियत नहीं है तो वह उनसे वसूल नहीं किए जाते।

सरदार गवर्नमेंट हाई स्कूल, उनियारा का भवन

१३७. दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सरदार गवर्नमेन्ट हाई स्कूल, उनियारा, जिला टोंक का भवन अधूरा पड़ा है ?

(२) क्या यह सही है कि इस भवन के आठ कमरों में से चार उनियारा की जनता द्वारा जन सहयोग के रूप में दिये गए हैं ?

(३) क्या यह सही है कि इस स्कूल में प्रत्येक वर्ष विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है ?

(४) क्या सरकार इस भवन को शीघ्र पूरा कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब।

उत्तर

१. जन-सहयोग द्वारा बनाये जा रहे नये तीन कमरे अधूरे हैं। जिनमें से एक पटाव तक चुना जा चुका है। अन्य दो की नींव मात्र भरी है, शेष कमरे पूरी तरह से उपयोग में आते हैं।

२. हां—चार कमरे उनियारा की जनता द्वारा निर्मित कराये जाकर जन सहयोग के रूप में दिए गये हैं।

३. हां—सन् १९६२-६३, १९६३-६४ १९६४-६५ और १९६५-६६ में छात्र संख्या क्रमशः २५८, २९०, ३४१ और ३८७ रही है।

इस वर्ष के बजट में अभी तक इसका कोई प्रावधान नहीं।

(१२.२८ म. प.)

स्थगन-प्रस्तावों विषयक अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : कुछ माननीय सदस्यों ने स्थगन-प्रस्तावों की सूचनाएं दी है। श्री मुरलीधर व्यास ने बिजली की कमी के बारे में एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है। श्री मानसिंह महार ने भी इस प्रकार के प्रस्ताव की सूचना दी है और अन्य माननीय सदस्यों ने भी इस समस्या के बारे में प्रश्न उठाने की सूचना दी है। सरकार से निवेदन किया गया है कि मंत्री महोदय कल इसके ऊपर एक विस्तृत वक्तव्य दें कि सारे राज्य में बिजली की क्या स्थिति है और कितनी कमी है और क्या स्थिति है इसके बारे में। अतः इन प्रस्तावों पर कोई कार्यवाही की जाय ऐसा आवश्यक नहीं।

माननीय सदस्य श्री मानिकचन्द सुराणा ने एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है कि जयपुर के व्यापारियों ने जो एक लाख रुपया इकट्ठा किया था उसका किसी प्रकार से

(श्री अध्यक्ष)
उपयोग हुआ या नहीं हुआ। यह प्रश्न ऐसा है कि जो आज बहस के दौरान उठाया जा सकता है। इसलिये कोई आगे कार्यवाही की जाय, यह आवश्यक नहीं।

माननीय सदस्य, श्री केदारनाथ व श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ने गंगानगर जिले में पानी की कमी के बारे में एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है। मंत्री महोदय से निवेदन किया गया है, कल इसके बारे में वक्तव्य दें।

माननीय सदस्य, श्री मुरलीधर व्यास ने दो अन्य स्थगन-प्रस्तावों की सूचना दी है जिनके विषय में कोई कार्यवाही की जाय ऐसा उचित प्रतीत नहीं होता है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): एक म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारियों को दो महीने का वेतन नहीं मिला है.........

जन-लेखा समिति में रिक्त स्थान की पूर्ति

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि जनलेखा समिति, १९६५-६६ के एक रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये एक सदस्य के निर्वाचन हेतु निम्नलिखित दो उम्मीदवार नामजद किये गये हैं:—

१. श्री नाथूराम (१२७)
२. डॉ० पोहूमल ईसरदास (१३१)

इनमें से यदि कोई सदस्य अपना नाम वापस लेना चाहें तो वे अपना नाम आज सदन में वक्तव्य द्वारा जिसमें केवल इस तथ्य को ही व्यक्त किया जाना चाहिए वापिस ले सकते हैं।

श्री ईसरदास पोहूमल (अजमेर पश्चिम): अध्यक्ष महोदय, I with draw my name.

श्री अध्यक्ष: श्री नाथूराम को जनलेखा समिति का सदस्य घोषित किया जाता है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी ११वें व १२ वें प्रतिवेदन

(सदन की मेज पर रखना)

श्री रामप्रसाद लड्ढा, (उपमंत्री, राजस्व): अध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के निम्न प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:—

११ वां प्रतिवेदन सन् १९६१-६२ (भाग १ व २)

१२ वां प्रतिवेदन सन् १९६२-६३ (भाग १ व २)

श्री अध्यक्ष: राज्य की खाद्य स्थिति पर विचार। मंत्री महोदय अपना प्रस्ताव रखें।

(१२.११ म. प.)

राज्य की खाद्य स्थिति पर विचार-विमर्श

श्री नाथूराम मिर्धा (खाद्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, कि राज्य की खाद्य स्थिति पर विचार किया जाय।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम इस सदन में हमारे राज्य की और सारे देश की जो खाद्यान्न की स्थिति है उस पर विचार करने जा रहे हैं। मैंने माननीय सदस्यों के सामने राज्य की खाद्यान्न की स्थिति की कुछ जानकारी देने के लिये एक नोट सबको सर्कयूलेट किया है। माननीय सदस्यों ने उस

(श्री नाथूराम मिर्धा)

नोट का अध्ययन कर लिया होगा और वे आज अपने विचार, जो कुछ दिशाएं जिसके बारे में हम जिस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनका संकेत इस नोट में है उस पर वे अपने विचार सदन के समक्ष रखेंगे। जैसा कि इस सदन में बैठने वाले सभी माननीय सदस्यों को भान है. यह खाद्यान्न समस्या आज हमारे देश की ही समस्या नहीं है बल्कि आने वाले कुछ वर्षों में एशिया के बहुत कुछ देशों में एक बड़ी समस्या बनने जा रही है। जिस प्रकार खाद्यान्न के उत्पादन की जो रफ्तार दुनियां के देशों में है और दूसरी ओर बढ़ती हुई जन-संख्या के हिसाब से जो अनुपात होना चाहिए उसको देखते हुए दुनिया के जो बड़े-बड़े विशेषज्ञ हैं उनका मत है कि आने वाले सन् ८० के साल तक यह खाद्यान्न का संकट बना रहने वाला है। अमेरिका की एक एग्रोनोमी सोसाइटी है वह दुनिया के जितने आंकड़े इस सम्बन्ध में हैं और जो तरक्की खाद्यान्न के बारे में हुई है उन सबका बहुत बड़ा विश्लेषण उसने किया है।

आज से २० साल पहले एशिया के बहुत बड़े देश; खास तौर से अफ्रीका, हिन्दुस्तान, चीन और दूसरे छोटे-मोटे देश जो दुनिया के इस पर्दे पर रहते हैं इन देशों में २० सालों में जो परिवर्तन हुआ है दुनिया के ३ बिलियन पोपुलेशन में से ढाई बिलियन पोपुलेशन एशिया में रहती है और जिस रफ्तार से पोपुलेशन बढ़ रही है वह रफ्तार कम-से-कम दो ढाई परसेन्ट के नजदीक है। दुनिया के इन सब देशों में जहां आज से २० साल पहले दुनिया के इस हिस्से में पैदा किया हुआ खाद्यान्न करीब ५ बिलियन टन उस हिस्से में जाता था जहां पर आज ज्यादा खाद्यान्न पैदा करने वाले लोग हैं; खास तौर से अमेरिका, केनैडा, यूरोप के कुछ देश, दक्षिण एफ्रीका, ये जितने देश हैं उनको इधर के रहने वाले देश ५-७ मिलियन टन ज्यादा अनाज पैदा करके भेजते थे वहां आज दुनिया के उस हिस्से के देश दुनिया के उस हिस्से के देशों को बेकवार्ड टर्मिनोलोजी के वर्डिंग्ज में कहा गया है उनको आज उधर के देश करीब ९० लाख टन खाद्यान्न सारे उन देशों से इधर आने लगा है। करीब ९० मिलियन टन अनाज उधर से इधर आता है। उन्होंने सारे कारणों का विश्लेषण किया है। इन देशों में जितनी जमीन थी और उस पर जितना उत्पादन हो सकता था और इस हिसाब से जितनी कार्यवाही होनी थी वह काफी हद तक हो चुकी है। आगे की स्टेज में जनसंख्या बढ़ रही है। आज यह एक ही सबसे बड़ा प्रश्न दुनिया के सामने रहता है कि किन तरीकों से हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन तेज रफ्तार से बढ़ा सकते हैं और इसके लिये कई तरह की प्रैक्टिस आवश्यक है। इन पिछड़े देशों में इन साधनों की कमी है इसलिये पूरे आंकड़ों में प्रोडक्शन इन देशों में नहीं बढ़ रहा है जितना उधर के पर्दे के देशों में बढ़ रहा है। इसलिये आने वाले १०-२० साल तक सन् ८० तक बहुत बड़ी खाद्यान्न समस्या दुनिया में आने वाली है। इस स्थिति का आज देश में आवागमन शुरू हुआ है। इसका असर हमारे राज्य पर ही नहीं बल्कि हमारे देश में रहने वाली जनता पर पड़ रहा है। यह बहुत बड़ी समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है; इस बात को सदन के हर कोने में बैठने वाले माननीय सदस्य अहसास और महसूस करेंगे।

इसके साथ साथ हमारे देश में सीजन या मानसून की वेगरीज रही हैं, उनका असर

(श्री नाथूराम मिर्धा)

हमारे पर भी है। राजस्थान में पिछली साल उत्पादन की दृष्टि से कुछ नॉर्मल वर्ष कहा जा सकता है । जहां पिछले साल कुल खाद्यान्न का उत्पादन ५८ लाख टन था खास तौर से कोर्स और खरीफ का उत्पादन, जिसमें खास तौर से तीन चीजें शरीक कर लें; जवार, बाजरा और मक्का : उनका उत्पादन हमारे राज्य में पिछले साल २५ लाख टन था। इस साल बरसात देरी से शुरू हुई और कहीं कहीं पर एक या दो बरसात ही हुई और कहीं कहीं पर एक या दो बरसात की कमी रह गई । इसके कारण कुछ जिलों में नदियों में पानी की कमी के कारण, झीलों और बांधों में पानी की कमी के कारण हमारे यहां इस साल खाद्यान्न का उत्पादन कई एरियाज में ज्यादा नहीं होने वाला है और स्थिति काफी गंभीर है। वैसे आंकड़े समुचित अभी तक नहीं आये हैं, फर्स्ट फोरकास्ट नहीं आया है लेकिन इस साल के लिये जैसा अन्दाज लगा सकते हैं, कई माननीय सदस्य खुद काश्तकार हैं और अलग अलग इलाकों में जाते हैं उनको पता होगा कि कई इलाकों में तो आठ आना जमाना भी नहीं है: जहां अकाल है उन इलाकों को छोड़ दीजिये । इसके अलावा खाद्यान्न का उत्पादन करीब करीब १२-१३ लाख टन ज्यादा से ज्यादा १४-१५ लाख टन से अधिक होने वाला नहीं है ऐसा मानकर चलना चाहिए। इस तरह पिछले साल के मुकाबले में काफी कम है । पिछले साल जो रबी का उत्पादन था उतना इस साल नहीं होने वाला है, कम होने की आशा है । ऐसी सूरत में जब हमारे पास उत्पादन की कमी है पिछले साल के मुकाबले में जैसा कि नोट में आंकड़े देकर बताने की कोशिश की है, जो उत्पादन हुआ है, स्टेट अकाउण्ट में जो ट्रेडिंग हुआ है उसके अतिरिक्त जो खाद्यान्न राजस्थान में पिछले साल ५८ लाख टन का उत्पादन था उसमें से जितना बाहर गया है वह भी आपके सामने है ।

पिछले साल खाद्यान्न की खपत ३९ लाख टन मान लें, ४० लाख टन या ४१ लाख टन मान लें तो जो उत्पादन हुआ है और जितना बाहर गया है उसके बाद जो कुछ रहता है उसके साथ इस साल के उत्पादन को जोड़ें तो निश्चित तौर से जो हमारे यहां तकलीफ पिछले महीनों में रही है उससे कुछ और ज्यादा तकलीफ सामने आने वाले दिनों में राजस्थान में आ सकती है। इसको फेस करने के लिये हम क्या करें, इस बारे में कुछ सुझाव नोट में देने की कोशिश की है। जो उत्पादन हमारे यहां है उसको इस तरह रेगुलेट करें कि कुछ खाद्यान्न का स्टॉक राज्य सरकार के पास बन सके । ये स्टॉक्स कुछ निश्चित तरीके से लेने पड़ेंगे। इसके लिये राज्य सरकार ने जो विचार किया है मैं उसकी जानकारी देना चाहता हूं कि वह खाद्यान्न का स्टॉक, जितना प्रोडक्शन हो उसके हिसाब से, मार्केट के अन्दर आने की आशा कर सकते हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने सोचा है कि आने वाली खरीफ की फसल के मौके पर करीब डेढ़ लाख टन का स्टॉक राज्य सरकार को बनाना चाहिए और उस डेढ़ लाख के स्टॉक को बनाने के लिए राज्य सरकार को किसानों के पास में जाना पड़ेगा, किसानों से बतौर लेवी के रूप में कुछ न कुछ खाद्यान्न राज्य सरकार को लेने की आवश्यकता पड़ेगी,

(श्री नाथूराम मिर्धा)

वह करीब १ लाख टन या उसके लगभग किसानों से लेवी के रूप में लेना चाहते हैं। हम उसमें सोचते हैं कि जो छोटे किसान हैं, जिनकी कम पैदावार है, जो स्केर्सिटी के एरियाज हैं ऐसे किसानों को इस सीमा से कुछ परे रख कर दूसरे किसानों से किस आधार पर लेना है उसकी डिटेल्स बनाने की आवश्यकता है, उसके बाद में एक लाख टन के लगभग राज्य सरकार खाद्यान्न किसानों से लेना चाहती है, इसके अलावा पचास हजार टन का स्टॉक हम चाहते हैं वह राज्य सरकार श्रोपन मार्केट से बनाये। पंजाब सरकार ने जिस प्रकार से खरीदारी की है, उसी प्रकार नियम और कानून बना कर उस प्रकार का स्टॉक राज्य सरकार को बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। इस तरह हम डेढ़ लाख टन का स्टाक बनाना चाहते हैं। अब रबी की फसल आये तो रबी की फसल के बारे में, जैसे माननीय सदस्यों के विचार आये हैं, हम सोचते हैं कि ज्यादा खाद्यान्न का प्रॉडक्शन हो, इस दृष्टि से किसानों को प्रोडक्शन इन्सेन्टिव दिया जाय और इसके अनुसार जितना वहां नहर का पानी मिलने का स्रोत हो, जिससे सिंचाई हो सके और दूसरी तरह के पानी के मिलने के स्रोत हो सकते हैं, ऐसे इरिगेशन के सोर्सेज देकर किसानों को प्रॉडक्शन के लिए कहा जाय और उसके साथ ही इसके पीछे कानून और नियम की आवश्यकता हो, तो वह बना कर उनको फोर्स दिया जाय। इसको राज्य सरकार जल्दी ही करना चाहती है।

आने वाले सीजन में गेंहूं, जो, चने का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा किया जाय, उसके लिए हम उनको ज्यादा से ज्यादा पानी देने की व्यवस्था करेंगे। पानी की, जैसा मैंने आपसे कहा काफी कमी है और एकरेज में और भी सिक्रेज होगा, लेकिन फिर हम जितना पानी दे सकते है काश्तकारों को माकूल उत्पादन करने के लिये वह देंगे जिससे लोगों को पानी मिल सके और उसके बाद वे रबी में इन खाद्यान्नों की अच्छी काश्त हो। उसके बाद भी स्टॉक बनाने के लिए राज्य सरकार को किसानों के पास जाना पड़ेगा और किसानों को कहना पड़ेगा कि हम इस प्रकार का कॉंट्रीब्यूशन उनसे स्टॉक बनाने के लिये लेवी के रूप में लेना चाहते हैं। आने वाली फसल जब तक हो सके तब तक के लिए राज्य सरकार डेढ़ लाख टन खाद्यान्न का स्टॉक बनाना चाहती है। अभी जो राज्य सरकार के पास मौजूदा स्टॉक है, उसके जरिये हम नवम्बर के आस पास तक पहुंच जायेंगे, तब तक आने वाली फसल आयेगी, तब हम नया स्टॉक बनाना चाहेंगे। इसके अलावा जैसा कि इस सदन के माननीय सदस्यों को मालूम है, खाद्यन्न की स्थिति राजस्थान में ही नहीं, हिन्दुस्तान में भी काफी मुश्किल ही रहेगी क्योंकि हिन्दुस्तान का जितना पिछली साल उत्पादन रहा था, जो उत्पादन पिछली वर्ष हुआ था उस साल के मुकाबले में यह साल उत्पादन की दृष्टि से वैसा नहीं होगा, इस साल उत्पादन कम रहेगा।

पिछली साल सम्पूर्ण देश का उत्पादन करीब ८९ मिलियन टन था। इस साल हमारे सम्पूर्ण देश में, हम सोचते हैं, निश्चित रूप से उससे कम होगा। तो भारत सरकार के सामने भी खाद्यान्न की स्थिति से बहुत गम्भीर समस्या है। इसके

(श्री नाथूराम मिर्धा)

अलावा जो इम्पोर्टेड व्हीट है; जो गेहूँ का बाहर से आने का स्त्रोत है, उसके सम्बन्ध में भी आज जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, वह मेरे ख्याल से, माननीय सदस्यों की जानकारी से परे नहीं होगी। आज जिस प्रकार पी० एल० ४८० के बारे में यूनाइटेड स्टेट्स हमारे साथ में स्थिति बना कर चल रहा है और जिस प्रकार धीरे धीरे माल को रिलीज करने की कोशिश कर रहा है। अभी जो एग्रीमेंट हुआ है, जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है, जो इम्पोर्टेड व्हीट के लिए हुआ है, और जैसे अमेरिका ने गेहूं देने की बात कही है, जो यह गेहूं थोड़े दिनों देने की बात कही–इस प्रकार जो बाहर से गेहूं, इम्पोर्टेड गेहूं आने का स्रोत्र है वह हमसे कुछ आशायें लेकर चलता है और एक प्रकार का एग्रीमेंट कराने के लिए हिन्दुस्तान के ऊपर कुछ प्रेशर डालना चाहता है, यानि हिन्दुस्तान उसकी बात माने और जिस प्रकार पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच में विवादग्रस्त मामला है, उसमें हिन्दुस्तान अपना रुख इस प्रकार मोड़े तब जाकर वह उस एग्रीमेंट पर साइन करें और तब ज्यादा खाद्यान्न आने लगे, इस दृष्टिकोण से यह नीति लागू की हैं। इस स्थिति में हमें यह मान कर चलना पड़ेगा और मैं समझता हूं कि इस बात को यह सदन भी स्वीकार करेगा कि हम किसी के दवाब में नहीं आयेंगे चाहे हमें अपनी बेल्ट टाइटन करनी पड़े, चाहे और कठिनाई हमें उठानी पड़े, हम कोई भी ऐसी बात इस वक्त दवाब में आकर नहीं करना चाहते हैं।

यदि खाद्यान्न को लेने के दृष्टिकोण से देश की प्रतिष्ठा का प्रश्न खड़ा होता है तो यह जरूरी है कि हम उस दवाब में न आयें। यह मसला ऐसा है जिसके सम्बन्ध में हमें बहुत बड़े देश के हित को सामने रख कर सोचना है। इस प्रकार जो इम्पोर्टेड ग्रेन आता है उसका भी प्रेशर अभी तक रहा है। इस प्रेशर को इतना मान कर चलें कि इसे दूर कर सकते हैं तो यह मान कर नह चल सकते हैं। ऐसी सूरत में राज्य सरकार के पास जो कुछ स्टॉक बने और जो कुछ स्टॉक भारत सरकार दे सके उस सारे स्टॉक के बारे में निश्चित तौर से कुछ कहने की मैं स्थिति में नहीं हूं। कितना केन्द्र हमें देगा, यह नहीं कह सकता। अभी तक जो रफ्तार रही है, केन्द्र दस हजार टन राजस्थान को आयाती गेहूं देता है। जब केन्द्र को हमने बहुत कहा तो पन्द्रह हजार टन गेहूँ पिछले माह में मिला है। यह स्थिति कब तक रहेगी और आगे इसमें क्या परिवर्तन होंगे, यह कहने की अभी स्थिति में नहीं हूँ। राजस्थान के अन्दर अभी अकाल की स्थिति है, उसको हम भारत सरकार के सामने रखते हैं, और जो खाद्य स्थिति मे आने वाली कठिनाइयां हैं उसको भी राज्य सरकार ने हमारी भारत सरकार के सामने रखा है और अपनी बात भी कही है। लेकिन भारत सरकार की भी सीमायें हैं, दूसरे हमारे देश में जो उत्पादन होगा और जो इम्पोर्ट करने की स्थिति होगी इन सारी बातों के बारे में नोक झोंक करके भारत सरकार को इन सारी बातों पर, मसलों पर फैसला करना पड़ेगा। ऐसी सूरत में मैं सोचता हूँ इस सदन के माननीय सदस्य इन गम्भीर परि.

(श्री नाथूराम मिर्धा)

स्थितियों को सामने रखते हुए, जो मुश्किलें हमारे सामने आने वाली है उनको सामने रखते हुए ऐसे रचनात्मक सुझाव इस सदन में रखने की कृपा करेंगे जिसकी वजह से निश्चित काम और शक्ति के साथ काम करने की प्रेरणा मिले। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आज इस सदन में जो सभी माननीय सदस्य बैठे हैं वे सारे देश की परिस्थितियों से और राज्य की परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं और गम्भीर समस्याओं से वाकिफ हैं, परिस्थितियों और समस्याओं से परिचित हैं। इसलिए आज के वातावरण में, जब कि जो वातावरण चार-छः महीने पहले था उसमें और आज के वातावरण में बहुत अन्तर है, उस वातावरण के अन्तर को इस सदन में बैठे हुए माननीय सदस्य महसूस करते हैं। इसलिए आप अपनी दलीलों के अन्दर और अपनी बहस के अन्दर इस प्रकार के ज्यादा से ज्यादा रचनात्मक सुझाव हमारे सामने रखने की कोशिश करें हम ओपन माइन्ड से उन सारी बातों के ऊपर गम्भीरता से विचार करने की कोशिश करेंगे, उनमें से जितने माकूल सुझाव होंगे उनको मानेंगे क्योंकि इसमें न तो राजनीति का कोई मसला है और न पार्टी का मसला है, यह सारे देश की समस्या है। उस समस्या से देश को बाहर निकलने के लिए हमको और आपको गम्भीरता से चिन्तन करना पड़ेगा। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस बारे में उतनी ही है और गम्भीरता से इस स्थिति को महसूस करती है। इसमें और किसी प्रकार सोचने का आधार नहीं होना चाहिए। अब मैं आप लोगों का और सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता और इस मौके पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैं आपकी बातें सुन कर अपना दिमाग बनाने की कोशिश करूंगा और उसके बाद जो आपके ऐसे सुझाव होंगे जिनका निर्णय यहां संकेत रूप में दिया जा सकता है, उस बात को मैं आपके सामने अपने उत्तर में कहना पसन्द करूंगा और उसके बाद में बहुत से मसले ऐसे हो सकते हैं जिनके बारे में इस वक्त मेरे उत्तर देने से या विचार करने से पूरा न पड़े तो उन पर राज्य के मंत्रिमंडल के लेवल के ऊपर विचार करके निर्णय करना पड़ेगा। तो इस पर जितने भी लोगों के दृष्टिकोण उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से, जो अपना महत्व आज की परिस्थिति में रखना है, खाद्य समस्या को हल करने के बारे में आये उन सबको समझ कर इस स्थिति पर ज्यादा से ज्यादा काबू पाया जा सके इसका प्रयत्न करना है जिससे किसानों को, सरकार को और व्यापारी को, कन्ज्यूमर को भी हम ज्यादा से ज्यादा आज की परिस्थितियों में जो राहत दिलाने की व्यवस्था कर सकते हैं उसकी करने की कोशिश कर सकें।

मैं सोचता हूं कि सब माननीय सदस्य बहुत गम्भीरता के साथ इन पहलुओं पर विचार करके अपने सुझाव सदन के सामने रखेंगे और आपके सुझाव अच्छी तरह पॉइन्ट्स के बतौर सारे मसले पर आते हैं तो उस प्रकार आपको कहने में भी आनन्द मिलता है और हमें भी कॉन्क्रीट सुझाव होने से विचार करने में सहूलियत ज्यादा है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा

(श्री नाथूराम मिर्धा)

कि आज की गम्भीरतापूर्ण स्थिति को सामने रख कर जो समस्या के गम्भीर और पेचीदे पहलू हैं उन पर आप विचार करेंगे। इन शब्दों के साथ में मैं निवेदन करूंगा कि इस बहस को हम शुरू करें।

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ) राते पार्टी मीटिंग मां ज्यादा तंग किया दीखे।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष आज की खाद्यान्न स्थिति के बारे में विवेचन की बात चली और जिस प्रकार से मंत्रीजी ने इसकी शुरुआत की वह तो बहुत अच्छी चीज है। मैं मानता हूं कि यह समय आपस में एक दूसरे पर छींटा–कशी करने का नहीं है। देश एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है और इस समय हमको पार्टी या दलगत राजनीति से देश को ऊपर उठाने की ओर विचार करना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए और मंत्री के लम्बे चौड़े सरमन्स को सुनने के बाद मैं भी प्रेरित हुआ कि कुछ तथ्य सदन के सामने इस संबन्ध में रखे जावें और कन्स्ट्रक्टिव सुझाव दिये जावें। इसलिये सरकार जब इस डिबेट का जवाब दे उस समय जरूर इसका जवाब दें।

पहली बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने आगे की बात की है, मैं खास बात निवेदन करना चाहता हूं कि आज से दो वर्ष पूर्व जब खाद्य स्थिति बिगड़ने लगी और अनाज के भाव ऊंचे बढ़े उस समय सरकार ने एक डिस्ट्रिक्ट सप्लाई कमेटी का फोर्मेशन किया। इस कमेटी ने ६ महीनों में, जयपुर की कमेटी की बात कहता हूं कि उस कमेटी ने जयपुर में काफी काम किया। उस समय जयपुर इलाके में बढ़ते हुए भाव थे उनको रोकने के लिये जिलाधीश की अध्यक्षता में बहुत काम किया। लेकिन मैं समझता हूं कि जब से पंचायत के चुनाव शुरू हुए, आज ८ या ९ महीने हुए, तब से कोई गुप्त सरक्यूलर कलेक्टर के पास सरकार की तरफ से गया है और उन्होंने यह सोचा कि केन्द्रीय सप्लाई सलाहकार समिति काम करेगी तो कुछ श्रेय उनको मिलेगा और उसके बाद आज तक कोई उस कमेटी की मीटिंग नहीं हुई है। मैंने खुद ने कलेक्टर जयपुर से मिल कर बात की है। मैंने निवेदन किया कि आपको इसकी मिटिंग बुलानी चाहिये और अगर आपको नहीं बुलानी है और इस कमेटी को नहीं रखना है तो आपको इस कमेटी को डिजोल्व कर देना चाहिये। आपने न तो इसको डिजोल्व किया, न आपने उसकी अभी तक कोई मीटिंग ही बुलाई है। मैं यह कहूंगा कि सरकार की इस सम्बन्ध में निश्चित नीति हो। अगर कोई गुप्त सरक्यूलर नहीं हो तो कोई कलेक्टर ऐसा नहीं होगा जो इस समिति की मीटिंग नहीं बुलावे। आज खाद्य स्थिति बहुत विषम हो गई है इसलिये मैं पुनः खाद्य मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि ये जो समितियें हैं उनको आप पुनः जीवित करें और उनसे सहयोग लें। मैं अपना सहयोग देने को तैयार हूं।

दूसरा मुद्दा यह है कि खाद्य स्थिति आपको सुधारनी है। इस सम्बन्ध में जैसा हमारे मंत्रीजी ने कहा कि एक लाख टन का स्टोक तो लेवी से और ५० लाख टन

(श्री मानसिंह महार)

ओपिन मार्केट से खरीद करेंगे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आप किसानों से लेवी जरूर लें लेकिन किसानों की कठिनाइयों के बारे में आप ध्यान रखें। मेरा यह निवेदन करना है कि अगर आप खाद्य स्थिति में सुधार करना चाहते हैं तो इसका एक तरीका है और वह यह कि आप लाखों रुपये जो खर्च कर रहे हैं स्टाफ पर; इन्सपेक्टर्स, एनफोर्समेंट ऑफिसर्स आदि को नियुक्त कर रहे हैं, आप इन सब धन्धों को छोड़ दीजिये। आप ५० लाख रुपया या एक करोड़ रुपया जो भी आप खर्च करना चाहते हैं और घाटा खाने को तैयार हो जावें और ओपन मार्केट में जाइये। आप ओपन मार्केट में जाकर काफी मात्रा में अनाज खरीदिये। उसके बाद में जहां जहां पर राशनिंग शुरू करने की जरूरत हो आप घाटा खाकर करें और वहाँ पर अनाज बेचिये। यही एक मात्र तरीका है जिससे जनता को नाज मिल सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सन् ५७ में जब जयपुर में अकाल पड़ा उस समय जयपुर की गवर्नमेंट ने, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सरकार ने सस्ते भाव पर लोगों को अनाज दिया और मार्केट रेट से अनाज मार्केट से खरीदा और जयपुर शहर में चार-पांच सेर का अनाज बेचा और उससे जयपुर स्टेट को तीन या चार करोड़ का नुकसान हुआ। लेकिन उस नुकसान को बर्दाश्त करने से सरकार जनता को सस्ते भाव से अनाज दे सकी और उससे भीषण स्थिति नहीं हुई। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि आप ओपन मार्केट में जा कर अनाज खरीदिये। कम्पीटीशन में आइये। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि ओपन मार्केट में जाकर एक दिन में ही सारा अनाज नहीं खरीदा जावे। आप अपने तहसीलदार को आदेश दीजिये कि वह १० या २० हजार मन अनाज एक दिन में नहीं खरीदे, अन्यथा भाव बढ़ जावेंगे और १।। सेर का भाव होगा तो वह एक सेर का हो जावेगा। धीरे धीरे अनाज खरीदें। मगर अध्यक्ष महोदय, समझ में नहीं आता कि आज क्या हो रहा है। आज किसान भी यह नहीं समझ पाया है कि हमारी सरकार की क्या नीति है? अगर सरकार अपनी नीति ओपन माइन्ड से बता दें तो कुछ मालूम पड़े। मैं भी आखिर एक किसान हूं। हमें मालूम हो जावे कि सरकार की क्या नीति है? आज दुर्भाग्य की बात है कि सहकार की इस संबन्ध में कोई नीति नहीं है। आज आपका यह नोटिफिकेशन है कि २५ क्विन्टल से ज्यादा अनाज कोई किसान नहीं रख सकता। इस पर कुछ मीटिंगें हुई तो आपने यह प्रतिबन्ध हटा दिया। आपने फिर वही प्रतिबन्ध चन्द महाजनों को फायदा देने के लिये लगा दिया। इस प्रकार की सरकार की निति है यह बड़ी ही दुखपूर्ण नीति है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो सरकार की नीति है उसको सरकार एक साथ एलान कर दे तो मैं यह सही निवेदन करूंगा कि अनाज ऐसी चीज है कि जिसके लिये प्रत्येक सरकार का कर्तव्य है कि वह अपनी जनता को अनाज मुहैय्या करे। मैं यह कोई क्रिटिसिज्म के लिये नहीं कहता। लेकिन मैं यह आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष सरकार ने बाड़मेर में काफी बाजरा इकट्ठा किया। मगर उस समय सरकार ने बफर स्टॉक की

(श्री मानसिंह महार)

बात को नहीं सोचा । आज यह सरकार बफर स्टॉफ की बात करती है । उस बाजरे का क्या किया ? मैं यह कहूंगा कि आपने उस सारे बाजरे को मुनाफा लेकर दूसरे इलाकों में भेज दिया । मैं यह कहता हूं कि अगर आज उस बाजरे का बफर स्टोक जोधपुर, बीकानेर और किसी दूसरे शहरों में करते तो कोई कमी नहीं रहती । मगर जरा से भाव गिरे और सरकार लड़खड़ाने लग जाती है कि हमें घाटा हो जावेगा । घाटे में आप रहेंगे तो क्या होगा ? यह घाटा नहीं है; यह तो जनता के लिये सुविधा है । मैं तो यह कहता हूं कि जो सरकार सस्ते अनाज को जनता को देगी वही सही माने में प्रगतिशील सरकार होगी । इस वक्त हमारे मन्त्रीजी ने एक लाख टन का स्टॉक का किसानों से लेवी के रूप में अनाज लेने का लक्ष्य रखा है।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप आज राजस्थान के किसी भी कोने में चले जाइये आपको कोई भी जिला ऐसा नहीं मिलेगा जहां अनाज की उपज अच्छी हो । किसी इलाके में आपको एक आना फसल मिलेगी तो कहीं आपको दो आना और कहीं चार आना । कहीं कहीं १० आना फसल भी आपको मिल सकती है । इससे ज्यादा नहीं मिलेगी । इसके अलावा मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वक्त की फसल है वह भी करीब करीब खराब है । इसलिये अध्यक्ष महोदय, सरकार को अगली फसल के लिये विचार करना चाहिये । अभी २० दिनों से यहां पर बिलकुल वर्षा नहीं हुई इसलिये बेरानी जमीन में जो जौ और गेहूं पैदा होता है वह १/४ होगा । कुओं के लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि वाटर लेवल नीचे गिर गई है और कुओं में भी पानी कम रह गया है । जो कुए दो घंटे पानी देते थे गर्मी में वही कुए अब घन्टा पानी देते हैं । (१.०० म.प.) यानी गर्मी में मई-जून में जिन कुओं के अन्दर दो या तीन घन्टे बिजली से हम पानी निकालते थे उन कुओं में आज एक घंटा पानी आता है और फिर पानी खतम हो जाता है । यह विषम स्थिति आज है जयपुर जिले के अन्दर । लेकिन अब उसका नतीजा क्या होगा कि इतने कम पानी होने से चाही जमीन में भी जो पैदावार होती है वह एकरेज के हिसाब से १/३ होती है । अब एकरेज गत वर्ष की ५० प्रतिशत है । इसे भी बर्दास्त करें, लेकिन खाद्य स्थिति की जो बात है उसके लिये मैंने एडजर्नमेंट मोशन भी दिया; लेकिन मंत्री के न होने से आज भी उसका जवाब नहीं हुआ । बिजली की एक समस्या हमारे सामने आई है । अभी हमारे इलाके में करीब एक महीने से बिजली इतनी इर्रेग्यूलर आती है कि जिसकी कोई हद नहीं, जिससे मक्का और बाजरे का उत्पादन ५० प्रतिशत गिर गया । एक गांव में नहीं, दस गांव में नहीं जितने गांव हैं; चोमू इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन के नीचे बिजली लगाई है वहां मक्का, बाजरा और मिर्चों की जो बुवाई है उसका उत्पादन गिर गया, इसलिये कि समय पर पानी नहीं मिला ।

आज उत्पादन बढ़ाने की बात कही जाती है । मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार इस दिशा में बिलकुल असफल रही है । उत्पादन बढ़ाने के जो तरीके हैं वे सरकार अपना ही नहीं सकती । अगर मैं गलत कहूं तो मंत्रीजी करेक्ट कर सकते हैं; मैं उनको चलकर दिखा सकता हूं । जब तकावी दी जाती है तो नये तरीके के हल काश्तकार को दिए जाते हैं । अगर

(श्री मानसिंह महार)

काश्तकार नहीं ले तो जबर्दस्ती उनको दिया जाता है। उसकी तकावी में से कल के लिये १४ या १८ रुपये पहले ही काट लिये जाते हैं। मैं अच्छे प्रकार के औजार देने का विरोधी नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि काश्तकार को अच्छे से अच्छे औजार मिले लेकिन हल जो दिए गए उनका क्या हाल होता है? वे काश्तकारों के घरों में ही पड़े रहते हैं। आप आमेर-गोविन्दगढ़ पंचायत समितियों से जांच करवा लीजिए। हजारों हल ऐसे हैं अधूरे होने की वजह से काश्तकार के एक दिन भी काम नहीं आये, वह पड़ा है और स्क्रैप मेटल के रूप में बिकेगा। विकास अधिकारी और पंचायत समिति से रिपोर्ट आती है कि इस इलाके में इतने हल वितरित किए गए। मैं कहता हूं कि ९९ प्रतिशत काश्तकारों ने वे हल नहीं चलाए। जाकर आप देख सकते हैं। अगर मेरा कहना गलत साबित हुआ तो मैं माफी मांगूंगा। और भी जितनी आपकी योजनाएं हैं वे सभी इसी प्रकार की हैं। भारत सरकार की नीति है कि खाद्य उत्पादन को काश्तकार बढ़ाएं। आप डेमोक्रेटिक डीसेंट्रलाईजेशन कीजिए और कुछ भी कीजिए लेकिन जहां पर खाद्य समस्या के मामले में हमारे पैसे का खिलवाड़ होता है, तो सदन में कहना पड़ता है। यदि आप खाद्य समस्या का हल चाहते हैं तो ईस तरह नहीं होगा कि आंख मींचकर तकावी दे दी, तकावी उनको देनी चाहिए जो जरूरतमंद हों। मैं सैंकड़ों मिसालें दे सकता हूं जहां तकावी का आज भी दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन विशेष एक आध केस बताता हूं। एक आदमी के पास दो बीघा जमीन जो एक बीघा भी पक्की न हो उसमें कुआं मौजूद, वह इन्फ्लुएन्शियल आदमी था उसने तकावी ले ली १५००) या २०००) रुपये। लेने के बाद जब मैंने पंचायत समिति से कहा कि कुआं मौजूद है और तकावी किस बात की तो घबराए कि वापिस वसूली होगी; तो उस कुएं को तोड़ा गया और यह दिखाने के लिए कि उस रकम का सदुपयोग हुआ दुबारा वह कुआं बनाया जा रहा है। अगर किसी को मालूम नहीं तो पंचायत समिति का जो ऑफिस है गोविन्दगढ़ उससे ज्यादा से ज्यादा २५ कदम है। हम सारे सरपंच उस कुएं से पानी पिया करते थे। उस कुएं को तोड़ कर दुबारा खड़ा किया; सिर्फ तकावी को जस्टीफाई करने के लिए। खैर, इस प्रकार से दुरुपयोग हुआ, लेकिन कम से कम यह तो करदें कि कुएं बनें तो उनके नीचे ४-५ बीघा जमीन पक्की हो। आप आज उत्पादन की बात करते हैं। २,०००) रु० सरकार देती है, २,०००) काश्तकार देता है तो उसके लिए एकड़ेज तय होनी चाहिए कि इतनी जमीन कम से कम हो तब तकावी मिलेगी।

आज आपका जो पैसा है वह बिलकुल पार्टीबाजी में जाता है। एक कुआं बना हुआ है उसमें कोई १०-१२ हाथ नाल पड़ना बाकी है, उसके अन्दर इलेक्ट्रिक मोटर फिटेड है, बिजली का मोटर चालू है और उस आदमी को यह कहकर कि इस कुएं को कम्पलीट करना है २,०००) दिए जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि तकावी न मिले, लेकिन थोड़ा चैक तो होना चाहिए। कोई चैक नहीं। मैं गत ५-७ वर्षों से सरपंच

(श्री मानसिंह महार)

हूं। मेरी पंचायत में काफी विकास कार्य हुए हैं। पांच वर्षों से मैं कहकर थक गया हूं लेकिन आज तक किसी ओवरसियर की जांच नहीं हुई। जो तलाइयां बनाई गई थीं पांच वर्षों में सब साफ हो गई। अब क्या ओवरसियर जांच करेगा? जब समितियों के अन्दर ओवरसीयर जांच भी नहीं करते तो आपकी तलाइयों का क्या होगा, खाद्य स्थिति कैसे सुधरेगी? इससे नहीं सुधरेगी कि इतने लाख रुपये बीज के लिए दिए, इतने लाख रुपये खाद्य के लिए दिए और आपके पास फर्जी रिपोर्ट आ गई कि एकड़ेज इस प्रकार होगा। खाद्य स्थिति तभी सुधरेगी जब आप सही ढंग से काम कराएंगे।

एक काश्तकार के नाते मैं मिनिस्टर साहब को बताना चाहता हूं कि अगर आप खाद्य स्थिति को सुधारना चाहते हैं तो गांवों में उत्पादन बढ़ाने की ओर ध्यान दें। गांवों में आज क्या होता है? जो खाद गेहूं में देना चाहिए वह न देकर दूसरा कुछ दिया जाता है। ग्राम सेवकों का यह रवैया है कि वह कभी पर्सनली सुपरवाइज नहीं करते। अच्छे बीज का यह हाल है कि सूरतगढ़ या बस्सी फार्म में अच्छी क्वालिटी के गेहूं होते हैं लेकिन जिस क्वालिटी का बीज हमको मिलना चाहिए वह नहीं मिलता। वह बीज दूसरे प्रान्तों को दिया जाता है। यह दुर्भाग्य की बात रही है कि हमारे फार्मों में बीज होता है वह दूसरे प्रान्तों में दिया जाता है और राजस्थान में जो बीज दिया जाता है पंचायत समितियों के जरिये वह अपने मार्केट से मामूली गेहूं लाकर दिया जाता है। जब यह कहा जाता है कि यह गेहूं अच्छी क्वालिटी का नहीं हैं तो कहते हैं कि जो मिला सो दिया है। है निवेदन करूं कोई भी बुद्धिमान् आदमी होगा वह जानता है कि जब अनाज पैदा होता है तो उस समय अनाज खरीदा जाय तो उसमें चोइस भी मिलती है, सिलेक्शन भी मिलता है लेकिन बीज मई, जून में न खरीदा जाकर वह अब खरीदा जा रहा है। इसकी आप चाहें तो जांच करा लीजिये। अब भागते फिर रहे हैं; कोई कहां, कोई कहां। बीज आप खरीद कर देते हैं और अच्छी क्वालिटी का चाहिए तो मई और जून में खरीदकर देना चाहिए यह तो आप प्रोडक्शन किस तरह से बढ़ायें, यह चालू बात कही है।

अब अनाज के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ। आज एक तरीका हो गया है। पी० एल० ४८० का गेहूँ आने लगा है, सब कहते हैं कि मैं गेहूँ खाता हूँ। इस गेहूँ खाने की प्रवृत्ति को रोकने का क्या तरीका निकाला कि मंत्री हफ्ते में कुछ दिन मोटा अनाज ही खावेंगे। यह राजस्थान की केबीनेट ने फैसला किया है कि मंत्री हफ्ते में कुछ दिन ही मोटा अनाज खावेंगे। अध्यक्ष महोदय, समझ और बुद्धि का कितना दुरुपयोग। आप आठ-दस आदमी गेहूँ न खाकर गुड़, घी खालें तो क्या फर्क पड़ता है, यह तो बच्चों वाले चोंचले हैं, यह वह जमाना नहीं है, यह जमाना वह है, चर्चिल कहते थे जब इंगलैंड पर विपत्ति आयी तो 'दी फोर विक्ट्री' और खून और पसीना देंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : आप पहले यह कहते थे कि ऊपर से यह चालू होना चाहिए।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : यह दिखाने से नहीं होता है।

श्री मानसिंह महार : इससे यह नहीं होता है। इससे होता है कि आप आज जयपुर की दूकानों में गेहूँ के साथ-साथ जौ और बाजरा दीजिये। जनता भी मोटा अनाज खाने की आदी हो जायेगी। लेकिन होता है क्या ? हर एक चीज में डिफिकल्टी पैदा की जाती है। जयपुर के बाजार में दूकानों पर जाकर देखिये गेहूँ नहीं है, अनाज नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं निवेदन कर रहा था कि यह बताने का तरीका अच्छा नहीं है। अब सोचने का तरीका है वह बताता हूँ। राजस्थान के लिए फूड एडवाइजरी कमेटी बने जिसमें सब दलों के सदस्य हों। वे राय दें। इसकी राय से काम हो। आज होता क्या है ? मंत्रीजी के पास व्यापारियों का डेपुटेशन आता है। व्यापारी देखता है कि मुसीबत आ रही है, सरकार कड़ा कदम उठायेगी। तो एलान होता है व्यापारियों की ओर से जयपुर शहर में; ५२) रु० क्विन्टल जौ बेचे। मैं आपके सामने एक कॉन्क्रीट मिसाल रखता हूँ। महारानी गायत्री देवी ने आतिश में सस्ते अनाज की दूकानें खोलीं। दो तीन दूकानों ने छः महीने तक जयपुर को गेहूँ दिया। बारां से गेहूँ खरीदा गया। वहां से लाकर गेहूँ जयपुर में बेचा। जिस समय जयपुर के मार्केट में ८०),९०) गेहूँ व्यापारी लोग बेच रहे थे उस समय वहां से गेहूँ लाकर ६२) और ६४) में आपकी बनाई हुई रेट से गेहूँ बेचा। बारां से गेहूँ आया, ट्रकों से आया और बेचा। अध्यक्ष महोदय, इतना गेहूँ आने के बाद पच्चीस-तीस हजार का घाटा हुआ। लम्बा-चौड़ा घाटा भी नहीं। अगर इस प्रकार बीस हजार रुपया फी दूकान घाटा खाकर भी सरकार बेचे तो समस्या हल हो सकती है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : दूकानें कितनी खोली थीं ?

श्री मानसिंह महार : दो।

अगर इतना घाटा खाकर आप भी मंडियों से गेहूँ लाकर बड़े शहरों में दे दें तो आपकी लेवी की चिन्ता मिट जाय। सही तरीके हैं, उनको आप अपनाइएगा। आप तो गेहूँ भी खरीदेंगे तो बड़े व्यापारियों से कहेंगे कि गेहूँ लाओ। वह कोटा में ६४) के भाव से खरीदेगा और आपको ८०) का बीजक लाकर देगा और कहेगा कि यहां आकर ८५) में पड़ा है। ६२), ६४ में यहां उसको बेचेगा तो कहेगा कि एक दिन में ही दस हजार का नुकसान हो गया, बहुत घाटा हो गया। इसलिए आप एक हाई पॉवर कमेटी बनाइये। कोई दल का भी उसमें सवाल नहीं। पांच ईमानदार आदमियों को मुकर्रर करें। जितने बड़े-बड़े शहर हैं और जहां जहां अनाज की कमी है उनमें आप एक बार भी ट्राई कीजिये, यह मेरा सुझाव है। वहां पर दो-तीन दूकानें इस प्रकार खोलिए और उनमें कुछ घाटा पहले-पहले खाइये और शहरों में अनाज दीजिये। आप इन दूकानों से ६४), ६५) के भाव में भी गेहूँ दे सकें, थोड़ा बहुत भी लोगों को उपलब्ध होगा तो ये गेहूँ के भाव आज की स्थिति में हरगिज भी नहीं पहुँचेंगे और वहां से लोगों को गेहूँ मिलेगा। इसलिये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस प्रणाली को अपनाइये तो आप अपनी दूकानें खोलें। लेकिन इसमें जांच की बात जरूरी है। यह जांच रखी जाये कि क्या भाव खरीदा जाये। मैं निवेदन

(श्री मानसिंह महार)

करता हूं, अगर यह नहीं होता है और सरकारी अधिकारी पर छोड़ देते हैं—मैं यह नहीं कहता कि सरकारी अधिकारी नहीं रहें। वे तो रहेंगे ही, जा नहीं सकते लेकिन सुपरवीजन के लिये एक हाई पॉवर कमेटी होनी चाहिये और उसको अख्तियारात होवें कि शक शुबहा होने पर फौरन इन्क्वायरी हो। यह नहीं कि रेड टेप चले कि कमेटी मंत्री को कहे और मंत्री के पास कागज सड़ते रहें। मैं कमेटी को फांसी देने के पॉवर्स नहीं देना चाहता, लेकिन सरकारी अधिकारी या व्यापारी अगर गड़बड़ करें तो चालान करने के लिये सिफारिश जरूर करता हूं। आज सरकार के फेल्युअर का सबसे बड़ा कारण यह है, चाहे खाद्य पदार्थ लिया जाये या और चीज ली जाये, जिसमें सरकार फेल हुई है, उसका मूलभूत कारण यह है कि कोई सरकारी अधिकारी पंच या सरपंच किसी प्रकार से गबन या घोटाला करे तो पुलिस को सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है उसके प्रासीक्युशन के लिये। आज सबसे बड़ी करप्शन को प्रोत्साहन देने वाली बात यह है। उस परमिशन में सरकार के दफ्तर के अन्दर कम से कम ६ महीने लगते हैं। यह मैं सही निवेदन कर रहा हूं। मैं कई केसेज बताऊं जिनमें तीन वर्ष तक परमिशन नहीं दी गई प्रोसीक्युशन के लिये, और उन केसेज में जहां क्लीयर केस था। और तीन वर्ष तक गबन के केसेज पड़े रहे। मैं सरकार से यह पॉवर लेना नहीं चाहता लेकिन यह तो कर दीजिये कि अगर कोई पुलिस केस सरकारी अधिकारी या पंच या सरपंच के खिलाफ बनता हो, पुलिस इन्वेस्टीगेशन कम्पलीट कर लेती है और परमीशन के लिए लिखती है तो या तो १५ या २० दिन के अन्दर परमिशन दी जाये या रोकी जाये, लेकिन केस को लेकर मंत्रीजी बैठे नहीं रहें। और २० दिन तक यदि जवाब नहीं आये तो पुलिस को अधिकार हो चालान करने का कोई टाइम लिमिट तो बना देनी चाहिये। इस समय जब कि हम सब की जिंदगी खतरे में है, इस समय में जब कि देश के जवान सीमाओं पर लड़ रहे हैं ऐसे समय में भी अगर करप्शन रोकने के लिये इस प्रकार की बातें नहीं करेंगे तो कब करेंगे? मैं मुख्य मंत्री व खाद्य मंत्री महोदय से नम्र निवेदन करता हूं कि २० दिन के अन्दर सरकार की तरफ से हां या ना का जवाब न जाय तो उस हालत में पुलिस यह समझ ले कि हमको चालान करने की इजाजत मिल गई है। यह अगर टाइम लिमिट कर देते हैं तो इस प्रकार के गड़बड़ घोटाले हैं वे नहीं हो सकेंगे और रुक जायेंगे। सैकड़ों केसेज ऐसे हैं जिनमें सरकारी अफसर पैसा खा गये उनकी एवीडेन्स को खत्म करने के लिये सरकार की तरफ से एक एक साल, दो दो साल, तीन तीन साल तक ऐसे अधिकारियों का चालान नहीं होता। मुझे अध्यक्ष महोदय, ऐसे सरपंचों का मालूम है जिनके चालान के लिये इजाजत मांगी गई, जिन्होंने गबन किया, सहकारी धन का दुरुपयोग किया, दुबारा पंचायतों के चुनाव हो गये और दुबारा चुनाव होने पर सरपंच महोदय हार गये और जिनको कॉप्शन द्वारा दुबारा पंचायत समिति में ले लिया गया। मैं आपको डिले करने का तरीका बताता हूं कि जो पंचायत समिति के चुनाव में हार गये तो सरकार ने उनके लिये कह दिया कि चूंकि वे चुनाव में हार गये इसलिये उनके लिये प्रोसीक्यूशन के लिये परमीशन की जरूरत नहीं

(श्री मानसिंह महार)

है। लेकिन जिनको दस दिन बाद समिति में मेम्बर की हैसियत से ले लिया वैसी हालत में इजाजत की जरूरत है तो उनके लिये तीन साल की लम्बी बागडोर डाल दी। आप यदि इसके लिये टाइम लिमिट कर देते हैं तो उनका प्रोसीक्यूशन हो सकता है और करप्शन काफी मात्रा में रुक सकता है।

जो व्यापारी या अन्य कोई अनाज का ब्लेक करता हुआ पाया जाय, अगर उसके खिलाफ मामला पकड़ा जाता है तो उसके लिये चालान आठ दस दिन के भीतर २ हो जाना चाहिये। इस प्रकार की प्रणाली नहीं अपनायेंगे तो हम इस खाद्य स्थिति पर काबू पाने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। किसी के घर में अनाज पकड़ा जाता है तो उसको ढील दे दी जाती है, ऐसी ढील दे दी जाती है, महीने दो महीने में वह सौ तरीके निकाल लेता है बचने के। इस लिये मेरा निवेदन है कि ज्योंही मामला पकड़ में आये उसका चालान कर दिया जाय तो उससे बच निकलने का तरीका कम हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, किसी बड़े आदमी का चालान हो जाता है तो उस केस का फैसला छः छः बरस तक नहीं होता। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसके लिए स्पेशल मजिस्ट्रेट्स मुकर्रर किये जायें और उनको इस प्रकार की हिदायत हो कि फूड के मामले के जो केसेज़ हो उनका फैसला तीन और चार महीने के भीतर कर दिया जाय।

एक माननीय सदस्य : सजा देने की बात कहिये।

श्री मानसिंह महार : मैं सजा के लिए ऐसी सीधी बात नहीं कहता। जब हमें खाद्य समस्या को सुलझाना है तो एक तो हमें प्रोसीक्यूशन के लिए जो सरकार से इजाजत लेनी पड़ती है उसके लिये टाइम, लिमिट मुकर्रर कर दी जाय। मुख्य मंत्री जी से मैं आशा करूंगा कि वे आज इस बात का एलान करेंगे कि सरकार की इस बारे में नीति साफ है कि वे देश की बहबूदी चाहते हैं तो इस प्रकार की गड़बड़ को रोका जाय और उसके लिए स्पेशल अदालतें मुकर्रर की जांय और ऐसे अपराधियों को तीन-चार महीने के भीतर भीतर सजा हो जाय, इस बात का एलान करेंगे। बिना टाइम लिमिट फिक्स किये कभी केसेज़ में कामयाबी नहीं हो सकेगी।

अन्त में अध्यक्ष महोदय, जयपुर में आप कोर्पोरेशन बनाने जा रहे हैं। इस कारण जयपुर शहर के आसपास का दस मील का एरिया है उसमें अलॉटमेन्ट बन्द कर रखा है और जो आपने राशनिंग लागू कर रखा है; वह केवल जयपुर म्युनिसिपल एरिया तक ही उसको सीमित कर रखा है। जयपुर के चारों तरफ काश्तकारों की बस्ती है जो सब्जी वगैरह बोते हैं उनके यहां अनाज नहीं होता है, आस पास के मजदूर भी यहां पर काम करने को आते हैं, वैसी हालत में जयपुर शहर की लिमिट को दस मील के रेडियस तक बढ़ाया जाय ताकि उन लोगों को भी अनाज मिल सके, उनको किसी प्रकार की दिक्कत न हो।

दूसरी चीज पिछले साल बस्ती सांगानेर तहसील के गांवों में अकाल पड़ा था। आज भी इस इलाके में बारिस के न होने से अकाल की स्थिति है इसलिए इस क्षेत्र

(श्री मानसिंह महार)
के लिये विशेष व्यवस्था की जाय। यही मेरी मुख्य मंत्रीजी से और खाद्य मंत्री जी से प्रार्थना है।

श्री मोहनराज (बाली): अध्यक्ष महोदय, जब हम खाद्य समस्या पर विचार कर रहे हैं तो इसके दो पहलू हमारे सामने आते हैं। अगर हम इन दो पहलुओं पर पूरी तौर से ध्यान दे सकें और इन समस्याओं का हल करने का प्रयत्न करें तो मेरा ख्याल है कि यह समस्या नहीं रह सकती। इसका पहला पहलू है विपुल उत्पादन और दूसरा जो अनाज पैदा होता है उसका समुचित वितरण। अगर इन दो बातों में अच्छी तरह से सफलता मिल जाय तो मेरा यह पक्का विश्वास है कि राजस्थान में खाद्य समस्या का हल हमेशा के लिये हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक अधिक उत्पादन का सवाल है, यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है कि राज्य सरकार ने पिछले दस वर्षों के अन्दर सिंचाई की बड़ी योजनायें और नहरों का निर्माण करके खेती के उत्पादन को काफी बढ़ावा दिया है। जितने अधिक साधन खेती-बाड़ी के बढ़ाये जा सकते है इन दस वर्षों में राज्य सरकार ने उनको बढ़ाने का प्रयत्न किया है और इस दिशा में सरकार ने सराहनीय काम किया है। करोड़ों रुपयों की लागत से बड़े बड़े बांध बनाये हैं, नहरें बनाई हैं; उनसे बड़े बड़े भूखण्ड में अन्न पैदा करने में सफलता मिली है। आज इस समय जो हमारे सामने है उसको देखते हुए क्या हम बड़े बड़े बांधों को बनाकर इस समस्या का हल कर सकते हैं। इन बड़े बड़े बांधों को बनाने में बहुत धन की आवश्यकता है और समय की भी आवश्यकता है ऐसी हालत में जो समस्या आज हमारे सामने है उसका तुरन्त हल नहीं निकल सकता। इसलिये मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा, इन बड़ी बड़ी योजनाओं को ताक में रखकर छोटी छोटी योजनाओं को हमें हाथ में लेना चाहिये ताकि उनका तात्कालिक फल हमें मिल सके। इसके लिये मेरे सुझाव यह है।

कई गांवों के अन्दर इस तरह के तालाब है जो पड़े हुए हैं, जो यदि भरे हुए होते हैं तो उनसे पानी बेरों में जो पानी का लेवल है वह बहुत ऊंचा आ जाता है और बेरों में ज्यादा पानी आ जाने से सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध होगा ज्यादा मात्रा में। इस तरह के तालाब जो गांवों में पचास-साठ वर्षों से पड़े हुए हैं वे एक प्रकार से नेगलेक्ट से हो रहे हैं, वे मिट्टी से भर चुके हैं। ऐसे तालाबों की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाय। तालाब यदि पानी से भर जाता है तो बेरों में पानी बढ़ सकता है।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कई ऐसी छोटी छोटी सिंचाई योजनायें है जिनके आप पन्द्रह-बीस हजार रुपया खर्च कर दें तो वह बड़े काम की चीज हो सकती है। उससे कम से कम कई जगहों पर तो पांच सौ, कहीं पर सात सौ, कहीं पर हजार बीघा तक की सिंचाई हो सकती है। लेकिन जब इस बारे में सरकार को कहा जाता है तो उनकी तरफ से यह कहा जाता है कि यह सिंचाई विभाग से ताल्लुक नहीं रखता, यह तालाब पंचायत

(श्री मोहनराज)

समिति के अन्तर्गत आता है; अतः इसको पंचायत समिति को सुधारना चाहिए। मैं यह बता दूं कभी सिंचाई विभाग कभी पंचायत विभाग इस तरह से आप इसको टाल देते हैं तो जो उद्देश्य हम प्राप्त करना चाहते हैं वह उद्देश्य हम प्राप्त नहीं कर पायेंगे। मैं आपके सामने कालाडेरा और बाली पंचायत की बात करूं हमारे यहां सात-आठ योजनायें हैं। जो पन्द्रह-बीस हजार रुपये की हैं जिनके लिये टेकनिकल सेंक्शन मिली हुई है लेकिन सात-सात साल हो गये वे काम अभी तक पूरे नहीं हुए। सरकार कहती है कि पंचायत समितियों द्वारा यह काम किया जाना चाहिए लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं पंचायत समिति के पास इतना फण्ड नहीं है जिससे ये सारे काम करवाये जा सकें। कृषि विभाग या सिंचाई विभाग इसके लिये फण्ड मुहैया करे तभी जाकर पंचायत समितियां इन कामों को पूरा करवा सकती हैं। यहां पर भी मैंने प्रश्नोत्तर के जरिये यह बात बताई कि कई बांधों पर हमने पन्द्रह-पन्द्रह हजार रुपये लगाये। लुजाना गांव में तालाब है। उसकी पाल बाढ़ आने से बह गई। अगर उस पर सात-आठ हजार रुपया रुपया खर्च किया जाता है तो कम से कम ७०० बीघा जमीन सिंचित हो सकती है। पर चार साल से वह यों ही पड़ा है। इसी तरह से निरवाणा, खुटेला, नैरवा, बैराड़, लाखेरी का एनी कट तालाब और है जिनसे उपयोगी काम लिया जा सकता है। पर फण्ड के अभाव में पिछले चार-पांच सालों से ये भी यों ही पड़े हैं। इनका काम नहीं हो रहा है। इसलिये निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की छोटी योजनाओं पर अधिक ध्यान दिया जाय, जिनसे लाभ अधिक मिलने की सम्भावना है और खर्च कम होता है और लाभ अधिक मिलने के साथ ही तात्कालिक लाभ मिल सकता है।

दूसरी चीज, जिन क्षेत्रों में गावों में कुओं पर बिजली पहुंच गई है वहां किसानों को और गांव के लोगों को यह मालूम हो गया है कि कृषि की उपज को बढ़ाने में बिजली कितनी जबर्दस्त मददगार है। आज जहां-जहां कुओं पर बिजली गई है, वहां किसान का खर्चा कम हुआ है और उत्पादन बढ़ा है। वह अपने साधनों का उपयोग आज अच्छे बीज और खाद में कर रहा है और इस तरह अपना उत्पादन और भी अधिक बढ़ाने में सफल हो रहा है।

पर जहां बिजली नहीं है वहां मुश्किल हो रही है। मैं अपने ही इलाके की बात बताऊं। वहां पावर हाउस लगा है। किसानों से कह दिया गया है कि ऋण हासिल करो कनेक्शन मिलने वाले हैं। कुओं पर बिजली की मोटरों के खरीदने के लिये और बिजली लेने के लिये ऋण ले लिये पर अब तक कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं।

घरों में अच्छी रोशनी हो सकती है, बाजारों में उजाला हो सकता है। बड़ी-बड़ी आलीशान बिल्डिंगों में जगमगाहट हो सकती है पर अगर किसान के खेत में उत्पादन बढ़ाना है जो कि आज समाज और देश के लिये भी उपयोगी काम है, जिसे आज प्राथमिकता दे रहे हैं देश की सुरक्षा के निमित्त तो इन बड़े-बड़े भवनों, शहरों और बाजारों को सजाने के लिये

(श्री मोहनराज)
बिजली देने के बजाय पहले कुओं पर बिजली देनी पड़ेगी, इससे तत्काल लाभ मिल सकेगा। इसलिये राज्य सरकार को बिजली के विस्तार की योजना पर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिये। इसके लिये बिजली वालों से बात करते हैं तो कहते हैं फण्ड नहीं है। मैं कृषि विभाग से निवेदन करूंगा कि वह स्वयं इसके लिये अपने फण्ड मुहैया करें। बड़े बड़े ट्रैक्टरों और कुओं की रिपेयर और कुओं के लिये करोड़ों का फण्ड कृषि विभाग के पास है। अगर इसमें से कुछ फण्ड बिजली विभाग को दिया जाकर जेनरेटिंग स्टेशन जगह २ देहाती अंचलों में लगाकर वहां से कुओं को बिजली दी जाय तो अन्न उत्पादन में तत्काल लाभ हमें मिल सकता। जहां तीन सौ, चार सौ कुएं पास पास हों वहां एक जेनरेटिंग प्लान्ट विभाग लगा सकता है। तो यह कृषि विभाग के सोचने की बात है।

इसके अलावा बहुत सी भूमि गांवों में फालतू पड़ी है। आज भी बड़े-बड़े रकबे जागीरदारों के पास में या ऐसे लोगों के पास में जो खुद खेती नहीं करते कब्जे में है। सरकार को आदेश निकाल कर इन खेतों को तात्कालिक उपयोग के लिये ले लेना चाहिये। इसके कानून बना हुआ भी है, पर उस पर अमल नहीं हो रहा है। इसके लिये आवश्यक आदेश शीघ्रातिशीघ्र निकालने चाहिये।

इस वक्त लाखों का ऋण कुओं की मरम्मत के लिये दिया जा रहा है, पर हमारा यह अनुभव है कि वास्तव में मरम्मत में यह ऋण उपयोग में नहीं आता। इसका अधिकतर दुरुपयोग होता है। नये कुए जरूर बनते हैं, उनके लिये ऋण देना ठीक है। इसलिये मरम्मत के नाम पर ऋण देना अभी कम से कम दो साल के लिए रोक दिया जाय और इस बचे हुए पैसे को बिजली देने और नये कुए खोदने में खर्च किया जाय। इससे भी तात्कालिक लाभ मिल सकता है।

इसके अलावा जैसा कि हमारा अनुभव है, किसान यह सोचता है कि अगर वह गेहूं आदि अनाज पैदा करता है तो सरकार लेवी के द्वारा या और रूप में उससे ले लेती है तो वह मिर्ची, तमाखू, जीरा, कपास आदि कैश क्रॉप बोने की तरफ झुकता है। इससे उसको पैसा भी ठीक मिल जाता है और सरकार की छीना-झपटी का डर नहीं रहता। तो अगर इस टेन्डेन्सी को बढ़ावा मिलता रहा तो हमारे यहां भी गुजरात और महाराष्ट्र वाली स्थिति पैदा हो जाने का डर है। इसके लिये तो तत्काल कुछ सोचना पड़ेगा। पर अगर अन्न की क्रॉप पैदा करने में किसान को लाभ नहीं मिलता, कैश क्रॉप के मुकाबले में तो इस ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। यह नहीं हो सकता कि जो कैश क्रॉप पैदा करने वाला किसान महाराष्ट्र या गुजरात का है वह अधिक मालदार हो जाय और अन्न की क्रॉप पैदा करने वाला राजस्थान का किसान गरीब बना रहे। इससे आपको हर तरह से सपोर्ट देना होगा। आपको ध्यान रखना होगा कि अन्न की क्रॉप पैदा करने से उसकी माली हालत गिरने न पावे।

इसके अलावा भी एक क्रॉप पैटर्न के आधार पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के प्रोग्राम

(श्री मोहनराज)

की एक निश्चित योजना बनाकर चलना होगा तभी यह लाभकारी फल दे सकेगी। आप यह भी कर सकते हैं कि एक निश्चित रकबे में अनाज पैदा होगा, और उससे अधिक हुआ तो कैश क्रॉप बो सकता है।

इसके अलावा समान वितरण पर भी हमें ध्यान देना होगा। यह सरकार के द्वारा अनाज का व्यापार अपने हाथ में लिये बिना सम्भव नहीं है। इसमें व्यापारी लोग और दूसरे राज कर्मचारी दोनों मिलकर कितनी गड़बड़ी करते हैं। इसे रोकना होगा। हमें इसके नतीजे भुगतने पड़े हैं। यह ऑल इण्डिया पॉलिसी हो सकती है व्यापार अपने हाथ में लेने की ओर, इसलिये इसमें देर भी लग सकती है। पर यह निश्चित है कि राज्य सरकार के पास अपना अन्न भण्डार होना चाहिये ताकि जब भी बाजार में किसी ने गड़बड़ी की तो उससे उसका मुकाबला किया जा सके।

इसका एक तरीका यह भी हो सकता है कि सरकार लगान नकदी के रूप में न लेकर अनाज के रूप में ले और इसके लिये बाजार भाव तय कर दे। इससे मेरा ख्याल है कि सरकार को दस बारह करोड़ का अनाज प्राप्त हो सकेगा। बाकी अनाज मण्डी में आते समय भी सरकार खरीद सकती है। जैसा खाद्य मन्त्री ने बताया कि इस प्रकार का भण्डार राज्य सरकार करना चाहती है। अगर सरकार अपने भण्डार रखेगी तो समाज-विरोधी तत्व समाज की परेशानियों से लाभ उठाकर मालदार होना चाहता है उसको वह मौका नहीं मिलेगा। जब भी ये तत्व अनाज महंगा करेंगे तो तुरन्त सरकार अपने भण्डारों से अनाज बाजार में भेज देगी और भावों को स्थिर रख सकेगी। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि राज्य सरकार को अपने पास एक अपना स्वतंत्र भण्डार अवश्य बनाना चाहिए।

हमारी इस रियासत को हिन्दुस्तान में एक रेगिस्तान गिना जाता है लेकिन फिर भी इसको अनाज के मामले में सेल्फ सफिशियेन्ट ही नहीं बल्कि सरप्लस बनाया है तो मेरे ख्याल से इसके लिये खाद्य मंत्री जी को बधाई देना चाहिये कि वाकै मे उन्होंने जो ठोस कदम उठाये हैं उसकी वजह से ही ऐसा हुआ है। लेकिन इसके साथ ही अधिक अन्न पैदा करते जायें और कुछ लोग चोरी छिपे माल हमारे यहां से बाहर भेज दें और हमारे सरप्लस स्टेट को भी कम अनाज वाला बना दें, इस तरह के समाज विरोधी तत्व हैं जो कि गरीब जनता के और दूसरे जितने भी कन्ज्यूमर्स वर्ग के लोग हैं उनके सब के दुश्मन हैं, उनके ऊपर कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी, और जो कर्मचारीगण और अधिकारीगण ऐसे असामाजिक तत्वों को सहयोग देते हैं, उन खराब प्रवृत्तियों का साथ देते हैं तो ऐसे निकम्मे ऑफिसर्स को भी कड़े से कड़ा दण्ड देना पड़ेगा, तभी जाकर हमारे यहां की व्यवस्था ठीक रह सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मामले में राज्य सरकार तत्काल सी सतर्कता बरतेगी और अपने यहां पर बड़े अनाज के भण्डार कायम करेगी और जो छोटे छोटे उत्पादन बढ़ाने के साधन हैं उनको अधिक से अधिक प्रोत्साहन देगी तो हमारी खाद्य समस्या आसानी से हल की

(श्री मोहनराज)
जा सकती है और जो दिक्कत हम महसूस करते हैं वह दूर की जा सकती है। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण कता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, आज जो खाद्य की बहस माननीय मंत्री महोदय ने प्रारम्भ की उन्होंने अपनी बहस में कुछ नई बातें भी जोड़ी हैं और जैसी कि उनकी रिपोर्ट है उसमें भी कुछ बातें हैं और खास करके सदन के सदस्यों से इस प्रकार की बात कही थी कि वह ठीक ढंग से इस पर सुझाव दें। जैसा कि उनकी रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अतिरिक्त जो कुछ बातें हैं उसके बारे में भी मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान खींचना चाहता हूँ।

(१.४५ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

माननीय मंत्री महोदय ने अपने प्रारम्भिक भाषण में एक नई बात और कह दी। इस रिपोर्ट के अतिरिक्त उन्होंने यह कहा कि आज से २० साल पहले हमारा देश ५ लाख टन अनाज बाहर भेजता था........

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने अपने स्टेट की बात नहीं कही। मैंने यह कहा था कि वे जो आज पिछड़े हुए रीजन्स हैं जिनमें इन्डिया, चाइना इधर ईस्टर्न द्वीप हैं, साउथ अमेरिका है, लेटिन अमेरिका है, ये सारे कन्ट्रीज जो पिछड़े हुए हैं और आज जिनकी पॉपुलेशन तेज रफ्तार से बढ़ रही है जिसको कि बैकवर्ड रीजन कह सकते हैं और नार्थ अमेरिका और दूसरे कन्ट्रीज हैं इनका बैलेंस ऑफ ट्रेड आज से २० साल पहले यह एरिया ५ मिलियन टन से सरप्लस था और वह उस रीजन को माल भेजता था आज इस रीजन के सारे कन्ट्रीज के मार्फत करीब ८०-९० लाख टन माल इधर उधर हुआ।

श्री मुरलीधर व्यास : जैसा आपने कहा इसको मैं जब सोचने लगा कि ६५ आज है और २० साल पहले सन् १९४५ था और ४५ के पहले महायुद्ध चल रहा था........

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे ख्याल से मैंने काफी साफ कर दिया है।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने किस आधार पर कह दिया ? या तो आपके पास रिपोर्ट है वह गलत है........

श्री नाथूराम मिर्धा: मेरे पास आधार हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : आधार बिल्कुल गलत हैं। उस समय यह परिस्थिति थी कि हिन्दुस्तान में महायुद्ध का वातावरण था तो उस समय के लिये मैं कह रहा था कि इस प्रकार की परिस्थिति थी कि महायुद्ध चल रहा था। किसी ने आपको रिपोर्ट दे दी है वह मैं समझता हूँ कि गलत है........

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे पास बहुत ऑथोरिटेटिव रिपोर्ट है।

श्री मुरलीधर व्यास : अब दूसरा प्रश्न इसमें यह है कि जैसा आप सोचते हैं कि सदन के सम्माननीय सदस्य इस पर ठीक ढंग से अपनी राय दें तो मैं मंत्री महोदय से भी कहना चाहता हूँ कि वह सदन को भी अपनी रिपोर्ट उसी प्रकार से खुले दिल से

(श्री मुरलीधर व्यास)

दें जिसमें कोई गलत बात नहीं हो। आपकी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि राजस्थान में सितम्बर ६५ के अन्दर ५८ रु० के गेहूं के भाव औसतन थे और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की रिपोर्ट जब कि सारा राजस्थान जानता है कि राजस्थान में ५८ के भाव से सितम्बर में कहीं गेहूं नसीब नहीं होता था बल्कि हालत इतनी खराब थी कि अगर वहां पर आपकी रिपोर्ट आप दें और उसमें यह कहें कि ५८ के भाव राजस्थान में थे तो मैं समझता हूं कि आप सदन को बिल्कुल धोखा देते हैं और सदन को गुमराह करते हैं। हो सकता है आपके दिमाग में एक चीज हो कि ६५ रु० का भाव हमने बांध रखा है इसलिए इससे कम ही बतायें और यही कहें तो यह अलग बात है। मैं समझता हूं कि भावों के बारे में रिपोर्ट बिल्कुल गलत दी है और इसको पहले आपको स्पष्ट कर देना चाहिये।

दूसरे जो इसमें आंकड़े आपने दिये हैं और जो बातें इसमें कही हैं उसके लिये भी यही कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी आज जो समस्या है वह अनाज की है या उसके वितरण की है। जहां तक हम हिन्दुस्तान के आंकड़े पढ़ते हैं और फिर राजस्थान के आंकड़े पढ़ते हैं तो हिन्दुस्तान के अन्दर कहा जाता है कि हमारे यहां ४५ करोड़ की आबादी है और ४५ करोड़ की आबादी के अतिरिक्त हमारे देश में ४५ करोड़ टन अनाज पैदा होता है। हम जब हिसाब लगाते हैं सारे देश का उत्पादन है और उस उत्पादन को ठीक तरीके से बांटते हैं और सारे हिन्दुस्तान की आबादी हम मान लें कि ४५ करोड़ है और ५ व्यक्ति का भी एक परिवार हो तो कम से कम हर परिवार को आपके हिसाब से ५ टन अनाज हर परिवार को आता है। अगर इस प्रकार की स्थिति पैदा हो जाती है राजस्थान के आंकड़े जैसा आप कहते हैं कि ४८ लाख टन हमारे यहां है और अनाज को बांटते हैं तो प्रति व्यक्ति ५ मन बड़े आराम से मिल जाता है। अगर प्रत्येक व्यक्ति को आधा सेर भी रोजाना का राशन दें और छोटे बड़े सब का हिसाब लगा लें तो १८० सेर हो गया याने ४॥ मन हमारा प्रति व्यक्ति हो गया और होता है ७ मन प्रति व्यक्ति। तो जब हम इस हिसाब से देखते हैं तो मालूम होता है कि अनाज देश में भी है और राज्य में भी है। तो हम अनाज की कमी की बात कहें या वितरण की बात कहें, यह बड़ा ही अहम सवाल है। अगर सबसे बड़ा सवाल है तो जैसा कि उन्होंने कुछ सुझाव दिये प्रोडक्शन के बारे में ठीक है उस पर विचार होना चाहिये लेकिन सबसे बड़ी समस्या है वह यह है कि वितरण किस प्रकार से करें। आज देश के अन्दर संकटकालीन परिस्थिति है। इस परिस्थिति में जैसी कि रिपोर्ट दूसरे प्रान्तों की और हमारे प्रान्त की है, ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारे यहां १२ जिलों में अकाल है और हालात खराब हैं। सौराष्ट्र चले जायें, मध्य प्रदेश चले जायें तो वहां के हालात भी खराब हैं। तो अनाज की जब इस प्रकार की स्थिति सारे हिन्दुस्तान की मालूम पड़ती है तो इसको बहुत गम्भीरता से सोचना पड़ेगा। जबकि संकटकालीन स्थिति में हम हैं तो हमें और भी गम्भीरता से सोचना चाहिये और किसी न किसी निष्कर्ष पर आना चाहिए

(श्री मुरलीधर व्यास)

और वह नीति भी दृढ़ता के साथ लागू करनी चाहिए और सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसी नीति को हम दृढ़ता के साथ लागू नहीं कर रहे हैं। मैं फिर कहना चाहता हूँ क्योंकि इस समय हम युद्ध के द्वार पर खड़े हैं, और जब कभी कोई देश युद्ध के द्वार पर खड़ा होता है तो ठीक ढंग से वितरण करना हर सरकार का कर्त्तव्य हो जाता है। अगर हम वितरण ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं तो उसके परिणामस्वरूप ग्राम जनता में और हमारे युद्ध के मामले में भी बड़ी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं खास करके मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं और कहना चाहता हूँ कि इस मामले के अन्दर सरकार को कम से कम अनाज के वितरण की व्यवस्था के मामले में बहुत ही स्पष्ट हो जाना चाहिए और एक नीति कोई भी हो आज समाजवाद की नीति को हम मानते हैं तो उस पर बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिये, अगर अमेरिका की नीति और पूंजीवादी तरीकों पर चलना चाहते हैं तो उस नीति पर स्पष्ट रूप से आ जाना चाहिये। यदि हम गांधीवादी नीति पर चलना चाहते हैं तो उस पर आ जाना चाहिए, अगर हम समाजवादी नीति पर हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि हमारा सरकारी क्षेत्र कैसा होना चाहिए। सरकारी और सहकारी क्षेत्र का क्या सम्बन्ध होना चाहिये, एक निश्चित नीति बन जानी चाहिए और उसके आधार पर ही योजना बनाई जानी चाहिए क्योंकि लड़ाई का मौका है। हो सकता है, दो-चार साल लड़ाई चल जाये। अगर वितरण का इंतजाम ठीक ढंग से नहीं होता है तो इससे बड़ी भारी दिक्कत पैदा हो सकती है।

आपको पता होगा कि दूसरा महायुद्ध सन् ३९ में चला उस समय भी हमारे देश में अनाज का किसी न किसी प्रकार से कंट्रोल हुआ और नियम बने, कानून बने मुनाफाखोरी को, ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए और राशनिंग की व्यवस्था चली। दूसरे महायुद्ध के अन्दर इंगलैंड के अन्दर भी हमने देखा कि जब दूसरा महायुद्ध चल रहा था तो इंग्लैंड के अन्दर भी राशनिंग की व्यवस्था की गई और नियमानुसार चीजों का राशन बांधा गया। चाहे वह प्रधान मंत्री हो चाहे वह एक मजदूर हो। आधा छटांक मक्खन अगर चर्चिल को मिलेगा तो वही आधा छटांक मक्खन किसी और को भी मिलेगा। जितनी चीजें आवश्यक थीं उनके राशन बांधे गए आटा गेहूँ आदि सब समान रूप से सबको मिलते थे और समानरूप से सब लेते थे। उसी तरह से आज हमारे देश में भी जो युद्ध की परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए एक निश्चित नीति निर्धारित कर लेनी चाहिए। और इस मामले में आप अगर समाजवादी नीति पर चलना चाहते हैं तो उस पर चलें, चाहे वह स्टेट ट्रेडिंग की नीति हो, चाहे उसके साथ को-ऑपरेटिव की बात हो, चाहे छोटे लघु उद्योगों की बात हो, चाहे बड़े उद्योगों की बात हो, चाहे वह पब्लिक सेक्टर की बात हो, चाहे वह प्राइवेट सेक्टर की बात हो, लेकिन एक निश्चित नीति निर्धारित कर लें कि जिससे स्पष्ट रूप से उस नीति पर चल सकें। और अगर वह नीति न अपना कर अमेरिकन पैटर्न पर चलना चाहते हैं तो उसका निर्णय लें। हमारे यहां क्या है कि हमारे राज्य ने भाव जो बांधे वे कम-से-कम के भाव बांधे, अगर इससे नीचे होगा तो हम अनाज

(श्री मुरलीधर व्यास)

खरीदेंगे । पर अमेरिका और हिन्दुस्तान में फर्क है । अमेरिका में जो पैदावार होती है वह वहां की खपत से बहुत ज्यादा है और इतनी ज्यादा है कि वहां की अमेरिकन सरकार को इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि कम से कम भाव इससे नीचे न जावें । निश्चित दर से सरकार वहां पर अनाज खरीद लेती है जो पी० एल० ४८० के तहत सार्वजनिक विनिमय के रूप में काम में लाया जाता है । सरकार खुद खरीद लेती है और उस माल को विदेशों में भेजती है ताकि जो माल ज्यादा है उसको दूसरों के यहां भेज कर अपने वहाँ की स्थिति को ठीक बनाए रखे । यह वहां का तरीका है । हमारे यहां कम से कम भाव बांधने से कोई फायदा नहीं है । क्या हमारे यहां पर प्रोडक्शन ज्यादा है या भाव इतने कम हैं कि उसके भाव बांध कर सरकार को खरीदने की जरूरत पड़ सकती है या हमें वितरण का इन्तजाम करना है ? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस कम से कम भाव बांधने की जो आपकी नीति है आपको इस मामले में अपने तरीके को बदलना पड़ेगा और इसके अन्दर जो कम से कम भाव बांधने की जो नीति है उसका कोई पालन नहीं करता है और इसलिए इस पर आपको सोचना पड़ेगा । आपने ज्यादा से ज्यादा के भाव भी बांधे हैं, गेहूँ के ६५) रुपये के भाव बांधे हैं, पर ६५) रुपये क्विन्टल में आप गेहूँ दिला नहीं पाते हैं । एक सरकार भाव बांधती है लेकिन उस भाव पर अगर अनाज दिला नहीं पाती है तो उसका मतलब क्या रह जाता है । आप जनता को इन भावों पर अनाज उपलब्ध कराने में भी फेल रहे हैं । तो इस मामले में भी आपकी कोई न कोई निश्चित नीति होनी चाहिए । मैं समझता हूँ, आज जो हमारे देश में परिस्थितियां हैं उनमें हमारे देश में अमेरिकन पैटर्न नहीं चल सकता है और उस पैटर्न को लेकर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं ।

तीसरा तरीका होता है गांधीवादी तरीका । यह गांधीवादी तरीका यह है कि अपने आप ग्राम के अन्दर या अपनी अपनी तहसीलों और जिलों की व्यवस्था अपने स्तर पर ही करें । जिलों का अपना प्रोडक्शन बढ़ाया जाय और किसी तरह से वहां के लोगों का निर्वाह किया जाय । आज खाद्यान्न के मामले में बड़ी मांग है कि जो जोन हैं, जो जोन सिस्टम है उसको खत्म कर दिया जाना चाहिए । इसमें तो सारे देश की व्यवस्था करने का सवाल आता है । कई राज्य कर नहीं पाते हैं, और एक बहुत बड़ा संकट उस राज्य का हो जाता है । सारे देश की व्यवस्था की बात को छोड़ दीजिए, अपने प्रान्त की व्यवस्था की बात को ही ले लीजिये । आप देख लीजिए कि बीकानेर, चूरू और रतनगढ़ की बड़ी भयंकर हालत खराब है । एक रुपये में एक सेर बाजरा नसीब नहीं होता है । इसके साथ ही इतनी भारी नियंत्रण की व्यवस्था आपके प्रान्त की है कि बीकानेर का कोई व्यापारी अगर जालोर बाड़मेर जाता है या दूसरी किसी जगह पर जाता है तो वहां का कलेक्टर पाबंदी लगा देता है कि तुम यहां से अनाज नहीं ले जा सकते । एक तो इलाका ही अकाल पीड़ित है दूसरा अनाज नहीं है और उस पर यह पाबन्दी लगादी जाती है तो क्या हालत हो सकती है मैं आपको कहूँ, कमला बेनीवाल परसों बीकानेर आई थीं, उनके सामने कलेक्टर ने खुद ने कहा कि हमें दूसरे जिलों से अनाज नहीं लाने देते हैं । जहां पर अनाज की पैदावार ज्यादा है वहां

(श्री मुरलीधर व्यास)
के कलेक्टर अनाज को बाहर नहीं जाने देते हैं क्योंकि उनको भी अपने यहां की परिस्थिति का भय रहता है। तो इस तरह से जो अकाल-पीड़ित इलाके हैं जिनकी हालत खराब है उनको क्या मिलेगा, किस तरीके से इन्तजाम होगा, इस मामले में सरकार को दृढ़ नीति निर्धारित कर लेनी चाहिए कि कम से कम राजस्थान के अन्दर तो किसी जिले में कहीं पर भी कोई कलेक्टर रोक नहीं सके। इसको आजादी के साथ में जाने दिया जाय और बाहर जाने के लिए आप नियंत्रण करें वह तो भले ही करें लेकिन यहां पर न रोका जाय, इस प्रकार की व्यवस्था हो।

देश की संकटकालीन स्थिति में यह बहुत जरूरी है और मैं इस मामले के अन्दर किसी चीज का दुरुपयोग नहीं करना चाहता परन्तु गत समय मैंने हमारे देश के अन्दर गोली की बात की थी कि जैसलमेर में एक बड़ा बहादुर सैनिक था जिसकी गोलियां खत्म हो गई तो वह मुर्दे की गोलियों को लेकर ही लड़ने लगा तो, इस पर यहां बहुत ऐतराज किया गया था कि इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो एक पर्चा भारत सेवक समाज की तरफ से निकाला गया है वह क्या है। यह पर्चा बीकानेर में निकाला गया है, एक छोटा सा पर्चा है इसमें लिखा है :—

"भारत सेवक समाज बीकानेर की जनता जनार्दन से मार्मिक अपील"

जिलाधीश महोदया, श्रीमती प्रोतिमा बोडिया ने गेहूँ की कमी को ध्यान में रखते हुए राशन-व्यवस्था बिगड़ने के भय से उचित मूल्य पर सैनिक भाइयों के लिए, भारत सेवक समाज सैनिकों की सेवा कर रहा है को गेहूँ देने में असमर्थता प्रकट की है इसलिए भारत सेवक समाज प्रत्येक नागरिक से विशेष कर महिलाओं से प्रार्थना करता है कि अपने परिवार के राशन में से कम से कम एक किलो गेहूँ कटौती देकर उचित मूल्य पर देने की कृपा करें।"

इसके निवेदक हैं रावतमल कोचर, अध्यक्ष, भारत सेवक समाज, बीकानेर और कोई फाल्गुन गोस्वामी मंत्री हैं। अगर ऐसे मामले में कि किसी सैनिक के लिए राशन के लायक अनाज नहीं मिल रहा है इसलिए इस प्रकार का पर्चा निकाला जाय तो यह कितनी ऑब्जेक्शनेबल बात है ? जहां तक राशन का सवाल है उनको राशन मिलता है। इसमें किसी परिवार का नाम नहीं कि उसको नहीं मिला है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के पर्चे निकालने में क्या भावना हो सकती है ? क्या देश को बदनाम करने की भावना है ? आप इस बात की जांच करें कि जिन लोगों ने इस प्रकार के पर्चे निकाले हैं उनकी भावना क्या है ? क्या वे यह बताना चाहते हैं कि हमारे पास अनाज की कमी है ? मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे राज्य में कोई अनाज की कमी नहीं है, मंत्रीजी कहते हैं कि अनाज की कमी नहीं है, कमी है तो हमारी वितरण व्यवस्था की कमी है। वह व्यवस्था किस प्रकार से ठीक हो यह विचारने की बात है।

अब नीति की बात तो हो गई, नीति साफ हो गई और नीति के सम्बन्ध में इस समय की परिस्थितियों को देखते हुए कुछ बातें रखी। सरकार ने भी समय-समय पर अपनी नीति निर्धारित की और यह प्रयास किया गया

Page No 65

(श्री मुरलीधर व्यास)

कि अनाज आम जनता को मिल जाय, जो अनाज छिपा हुआ है वह बाहर निकले। इसके लिए हमने यह फैसला लिया कि २५ क्विन्टल से अधिक, १० और २५ क्विन्टल से अधिक अनाज, जिसमें व्यापारी और किसान दोनों ही आ गए, अगर किसी के पास इससे अधिक अनाज है तो वह सरकार के पास अपना हिसाब दे, उनकी जांच कराने। गंगानगर इलाके में मुझे पता पड़ा है कि गंगानगर जिले के अन्दर आदेश दिया गया कि अनाज की घोषणा करो। गंगानगर सरीखा जो सबसे बड़ा प्रोडक्टिव इलाका है उसके अन्दर ८ आदमियों ने सिर्फ यह बताया कि हमारे पास २५ क्विन्टल से ज्यादा अनाज है। २५ क्विन्टल से ज्यादा अनाज हमारे दूसरे इलाकों में भी कितने ही लोगों के पास होगा, कुल मिला कर ५० लोग होंगे, पर गंगानगर से रिपोर्ट आई कि सिर्फ ८ आदमियों ने कहा कि हमारे पास २५ क्विन्टल से अधिक अनाज है। जब आपको मालूम हुआ कि ८ आदमियों ने ही घोषणा की है तो या तो आप उसी को सही मान गए कि वाकई ८ आदमी ही हैं जिनके पास इतना अनाज है या फिर आपकी व्यवस्था में कहीं खामी है। इस मामले में इतना स्पष्ट है कि सरकार को काफी गहराई से पता लगाना चाहिए था कि किस व्यापारी के पास कितना अनाज है, किस किसान के पास कितना माल रखा है। मैं समझता हूँ कि अगर सरकार गम्भीरता से इस पर कार्यवाही करती तो ८, १० या ५० तो क्या हजारों किसान ऐसे मिल जाते जिनके पास २५ क्विन्टल से ज्यादा अनाज है। पर सरकार सोती रही।

(२.००म.प.)

सरकार ने गये हनुमानगढ़ के चुनाव में देखा कि वोट लेने के लिए सरकार ने घोषणा कर दी थी कि २५ क्विन्टल से ज्यादा हो वे रिपोर्ट दें, उसको स्थगित कर दिया ताकि किसानों के वोट हमारे हाथ से न निकल जायं। उसके बाद दो महीने इसको लागू किया। यह जो नीति है मैं समझता हूं कि चाहे किसी ने की हो, चाहे खाद्य मंत्री ने की हो हमने कोई जांच नहीं की है, पर मैं कहता हूं कि बड़ा भारी देशद्रोह का काम किया है। अच्छा काम नहीं किया है। कोई भी आदमी चाहे किसी स्थान पर बैठा हो अगर इस संकटकालीन स्थिति में, लड़ाई के समय इस प्रकार की ढिलमिल नीति रखता है, इसका दुरुपयोग करता है तो चाहे कितने ही बड़े पद पर हो, उसका यह राष्ट्र-द्रोह का काम है, अब उसमें नाकामयाबी रहे। भावों के अन्दर नाज दिलाने में ना कामयाबी रही। दूसरी व्यवस्था की अब आप कहते हैं कि व्यवस्था करना चाहते हैं। उसका अब मैं आप से कहना चाहता हूं कि या तो सरकार अपनी एक दृढ़ नीति बना ले कि बिल्कुल सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत सारे नाज का व्यापार करेगी। क्रय-विक्रय संघ जिसको इस मामले में बहुत ज्यादा काम करना था परन्तु वह ज्यादा इस मामले में बदनाम हुआ उसका नतीजा कुछ न निकला। क्रय-विक्रय संघ के मामले में गुड़-घोटाले में इतना पैसा आया उसकी रिपोर्ट आज तक हाउस में पेश नहीं हुई। विजीलेन्स कमीशन ने क्या किया? एक बहुत बुरी चीज जो सारे राजस्थान की व्यवस्था के दृष्टिकोण से जिम्मेदार ज्यादा थे उनके द्वारा इतनी ज्यादा गड़बड़ हो जाती है और इस संकटकालीन परिस्थिति में इस प्रकार से नाज सरकार नहीं निकाले तो आज लोगों का विश्वास कोआपरेटिव से हट जाता है

(श्री मुरलीधर व्यास)
और कहते हैं कि यह भी खाने की चीज है। कल ही एक सवाल कोआँपरेटिव के बारे में था मछली के ठेके के मामले के अन्दर, उसके बारे में मंत्रीजी ने बताया तो उससे सन्तोष नहीं हुआ। सन्तोष कैसे हो? आप किसी एक ही व्यक्ति विशेष को लगातार राजसमन्द का ठेका देते चले आते हैं। वहां पर मछुओं ने मांगा कि हम कोआपरेटिव बनाते हैं। उनके कहने के बावजूद भी उनको नहीं दिया और एक ही व्यक्ति को देते रहे और कम पैसे में देते रहे। मैं समझता हूं कि इन चीजों को नीति के रूप में दृढ़ता के साथ में करना चाहिए, नहीं तो कोई लाभ नहीं होने वाला है।

नाज के मामले में, राशन व्यवस्था के बारे में केन्द्रीय सरकार ने नीति निर्धारित की एक लाख से अधिक की आबादी में राशन-व्यवस्था की जाय। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि आपकी यह नीति है तो किस तरह से तो आप प्रोक्योरमेंट करेंगे किस भाव से करेंगे, इसका उसमें उल्लेख नहीं है? किस तरीके से लेंगे, इसका कुछ नहीं। व्यापारियों से लेवी लेंगे तो वह किस प्रकार से लेवी लेंगे, किस भाव से लेंगे? उसका पुराना उल्लेख है तो वह क्या है? मैं समझता हूं कि इस मामले के अन्दर चने की लेवी ली तो चने की लेवी से कुछ फायदा हुआ। क्या चना यहां से बाहर गया? ५० पर्सेन्ट जो सरकार ने रखा, वह चना आज आम लोगों को मिलता है कुछ लोगों को राहत हुई। चने की लेवी के साथ में मोठ की लेवी लेते, बाजरे की लेवी लेते। जो बाहर जाता है उससे लेते और नियमित रूप से लेते तो आम जनता को कुछ न कुछ मिल जाता। उसकी लेवी नहीं लेने से मोठ सब निकाल दिया। मोठ को ऐसा मानते हैं आप कि नाज ही नहीं है। मै कहना चाहता हूं कि मोठ है वह हमारे बीकानेर, रतनगढ़, चूरू, बाड़मेर, जैसलमेर के इलाकों में मोठ और बाजरा ही खाते हैं। मोठ उनका खाद्य-पदार्थ है। उसको जाने दिया। वह बाहर निकल जाता है और इस ज्यादा तादाद में निकलता है कि मोठ जैसी चीज किसानों को ४–५ छटांक मिलती है राशन में। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस मामले में सरकार यह नीति अख्तियार करना चाहती है कि लेवी जो लेती है तो सब चीजों की ले। अपनी केन्द्रीय सरकार की तरफ से जो कार्पोरेशन नाज का कर दिया गया कि वह निश्चित् भाव में बाजार भाव से खरीदेगा और वह नाज जो होगा वह आपके पास में आयेगा।

किसानों से जो लेवी की बात आप करते हैं वह किस प्रकार से लेंगे। यह बड़ा भारी सवाल है। हम समझते हैं कि इस प्रश्न को जब-जब भी आपने उठाया तो सिवाना गोलीकाण्ड जैसी घटनाएं बहुत हुईं। किसानों के सामने नई नई समस्यायें पैदा हुईं। इस मामले में आप यह कर सकते हैं कि जो किसान मंडी में माल लाता है, जैसे गंगानगर में आता है और ढेर लगाता है तो उस माल को पहली बोली में सरकार ले ले। अगर लेवी हर जगह पर लगा देंगे तो उसके परिणाम बहुत बुरे निकल सकते हैं। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस मामले में सरकार स्टेट ट्रेडिंग की बात करती है और उस तरीके से व्यवस्था करती है तो उसके अन्दर सारे पहलुओं पर विचार करना पड़ेगा कि किसान को उसकी आवश्यकता की

(श्री मुरलीधर व्यास)
चीजें किस भाव में दें, उससे किस प्रकार से लें। इन सारे तथ्यों पर जाना पड़ेगा। लेकिन आज की समस्याओं के मामले में जो तीन उपाय रखे हैं उसमें यही रखे हैं कि जो भी लेवी आप लें वह हर चीज की लें। व्यापारी जो माल बाहर भेजता है उससे भी हर चीज को लें। उसके साथ-साथ किसानों से अगर आप लेवी लेना चाहते हैं तो मार्केट में जब वह माल लायें उस समय आप खुद खरीदें पहली बोली सरकार की उस माल पर लगेगी। उसमें किसानों के पास से माल आ जायेगा चाहे किसी भाव में आये।

दूसरा सवाल मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जितने भी क्रय-विक्रय संघ हैं, जो भी उपभोक्ता भंडार हैं उनको मैदान में खुले मार्केट में आने देना चाहिए ताकि वे भाव से मोल लाकर जनता को उपलब्ध करा सकें। इस प्रकार से अगर आपने कुछ माल रखने की कोशिश की तो कुछ नतीजा निकलेगा। आज होता क्या है कि जो व्यापारी हैं जब से आपकी यह नीति हुई है तब से उस नीति से कोई सहयोग की बात नहीं करता है, बल्कि आपकी नीति को किसी प्रकार से फेल करने के अन्दर उसने कुछ कदम उठाये हैं। इसके अन्दर कहा गया, जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा कि जयपुर के सारे बड़े-बड़े व्यापारियों ने बड़ा सहयोग दिया। बड़े-बड़े व्यापारी आप से मिले और आपको सहयोग दिया। एक लाख रुपया जमा हुआ और वह ५५ के भाव में बेचने की व्यवस्था करेंगे। आज जौ ५५ में कहां मिल रहा है? आज जयपुर में चले जायें तो ७५ रु० क्विन्टल में जयपुर के अन्दर मिलता है। तो उस मामले में जो चाहा गया उसको वे निभा नहीं पाये और आपने उनकी तारीफ दी। आपने कहा कि व्यापारियों का बहुत बड़ा सहयोग रहा। हो सकता है कि व्यापारियों का किस प्रकार सहयोग आपको मिला है यह पता नहीं, लेकिन जहां तक इस मामले में जो आप कहना चाहते हैं तो वह सहयोग नहीं मिला।

आज की जो संकटकालीन परिस्थिति है तो सरकार की जिम्मेवारी है कि ऐसी संकटकालीन, युद्धकालीन स्थिति के अन्दर खुद बाजार में निकल कर माल लेकर अपना संग्रह करें और माल को इकट्ठा करके वितरण की व्यवस्था करें तो नियन्त्रण कर लेगी, नहीं तो कुछ लोगों के भरोसे संकटकालीन परिस्थिति में देश को डालेगी तो मैं समझता हूं कि इसका बहुत बुरा नतीजा निकलेगा। अगर आप सारे काम नहीं करते हैं बल्कि उसमें ढिलाई करते हैं तो इसमें नियन्त्रण भी नहीं रहेगा। ६५ का भाव बांध दिया नीचे से नीचे का भाव बांध दिया। हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो उसका नतीजा यह हो रहा है कि बाजार में चीज नहीं मिल रही है। रतनगढ़ में श्री मोहनलाल सारस्वत ने कल कहा कि ८३ रुपये तक में बाजरा नहीं, ८६ रुपये में बाजरा नहीं। बीकानेर के बाजार में आप चले जाइये तो एक रुपया किलो में भी बाजरा वहां पर नहीं मिलता है। अभी डिप्टी मिनिस्टर भी वहां पर पहुंची थी। उन्होंने सारी हालत को देखा है। उनसे पूछ लें। ३००–४०० बोरियां जमा थीं तो कलेक्टर ने राशन के जरिये से हर आदमी को ७० पैसे के हिसाब से चार-चार किलो दिया एक कार्ड के पीछे। यह व्यवस्था की है। उसका नतीजा क्या हुआ कि शहर में जो लोग थे उनको मिल रहा था लेकिन शहरों के पास जो गांव लगे हुए हैं उनको बाजरा भी नहीं मिल रहा

Page No 68

(श्री मुरलीधर व्यास)

था। एक रुपये का एक किलो दूसरा नाज भी नहीं मिल रहा था हालत इतनी खराब थी राशन बाहर वालों के लिए कुछ नहीं। बाहर से अनाज आया नहीं तो फिर लोगों को कहां से मिले। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो बाहर वाले लोग हैं, अकाल पीड़ित हैं उनका इन्तजाम भी आपको करना है चाहे नीति में परिवर्तन करें लेकिन आपने एक सप्ताह में अकाल वाले क्षेत्र में अनाज नहीं पहुंचाया तो त्राहि-त्राहि मच जायगी। मैं चाहता हूं कि बोर्डर एरिया है मुख्य मंत्रीजी इस ओर ध्यान दें तभी ठीक हो सकता है।

मैं दूसरी बात

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): उपाध्यक्ष महोदय, टाइम की लिमिट बांध दें वरना मुश्किल हो जायगी।

श्री मुरलीधर व्यास: मैं ५ मिनिट में ही समाप्त करता हूं। अनाज की खपत के बारे में बात थी किस तरह बेचान करेंगे। किस तरह होगा यह सब रिपोर्ट में लिखा है। देश की संकटकालीन स्थिति में अनाज का एक दाना भी नष्ट नहीं करना चाहिये यह देश की बड़ी भारी सेवा है। लेकिन साथ ही साथ देश में जो जमीन है उसका एक इंच टुकड़ा भी ऐसा नहीं होना चाहिये जिसका दुरुपयोग हो। अभी बहुत सी जमीन ऐसी है जो किसानों को नहीं मिलती है और दूसरों को दे दी है। ऐसे कई केसेज हमारे सामने हैं। भीलवाडा का एक केस है दामोदर लाल मानसिंह का उसको सन् ४९ में जमीन दी गई १२०० एकड़ जिसके बारे में यहां बार २ सवाल उठा है। १२०० एकड़ जमीन गैर तरीके से उनके पास है। कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया है कि यह गैर तरीके से उनके पास है जिस काम के लिए दी थी उसका उपयोग नहीं हो रहा है। सन् ५० में फैसला हुआ, बार बार सवाल उठाया जाता है लेकिन उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता। चाहे कितने ही बड़े आदमी हों, ऐसे लोग जो जमीन का मिसयूज करते हैं वैसे लोग राज्य में बहुत ज्यादा हैं। सरकार जानकारी देने के बावजूद भी कार्यवाही नहीं करती है तो ऐसा लगता है कि जमीन के मामले में सरकार सावधान नहीं है। आज जिसके पास क्रय शक्ति ज्यादा है उन पर आपको टैक्स लगाना चाहिये। अल्प बचत योजना के जरिये उनसे पैसा निकलवाना चाहिये। कुछ ऐसे तरीके काम में लाने चाहिये कि जिनके पास रुपया ज्यादा है, जिनकी क्रय शक्ति ज्यादा है बैंक में होडिंग करते हैं उनके लिये ऐसा कदम उठाना चाहिये जिससे भाव नहीं बढ़ें। जहां संकटकालीन स्थिति होती है वहां योजनाबद्ध काम होना चाहिये। आज की बीसवीं सदी में सबसे बड़ा काम भावों का संतुलन है। भावों का संतुलन बिगड़ा तो सारे देश का संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार को योजनाबद्ध तरीके से सख्ती के साथ कदम उठाना चाहिए।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष: श्री रघुनाथ बिश्नोई।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी मंत्रीजी ने खाद्य समस्या के बारे में कुछ मोटे तथ्य रखे और सरकार की यह मंशा जाहिर की कि राज्य

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

सरकार १ लाख टन अनाज का स्टॉक बनाना चाहती है। लेवी के जरिये खरीफ की फसल या रबी की फसल में से प्रोड्यूसर्स से लेवी लेकर राज्य सरकार स्टॉक जमा करेगी। उपाध्यक्ष महोदय, इस लेवी को किस तरह से राज्य सरकार लेना चाहती है इस बारे में मैं सरकार से स्पष्टीकरण चाहूंगा क्योंकि सारे राजस्थान में खरीफ की फसल पर बुरा असर सामने आया है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिनमें बिल्कुल फसल नहीं हुई है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिनमें चार आना या ६ आना फसल है और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं जिनमें मेगजिमम आठ आना फसल होने का अन्दाज है आठ आना से ज्यादा फसल नहीं होगी ऐसी सूरत नजर आती है। इसलिये माननीन उपाध्यक्ष-महोदय, राज्य सरकार के लेवी लेने के निश्चय से काश्तकारों को मुश्किल का सामना नहीं करना पड़े इस बारे में राज्य सरकार को अपनी रेवेन्यू आँथोरिटीज को एलर्ट करना आवश्यक है क्योंकि खेत खेत की गिरदावरी करके सही पोजीशन क्या है इसका पता लगाना होगा। गिरदावरी के जरिये सही तौर से रेकार्ड में दर्ज नहीं किया जायगा तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी परिस्थिति में जब क्रोप पर असर लेवी के जरिये होने वाला है ऐसे आसार दिखते हैं तो कई बातें उठ खड़ी होती हैं। आज राजस्थान में रेन्स फेल हो गई हैं आज की मौजूदा हालत में वास्तविक क्रोप की स्थिति क्या है और काश्तकार से किस रूप में लेवी लेने की आवश्यकता है इस बारे में राज्य का रेकार्ड पुख्ता तौर से बनाने की आवश्यकता है। इसके लिये राज्य सरकार की ओर से स्पष्ट आदेश होने चाहिये कि तहसीलदार और एस. डी. ओ. गिरदावरी सही ढंग से करें और खाली पटवारियों पर नहीं छोड़ें। क्योंकि जब लेवी होने वाली मालूम होती है और यह काम पटवारियों पर छोड़ दिया जाता है तो इसमें करप्शन की गुंजाइश है, कुछ लोगों को जान बूझ कर हैरेश करने की गुंजाइश रहती है इसलिये मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और राज्य सरकार से स्पष्टीकरण चाहूंगा कि सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया जायगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मंत्रीजी ने यह भी कही कि ५० हजार टन का जो स्टॉक है वह बाजार में राज्य सरकार प्रोक्योर करने की कोशिश करेगी; इसके बारे में मंत्रीजी से स्पष्टीकरण चाहूंगा कि किस जरिये से प्रोक्योर किया जायगा। ये दो सिस्टम इन्ट्रोड्यूस करने से या तो प्रोड्यूसर्स से लेवी के रूप में इकट्ठा किया जाता है तो बाजार में किस तरह से अनाज मिलेगा इस बारे में राज्य सरकार से स्पष्ट घोषणा चाहूंगा कि किस तरह प्रक्योर किया जायगा।

आगे माननीय मन्त्रीजी ने स्पष्ट कहा है कि आगे का जो समय आने वाला है वह बहुत ही डिफिकल्ट टाइम होगा राजस्थान और हिन्दुस्तान के लिए। इस बारे में अभी राज्य सरकार की जो मौजूदा स्थिति है उस स्थिति को समय समय पर रिव्यू करने के लिए राजस्थान में एक हाई लेवल कमेटी होनी चाहिये ऐसे आदमियों की जो निष्पक्ष हों और सभी पार्टीज द्वारा एग्रीएबल हों और जो करप्शन को रोक सकें, समय पर सरकार को सलाह दे सकें और स्थिति का दृढ़ता से मुकाबला किया जा सके। इस

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

बारे में राज्य सरकार को सोचना पड़ेगा इसके अलावा सभी पार्टियों के दृष्टिकोण स्पष्ट होने की आवश्यकता है क्योंकि राज्य सरकार का जो हुक्म होगा वह सबको एफेक्ट करेगा चाहे उत्पादक हो, ट्रेडर हो या कन्ज़्यूमर हो। इसलिए सरकार का जो भी निर्णय होगा, जो भी सरकार की आज्ञा होगी उसका किस तरह से पालन किया जाय उसके बारे में सभी पार्टियों का सहयोग होना आवश्यक है। जिन जिन क्षेत्रों के माननीय सदस्य हैं, जिन जिन क्षेत्रों के मेम्बर्स होंगे उनको चौबीसों घंटा विजिलेण्ट रहने की आवश्यकता होगी वरना कुछ भी ढिलाई अगर बरती गई तो राज्य सरकार को प्रोक्योरमेन्ट करने में बड़ी कठिनाई होगी, इसलिए हमारा फर्ज है कि इस बारे में जो निर्णय होंगे उनके बारे में हमको हरेक को विजिलेन्ट रहने की आवश्यकता है तभी राज्य सरकार के अधिकारी, उत्पादक, ट्रेडर्स और कन्ज़्यूमर्स को कठिनाई नहीं होगी। इसलिए तहसील एडवाइजरी कमेटीज की स्थापना करके काश्तकारों, व्यापारियों और कन्ज़्यूमर्स-काश्तकार जो पहले से ही बर्डन्ड हैं, उनकी समस्याएं हैं, जिनके बारे में समय समय पर जानकारी करनी पड़ी, उनकी क्या समस्याएं हैं, किस तरह से वे खेती करते हैं, किस तरह की उनकी कठिनाइयां हैं, मीन्स आफ कम्युनिकेशन्स नहीं हैं उनको कैसे दूर करना है, काश्तकारों के पास कितने मवेशी हैं, कितने उनके फेमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए कितने अनाज की आवश्यकता है, उसका किस तरह से इन्तजाम होगा इन सब बातों की ओर ध्यान नहीं देंगे तो आप इन्तजाम कतई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि गांवों में जो अनाज मौजूद लोगों के पास है उसके बारे में राज्य सरकार को सोचना पड़ेगा। अगली फसल जब तक आती है उसका सही तौर से एस्टीमेट बना कर उनके पास रखना पड़ेगा। वर्ना एटरेंडम अनाज लेकर स्टॉक करके वापिस वितरण करने की समस्या गांवों में पैदा हो जायगी। वितरण करने की इससे भी ज्यादा गम्भीर समस्या होगी और राज्य सरकार को वापिस वितरण करने में कठिनाई उपस्थित हो सकती है इसलिए तहसील और जिला लेवल पर जो स्टॉक राज्य सरकार करे उसको वहीं रखना पड़ेगा और जहां ऐसी परिस्थिति हो वहां उसको वापिस वितरण कराने का राज्य सरकार को इन्तजाम करना पड़ेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में जो राज्य सरकार से समय समय पर आदेश जारी हुए हैं, राज्य सरकार ने साफ मन्शा से इस समस्या को हल करने के लिए आदेश निकाले हैं लेकिन समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार जो आदेश निकाले हैं उनका जो रिज़ल्ट निकलना चाहिए उसके बारे में हमारा भूतकाल का अनुभव हमें बताता है कि उसमें जो कामयाबी होनी चाहिए वह राज्य सरकार की मन्शा के बावजूद कामयाबी हांसिल नहीं हुई है। इसलिए इस कठिन परिस्थिति में जब कि हमारे देश के ऊपर पाकिस्तान ने हमला किया, उस हमले से अपनी सीमाओं को डिफेन्ड करने में हमारा देश लगा हुआ है, इसके साथ ही साथ हम होम फ्रन्ट पर अपनी इस खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए भी विचार कर रहे हैं, तो इस समस्या पर भी हमें गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार भी निर्णय लेने वाली है,

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

इसलिए इस बारे में इस सदन के माननीय सदस्य अपने-अपने सुझाव दें, जैसा माननीय मंत्रीजी ने कहा है और इसी वक्त उन सारे सुझावों के ऊपर निर्णय हो और उसके बाद में राज्य सरकार की आज्ञा जारी हो और उसके होने के बार में यह समस्या हल होने वाली है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि रबी की फसल जब तक नहीं आ जाती है, जब तक उसकी पैदावार नहीं आ जाती है तब तक हमें विजिलेंट रहने की आवश्यकता है। वरना अलग अलग इलाकों के अन्दर अलग अलग समस्यायें उपस्थित होने वाली हैं। मेरा निवेदन है कि जहां पर मीन्स आफ कम्युनिकेशन्स नहीं है वहां पर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन्सराज्य सरकार को बनाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। यदि ऐसे आदेश दिये गये कि सब जगह से इस जगह लाकर अनाज तुलाओ, सारे गांवों का वहां पर खाद्यान्न इकट्ठा करके तुलाने की व्यवस्था एक जगह होती है—यदि ऐसा किया गया तो काश्तकारों के सामने परेशानी पैदा होगी, उनका हैरेसमेंट होगा और एक तरह की समस्या पैदा हो जायगी। काश्तकार यह चाहते हैं और हमारा भी यह अनुभव है कि दूर दूर के इलाकों में वह रहते हैं और वहां से अपनी उपज ऊंटों पर या गाड़ी में लाते हैं। आप सांचोर तहसील को ही उदाहरण के रूप में लीजिये, हमारा इलाका सत्तर-अस्सी मील का इलाका है। वहां से गाड़ी में उपज लेकर आये काश्तकार, उसके बाद में उसको तुलाने की समस्या है। उसमें भी पाँच छः दिन लग जाते हैं। इसलिए तहसील लेवल पर इस काम को करने में टाइम लग सकता है। इसलिए इस समस्या का आपको समाधान करना पड़ेगा और इसके लिए सोचना पड़ेगा। इस बारे में मैंने राज्य सरकार को पिछली साल सुझाव दिया था और मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे उचित कदम सरकार समय पर उठाये कि मिनिमम प्राइस चालीस–पचास रुपए क्विण्टल पर राज्य सरकार ने दस हजार मन बाजरा उपलब्ध किया तो उसके बाद में गांवों में खरीदने की मण्डियां स्थापित कीं, जैसे सांचोर, जाब और हाडेचा है वहां पर राज्य सरकार के सामने समस्या उपस्थित हो गई कि अनाज को किस तरह खरीदा जाय और यह आर्डर रिलेक्स करना पड़ा, कि पचास-साठ हजार मन अनाज खरीदा जा चुका था और उसके अलावा २५ परसेन्ट बाजरा गुजरात में भी गया। ऐसी हालत में काश्तकार होर्डिंग करता है–यह समस्या नहीं है।

गम्भीर समस्या हमारे इलाके में है कि लोग अनाज पैदा करते हैं और राज्य सरकार को देना चाहते हैं लेकिन मनी लैंडिंग की इतनी जबर्दस्त समस्या है कि आज इस वक्त बीज बोने का समय है, इसके लिए लोगों को प्राइवेट तौर पर इन्तजाम करना पड़ेगा। मैंने राज्य सरकार को इसके लिए आगाह किया था। लेकिन अब आसार ऐसे दिखते है कि आठ-दस दिन में बीज पड़ने वाला है लेकिन उस समय हम पूरे बीज का इन्तजाम कर नहीं सकते। जब सरकारी बीज की व्यवस्था नहीं होगी तो उन्हें बोहरों से व्यवस्था करनी पड़ेगी, और मंहगा बीज लेकर ड्योढ़े और दुगने पैसे में बीज लेकर बोने को व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस बारे में राज्य सरकार को सोचना पड़ेगा कि इस कारण काश्तकारों को जबर्दस्त नुकसान नहीं उठाना

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

पड़े। यदि राज्य सरकार यह इन्तजाम कर देती है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आगे राज्य सरकार के सामने यह समस्या उपस्थित होने वाली नहीं है। इसलिए किसानों की कठिनाई को समझा जाय, ऐसे आदेश न निकाले जायं जिससे उनका हैरेसमेंट हो। फिर मैं समझता हूँ कि यह समस्या पैदा नहीं होगी। और दूसरे कन्ट्रीज से अनाज मंगाने की आवश्यकता नहीं होगी। टेक्नीकल कारणों से काश्तकारों को और परेशानी हो जाती है, जब कि वह ऑलरेडी बर्डन्ड हैं, उनकी अपनी समस्या है, उसके बाद में जो राज्य सरकार के हुक्म हुए हैं उनसे काश्तकार अफेक्टेड हैं। इस कारण वह दूसरे लोगों के हाथों में पहुंच जाते हैं। हमारे इलाके की सीमा है उससे गुजरात की सीमाएं लगती हैं, पांच मील पर ही बार्डर हैं। जब कि राज्य सरकार की वहां पर चौकी थी लेकिन जो व्यापारी हैं वह घानेडा और डीसा में मंडी रखते हैं और उस कारण चोरी-छिपे अनाज वहां पहुंच जाता है। इससे राज्य सरकार के आंकड़ों में भी फर्क पड़ता है। राज्य सरकार ने जो आंकड़े दिए है कि इतना अनाज यहां है और इतना इम्पोर्ट यहां हुआ है, उसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इन आंकड़ों में मुझे शक प्रतीत होता है, क्योंकि यहां से चोरी छिपे अनाज बाहर जाता है, लेकिन फिर भी आंकड़ों में अधिक अनाज दिखाते हैं।

मैं समझता हूं कि हमें वास्तविकता की जानकारी करनी पड़ेगी कि इस तरह से अनाज गया वह किस तरह से गया और वास्तव में किस तरह से अनाज यहां आया। आप अन्दाज लगायें कि लोगों के पास अनाज होर्डेड पड़ा है या नहीं, वह इससे गलत होगा और इससे लोगों के हैरेसमेंट होने की गुंजाइश होगी। इसलिए जो चोरी छिपे अनाज गया है उसकी जानकारी करने की आवश्यकता है। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में जो प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था की है, उसके लिए फूड कॉर्पोरेशन बाजार में आयेगा या राज्य सरकार खरीदने की व्यवस्था करेगी, इस बारे में राज्य सरकार से निवेदन है कि इस पर विचार करने की आवश्यकता है। यदि सरकार कोई भी ऑर्डर निकाले तो पहले विरोधी पार्टी के नेताओं से सुझाव ले और दूसरी एजेंसियों के भी सुझाव ले और हर तरह से एक यूनैनिमिटी से कोई चीज होनी चाहिए, ऐसा निर्णय होना चाहिए। साथ ही यह भी सबका फर्ज है कि वह गवर्नमेंट के साथ में कोऑपरेट करे और सब इस समस्या में से निकलने का भरपूर प्रयत्न करें।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): उपाध्यक्ष महोदय, इस खाद्य के प्रश्न को लेकर गत शरद्कालीन सत्र के अन्दर सबसे पहले सरकार से यह मांग की गई थी कि जो अन्न के भाव लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं वह एक चिन्ता का विषय है और इसके लिए आवश्यक है कि सरकार इस प्रकार के कठोर कदम उठाये जिससे अन्न के भाव स्थिर हो सकें। उसके उपरान्त सरकार ने सदन में आश्वासन दिया और आश्वासन देने के बाद भी सरकार को ओर से इस सम्बन्ध में भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न स्टेजेज के ऊपर कई ऑर्डर्स निकाले गये और खास तौर से ग्रेन के लिए स्टेंडिंग ऑर्डर इश्यू किये गये।

Page No 73

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

जिस समय यह सदन में आया तो इसकी कई धाराओं के बारे में आपत्ति की गई थी। लेकिन खाद्य मंत्रीजी ने भी उस समय विशेष ध्यान नहीं दिया। बाद में पता नहीं कौनसे कारण हुए कि जो सदन की ओर से सुझाव दिये गये थे उनको मानकर वापिस उन्होंने संशोधन किये लेकिन इस प्रकार के भी ऑर्डर निकले और निकलने के बाद में आज जो राजस्थान की स्थिति है, वह संतोषजनक स्थिति उत्पन्न हुई ऐसा दिखाई नहीं दिया। इसकी वजह से शोषण हुआ और जिस समय यह प्रश्न भयंकर रूप धारण करके आया तो जहां एक ओर हम सरकार से कह रहे थे कि अनाज के भाव स्थिर किये जायं, तो उसके लिए सरकार ने कदम उठाये और उस दिशा में ग्रेन कंट्रोल लाइसेंसिंग ऑर्डर और मोटे अनाज के मूवमेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन्स लगाये। उसके बाद में जो स्थिति आज उत्पन्न हुई है उसका परिणाम यह है कि भाव का प्रश्न तो पड़ा ही रह गया, आज जो समस्या राजस्थान के सामने है वह यह है कि अनाज हमें मुहैय्या किया जाय, अनाज हमें उपलब्ध कराया जाय। सरकार ने आज कहने को मेग्जिमम प्राइसेज फिक्स की लेकिन अधिकतम भाव जो आज नजर आता है वह अधिकतम भाव न्यूनतम नहीं रहा जिन भावों को अधिकतम बताया गया था उस भाव पर किसान अनाज देने को तैयार नहीं है। इस सबका नतीजा यह है कि गांवों से, मंडियों से, शहरों से अनाज गायब नजर आता है। आपने जितने भी आर्डर्स लगाए, उसके बाद जो आपने नक्शा दिया है और जो रिप्लाई दिया है उसके अन्दर देखने से ऐसा लगता है कि आपने कुछ केसेज पकड़े, कुछ चालान किये। मैं उनको देख कर कह सकता हूं कि हो सकता है कि टैक्निकल बातों को लेकर आपने उनका चालान किया होगा और उसमें से बहुत से लोग अदालत से बरी हो गए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपके ऑर्डर्स और कानूनों के तहत किसानों और व्यापारियों को जो कोटा जो ज्यादा से ज्यादा वे अपने पास रख सकते थे उसकी रिटर्न सरकार को उनको बतानी चाहिये थी वह उन्होंने आपको बताई है क्या? मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकार के पास किस प्रकार की संख्या आई है? क्या सरकार इस रिटर्न को जो उनके पास आई है उसको देखने के बाद यह संतोष प्रकट करती है कि यह रिटर्न जो उनके पास आई है वह पर्याप्त है और क्या जो अनाज बताया गया है वही अनाज उपलब्ध है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार पर चार्ज लगाना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में चाहे कोई राजनीतिक कारण हों या कोई ढिलमिल कारण हों या कोई करप्शन हो, सरकार इस संबंध में, कठोर कदम उठाने में सर्वथा असफल रही है। इस सम्बन्ध दो तीन दिन पहले एक प्रश्न पूछा गया था। उसमें यह पूछा गया कि सरकार आज तक कितना अनाज सीज करने में सफल हुई है। उसका उत्तर आया उसमें यह बताया गया कि १७०० बोरियां इस सम्बन्ध में सरकार पकड़ पाई है। सिर्फ १७०० बोरियां। सरकार की इतनी बड़ी मशीनरी काम करे और सिर्फ १७०० बोरियां ही सीज कर पाए! मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन कानूनों की तहत उन लोगों को सरकार को सूचना देनी चाहिये थी उस कानून का उन्होंने उल्लंघन किया और सरकार की बड़ी

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

भारी मशीनरी इन १७०० बोरियों को पकड़ पाई। आज १७०० बोरी अनाज राजस्थान में प्राप्त हो सकता है इसलिए आज इन सारी परिस्थितियों को देखने के बाद, किसी प्रकार का प्रतिष्ठा के प्रश्न को ध्यान में नहीं रखते हुए, एक बार इस पर विचार करना होगा कि अनाज के बारे में कन्ट्रोल आॅर्डर पास किया और जो नीति बनाई है उसमें दुबारा विचार करने की आवश्यकता है या दुबारा इस कानून को दुरुस्त किया जाए। अनाज को मुहैय्या करा सकें, इस बारे में सरकार को गंभीरता से विचार करना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा बताया गया है कि चने के प्रश्न को लेकर जो समय समय पर इसके निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाए गए और प्रतिबन्ध को हटाया गया और दुबारा फिर पाबन्दी लगाई इस प्रकार की कार्यवाही की गई और यह जो खिलवाड़ राजस्थान की जनता के साथ किया है इससे बड़ा भारी कलंक राजस्थान की सरकार के लिए और नहीं हो सकता। और मेरी तो यह मान्यता है कि हिन्दुस्तान में दो ही कानून ऐसे हैं जिनके कारण बेईमान व्यक्ति हैं जो इससे प्रभावित नहीं हुए बल्कि उल्टे मालामाल हो गए — एक तो स्वर्ण नियंत्रण कानून बना जरूर और कठिनाइयां आईं और इस कारण कई ईमानदार स्वर्णकार दर दर के भिखारी हो गये लेकिन जो बेईमान लोग थे वे आज मालामाल हो गये। उन्होंने इतना कमाया कि वे जीवन भर नहीं कमा सकते थे। मगर ऐसे लोगों ने कमाया जिनके पास पैसे थे और जिनके पास माल था और दूसरा कानून है फूडग्रेन कन्ट्रोल एण्ड लाइसेन्सिग आॅर्डर। मोटे अनाज के निर्यात के सम्बन्ध में समय समय पर पाबन्दियां लगाई गई और समय समय पर उन पाबन्दियों को उठा लिया गया जिसके कारण बड़े बड़े व्यापारी थे जिनके पास पैसा था और जिनके बड़े बड़े बैंक बैलेन्सेज थे उन्होंने उसको स्टोक किया और जितना पैसा उन्होंने इस समय में कमाया, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में वे कभी नहीं कमा सकते। हर एक व्यापारी मालदार नहीं हुआ। लेकिन जो बड़े बड़े व्यापारी थे और जो इन कानूनों की पेचीदगियों को समझते थे और जो सरकारी मशीनरी के अन्दर मिले हुए थे उन्होंने पैसा कमाया। उन्होंने इस मोटे अनाज में इतना अधिक कमाया है कि आने वाले समय में नहीं कमायेंगे। यह कल की बात है, ११ अगस्त को आपने पाबन्दी लगाई कि चने का निर्यात बन्द किया जाता है। मगर इस बहाने कि समय पर लोगों को सूचना नहीं मिली और सूचना मिलने के बाद भी सूचना नहीं मिलने का बहाना किया जब स्टोक नहीं आया तो सरकारी कर्मचारियों से सांठगांठ करके और सरकारी कर्मचारियों ने पैसा खा कर उनको नो-आॅब्जेक्शन सर्टीफिकेट दे दिया। कुछ आपकी निगाह में केसेज आये।

आज बालो में क्या हुआ व्यापारियों ने रोक लिया। ११ तारीख के बाद १२ और १३ तारीख के बाद सरकार के पास स्टॉक नहीं था। गल्ला नहीं तुलाया लेकिन सरकार से सांठगांठ करके नो-आॅब्जेक्शन सर्टिफिकेट हांसिल कर लिया। मैं इस बात की सरकार को बधाई देता हूं कि जिन अधिकारियों ने ऐसा किया उनके खिलाफ सरकार ने कदम उठाये और उनको मोअत्तिल किया। मैं उपाध्यक्ष महोदय, सूचना देना चाहता हूं कि यह केवल

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

एक दृष्टान्त है। राजस्थान में और भी कई मंडियां हैं जहां ११ तारीख के बाद कोई माल नहीं था और बेक डेट से नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया और व्यापारियों ने खुल कर सरकारी कर्मचारियों से मिल कर रुपया कमाया। तो आपको अपनी सारी स्थिति रिवाइज़ करनी पड़ेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आज सांचोर के अन्दर क्या है? वहां से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि वहां की सीमा से गुजरात लगता है और वहां से छिपे छिपे अनाज बाहर जाता है। वह सांचोर जहां लाखों मन बाजरा पैदा होता है, आज वहां बाजरा मुहैय्या नहीं है। एक रुपये का किलो भी नहीं मिलता और वहां का जो अधिकारी है, वहां का जो तहसीलदार है, उसने सरकार से यह कहकर कि क्योंकि स्मगलिंग होता है उसको रोकना है, पूल से दो महीने के लिये जीप मांगी। मैं पूछना चाहता हूं खाद्य मंत्री से कि इन दो महीनों में इतना खर्चा हुआ उस जीप पर, क्या एक भी केस पकड़ा गया? आपके सरकारी अधिकारी मिले हुए हैं। आपके सांचोर के तहसीलदार ने केवल इतना किया कि जब से ग्रेन कन्ट्रोल एण्ड लाइसेंसिंग ऑर्डर लागू हुआ तब से आज तक केवल ६ मामले चालान किये और वे ६ मामले भी एस. डी. एम. की कोर्ट में जाकर ६ के ६ ही बरी हो गये। इतना ही नहीं, एस. डी. एम. ने तहसीलदार पर स्ट्रिक्चर्स पास किये हैं कि तहसीलदार ने बिना जानकारी किये और बिना मौके पर पहुंचे ही झूठे केसेज़ पेश किये हैं। वे मामले इस प्रकार खारिज हुए। ऐसी स्थिति कोटा में भी नजर आयेगी।

तो आपने ऑर्डर्स बनाये, कानून बनाया, व्यवस्था की, आश्वासन दिये, लेकिन इसके बाद भी परिणाम हुआ वह यह हुआ कि आज तक सारे आंकड़ों के आधार पर आप इस स्थिति में नहीं हैं कि बता सकें कि राजस्थान के अन्दर कितना अनाज मौजूद है। आपने कठोर व्यवस्था बनाई, स्ट्रांग व्यवस्था बनाई लेकिन रिटर्न्स के आधार पर यह कहने की स्थिति में नहीं हैं कि राजस्थान के अन्दर अनाज कितना है? और अगर रिटर्न्स को अपना आधार मानते हैं, सच मानते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि राजस्थान के अन्दर भयंकर अकाल है, केवल कुछ ही मन अनाज मौजूद है। लेकिन वस्तु स्थिति इसके विपरीत है। आज अनाज मौजूद है लेकिन इन व्यवस्थाओं के कारण मंडियों में नहीं आता। इस अनाज को मंडियों में लाया जाये, किसान से निकाल कर व्यापारी से निकाल कर बाजार में लाया जाये, उपभोक्ता के पास लाया जाये, इसके लिये सरकार को अपनी नीतियों पर दुबारा विचार करना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी मान्यता है कि अन्न के बारे में जो अधिकतम भाव तय किये हैं उनको समाप्त करना होगा। आज ठीक है कि भुखमरी है, पैसे की कमी है और मंहगाई है, सब बातें हैं अपने अपने स्थान पर, इसके साथ साथ हमको यह अधिकार नहीं कि जो किसान खाद्यान्न की खेती करता है उसको फोर्स करें, बाध्य करें कि ६५ रुपये का क्विंटल बेचे। आप उसको बाध्य करते हैं कि तुम ६३ रुपये या ६२) रुपए क्विटल गेहूं दो तो आप उसको बाध्य नहीं कर सकते। आप किसान

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
की समस्याओं पर भी नजर डालिये। यदि किसान आपको अनाज महंगा देता है तो जो उसकी जरूरतों को पूरा करने वाली दिन प्रतिदिन की चीजें हैं जो उसके खुद के काम में आने वाली वस्तुएं हैं वे भी उसको महंगी लेनी पड़ती हैं। आज बैल का क्या भाव है, बीज का, मजदूर का, कपड़े का क्या भाव है, खाने की वस्तुएं किस भाव में मिलती हैं, उनका हिसाब लगाना पड़ेगा। अगर आप ऐसी चीजें किसान को सस्ती मुहैया नहीं कर सकते तो आपको भी अधिकार नहीं है कि उससे सस्ते अनाज मुहैय्या करने की आशा करें। इस आधार पर मैं निवेदन कर रहा था कि जो सरकार ने अधिकतम भाव तय कर दिए हैं उनके कारण राजस्थान के अन्दर स्थिति यह उत्पन्न हो गई कि अनाज मुहैय्या नहीं हो पा रहा है। इस लिए अधिकतम भावों को समाप्त किया जाय, डिमांड और सप्लाई पर बाजार के अन्दर अनाज भेजा जाय। सरकार को सिर्फ सुपरवीजन रखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा न हो कि व्यापारी अपने भण्डारों में अन्न न डाल दें। इस पर अंकुश लगाना पड़ेगा। मैं इस सम्बन्ध में एक उदाहरण देना चाहता हूं जो आपसे छिपा हुआ भी नहीं है लेकिन सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अधिकतम भावों का जो आप ढकोसला चला रहे हैं वह कितना भयंकर है। अगर कोई आपको वास्तविक दिक्कत है जिसके कारण कानून का पालन नहीं हो सकता तो कानून को तोड़ दें लेकिन अनाज मुहैय्या करने के लिए आपको प्रैक्टीकल आस्पेक्ट लेना पड़ेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, पार्टी की तरफ से केवल मैं ही बोल रहा हूं। तो मैं कह रहा था कि जो अधिकतम भाव आपने तय किए हैं उनके लिए आपको अधिकार नहीं है कि किसान को बाध्य करें कि अमुक भाव पर अनाज दो। कोटा के सवाल को लेकर कहा जाता है कि अनाज मुहैय्या हो रहा है उसकी वस्तु स्थिति आपको मालूम है लेकिन सदन को बताना चाहता हूं कि व्यापारियों और कलेक्टर ने मिलकर व्यवस्था की उसका बैक ग्राउण्ड बहुत कुछ है। कुछ समय के लिए व्यापारियों को श्रेय देता हूं और कलेक्टर की सराहना करता हूं। स्थिति क्या है कि व्यापारियों ने लगभग २५ ०००) रुपए कलेक्टर के डिस्पोजल पर केवल इस लिए दिया है कि जो गांवों से शहर तक लाने के अन्दर ट्रांस्पोर्टेशन चार्जेज होंगे उसको हम नहीं लेते यह हम आपको देते हैं। इसके अलावा अनाज जितना भी आज के अन्दर खरीदा जा रहा है उसका सारा रुपया व्यापारी दे रहे हैं उसका व्याज भी नहीं है। जितनी सरकारी मशीनरी कलेक्टर लेवल पर या तहसील लेवल पर काम कर रही है उनके पास खर्चे का हिसाब नहीं है और इन सब के बाद भी स्थिति यह है कि व्यापारियों को २५ पैसे फी बोरी नुकसान हो रहा है क्योंकि आज किसान इस स्थिति के अन्दर तैयार नहीं हैं कि जो भाव आपने तय किए हैं उन भावों पर किसान आपको गांव के अंदर अनाज दे दे।

आज मुख्य मंत्रीजी, स्थिति यह है कि जो आपने वहां ए० बी० और सी० की तीन श्रेणियां गेहूं की रबी

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

हैं उनके भाव हैं ६१) ५७) व ५३) । इनको खरीदने के लिए जो गांवों के अन्दर भाव रखे हैं वह क्रमशः ५६), ५५) और ५१) हैं । मुझे याद है कि जिस समय फूड एडवाइज़री कमेटी की मीटिंग चल रही थी उस समय रामगंजमंडी क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य भी कलेक्टर के पास थे । उन्होंने समस्या रखी कि किस प्रकार से किसान पैदा करते हैं । यदि 'ए' ग्रेड के अन्दर थोड़ा 'बी' ग्रेड का गेहूं मिलाया तो 'बी' का भाव उसको मिलता है और यदि 'बी' के अन्दर 'सी' का मिलता है तो 'सी' का दाम दिया जाता है । यह किसान का शोषण है । यह वस्तु स्थिति है कि आज इन भावों पर किसान सरकार को अनाज देने को तैयार नहीं है और अनाज इसलिए नहीं आ रहा है कि सरकार ने जो अधिकतम भाव तय कर रखे हैं वे प्रैक्टीकल नहीं हैं, उनको समाप्त करना पड़ेगा और देखिए अपने आप डिमांड सप्लाई के आधार पर अनाज आएगा । जोनल सिस्टम बना हुआ है, अनाज बाहर नहीं जायगा, व्यापारी स्टोर नहीं कर पाए, सरकार इस पर अंकुश रखे, यह तो वितरण का सवाल है ।

जहां तक राशनिंग का सवाल है मैं दल की तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि आज देश की संकटकालीन स्थिति के अन्दर भी हम यहां तक तैयार हैं, संकल्प लिया है और आंदोलन चला रहे हैं कि ७ दिन के अन्दर एक दिन हमारे दल का प्रत्येक सदस्य व्रत रखेगा । खुद ही नहीं बल्कि इस प्रकार जन-जागरण भी सारे राजस्थान के अन्दर जाकर पैदा करेगा । राशनिंग के अन्दर जो मात्रा दे रहे वह बहुत कम है । उसके अन्दर प्रत्येक व्यक्ति पेट भर नहीं पाएगा और नतीजा क्या होगा ? जिस व्यक्ति को आप राशनिंग के द्वारा ४ आउंस अनाज देना चाहते हैं तो आप अनुमान लगा सकते है कि वह ४ आउंस से पेट भर लेगा ? अनाज वह कहां से लेगा, उसको क्या नहीं करना पड़ेगा ? यह आपको विचार करना पड़ेगा । यह ठीक है कि एक लाख की आबादी वाले शहरों में राशनिंग सिस्टम चालू करना चाहिए लेकिन राशन के अन्दर आप कितना अनाज दें, उस पर दुबारा गम्भीरता से विचार करें ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस सम्बन्ध में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि नई फसल आने तक कोई भी सिस्टम चलाएं लेकिन खाद्यान्न की व्यवस्था को ठीक करें । चाहे वह आपकी समाजवादी व्यवस्था हो या कोई और वादी व्यवस्था हो । हमने कई बार कहा है कि बफर स्टाक बनाकर चलें, बीच के अन्दर आप व्यापारी बनकर आए, काम्पिटीशन के अन्दर आए, आपने आश्वासन भी दिया था कि कारपोरेशन बनाएंगे और हमने पूरा सहयोग देने का विश्वास दिलाया था, वह आप नहीं कर पाए । वितरण व्यवस्था के बाद अगली फसल जो आने वाली है उसको बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा । आज देश के प्रधान मंत्री भी इस बात को कह रहे हैं कि आज हम पी० एल० ४८० पर जीवित नहीं रह सकते और जो पश्चिमी देश हैं, अपनी नीतियों के कारण दबाएं कि पी० एल० ४८० अनाज की एग्रीमेंट के अन्दर कटौती करेंगे, तो मैं कहूंगा कि विदेशी गेहूं आए या नहीं, अपने सम्मान के लिए वे जो कुछ देते हैं उनको ठुकरा देना चाहिए ।

Page No 78

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

आज देश को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिये, अन्न के मामले में आत्म निर्भर होना चाहिये, जितना हम पैदा करते हैं उस ही में हमें काम चलाना पड़ेगा, भूखे रहेंगे तो कोई बात नहीं भूखों रह लेंगे, पर हमें अन्न के मामले में आत्म निर्भर होना पड़ेगा। हम अपने दिल और दिमाग से जो ठीक समझते हैं उस पर हम डटे रहेंगे। यदि हम वितरण के मामले में नेक हैं, इसमें पूरी तरह से राष्ट्रीयता की झलक दिखाई देती है तो राष्ट्र का कोई भी बच्चा तक आपको गाली नहीं देगा। उत्पादन के मामले में हमें अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। आपको इसी सदन में कहा गया है कि किसानों की कैश क्रॉप की तरफ प्रवृत्ति बढ़ रही है, उसे समाप्त करके अनाज के उत्पादन में उसका इनिशियेटिव बढ़े इसके लिये सरकार को उन्हें प्रलोभन देने होंगे। अनाज पैदा करने वाले अनाज मुहैय्या करने वाले किसानों को सब प्रकार की फैसेलिटीज़ देनी पड़ेंगी। उन्हें आप ऋण दीजिये, लगान में छूट दीजिये, पानी में छूट दीजिये और इस प्रकार के आकर्षण पैदा करिये कि वे ज्यादा से ज्यादा अनाज का उत्पादन करें, कैश क्रॉप की तरफ न जाकर अन्न का उत्पादन करें। आप बाध्य नहीं कर सकते किसानों को कि इतने एकड़ ही कैश क्रॉप करो पर आप ऐसे आकर्षण ऐसे प्रलोभन किसानों को दें जिनसे किसान जान बूझ कर खुद इनीशियेटिव लेकर अन्न पैदा करने की ओर अग्रसर हों। इसके लिये आप किसानों से अन्न के लिये अगाऊ सौदे करिये और उनके एवज में ऋण दीजिये। कोई किसान आपको कहता है कि मैं इतना अनाज पैदा करके आपको अगले साल दे दूंगा तो उसको आप उसके एवज में ऋण दीजिये, इससे अन्न का उत्पादन बढ़ेगा और आज जो आपके ऋणों का दुरुपयोग होता है उसकी कहानियां किसी से छुपी हुई नहीं है, वह दुरुपयोग भी इस प्रकार समाप्त हो जायगा। यह कुछ नीतियां हैं जिन्हें सरकार को अपनाना पड़ेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): उपाध्यक्ष महोदय, इधर वालों को भी मौका मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष: मिल रहा है।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे भाषण संक्षेप में दें ताकि इस पर डिबेट का सभी फायदा उठा सकें। ४ बजे सरकार की ओर से जवाब हो सके ऐसी व्यवस्था करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल:

(विराम)

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): उपाध्यक्ष महोदय, आज हम खाद्य स्थिति पर बहस एक ऐसी स्थिति में कर रहे हैं जब कि हमारा देश अभी पाकिस्तान से एक बड़े संघर्ष, एक बड़े युद्ध के दौर से निकला है और सही तौर पर तो निकला भी नहीं है, अभी युद्ध विराम हुआ है और वह युद्ध विराम भी इस तरह का है कि किसी भी समय टूट सकता है। इसलिये यह खाद्य समस्या बड़ी अहमियत रखती है; वैसे अहमियत तो साधारणतया यह समस्या हमेशा ही रखती है पर आज इस युद्ध की स्थिति में इसकी अहमियत, उच्च प्रायोरिटी की बन गई है। इसलिये आज इस समस्या को उस स्तर पर जिस तरह हमें

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हमारे राष्ट्र की चिन्ता है कि हमारे देश को शक्तिशाली बना कर ऐसा सुदृढ़ बना दें कि हमारे देश की सीमा का उल्लंघन शत्रु कभी न कर सके, इस चीज की जिस प्रकार हमें चिन्ता है उसी प्रकार की चिन्ता आज हमें खाद्यान्नों के सम्बन्ध में भी है। जैसा कि और माननीय सदस्यों ने कहा, माननीय खाद्य मंत्री जी ने इस बात का जिक्र किया मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम सभी लोग चाहे किसी भी दल से सम्बन्धित हों इस बात को महसूस कर रहे हैं कि जिस प्रकार हमारे देश की रक्षा सेनाओं ने की है, उसी प्रकार यह जो राष्ट्रीय समस्या है इसका हल भी सरकार को और जनता को मिल कर करना है। इसको हल करने के लिये यह भी आज लाजमी है कि सरकार भी केवल उन्हीं नीतियों पर नहीं चलती रहेगी जिन पर कि चलती आई है। अगर इस समस्या का हल करने के लिये उपयोगी सुझाव आते हैं तो सरकार को अपनी नीतियों में परिवर्तन करके ज्यादा दृढ़ता से चलना पड़ेगा क्योंकि यह पार्टी का, गवर्नमेंट का सवाल नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र का सवाल है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज इस समस्या की गम्भीरता इस रूप में भी ज्यादा बढ़ जाती है कि यह समस्या हमारी जनता को केवल खाद्यान्न पहुँचाने तक ही सीमित नहीं रही है। आज यह समस्या एक राजनीतिक रूप लेकर हमारे देश के सामने खड़ी हुई है। अपनी किन्हीं भी नीतियों के कारण, जिनको हम गलत समझते हैं, हम आज तक दूसरे देशों पर निर्भर करते रहे। पी. एल. ४८० के तहत अमेरिका से हमको काफी मात्रा में अनाज मिलता रहा। पर इस युद्ध में जिस प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन ने हमारे देश के विरुद्ध पाकिस्तान को सशस्त्र किया और उकसावा देकर हमला करवाया, और आज इस तरह दबाव दे रहे हैं हर तरीके से हमारे देश के हुकूकों के खिलाफ कि कश्मीर में हम प्लेबिसाइट मन्जूर कर लें, यह हमने देख लिया है। पी. एल. ४८० के पीछे एक राजनीतिक दबाव डाला जा रहा है, और मैं इस सरकार को, अपने देश के प्रधान मंत्री को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने मजबूती के साथ, हिन्दुस्तान के शान के अनुसार, हिन्दुस्तान की प्रभुसत्ता के अनुसार साफ तौर से कह दिया है कि साम्राज्यवादियो! दूर रखो अपने गेहूं को, हमें लेना मन्जूर नहीं इस तरीके का गेहूं जो हमारे देश की प्रभुसत्ता के खिलाफ हो और जिसकी वजह से दबाव डाला जाये कश्मीर का फैसला एक अमुक प्रकार से करने के लिये। इस तरीके से कोई मदद अगर अमेरिका भेजती है तो हमको मन्जूर नहीं हम स्वीकार नहीं करेंगे। इस बात का मैं अपनी पार्टी की तरफ से बड़ी मजबूती के साथ समर्थन करना चाहता हूं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम इसको बुनियादी तौर से गलत समझते हैं। हिन्दुस्तान की आवश्यकताओं के प्रतिकूल साम्राज्यवादियों के अन्न पर देश को निर्भर करना पड़े, यह गलत है। आज तक भी हमको निर्भर करना पड़ा यह सही नहीं था। इसके बजाय अपने देश के खाद्यान्नों पर निर्भर करके आत्म-निर्भर हो सकते हैं। इस युद्ध ने हमें एक सबक सिखाया है अस्त्र शस्त्रों के लिये। और इसी तरह से फूड के लिये भी आत्म निर्भरता का सबक सीखना पड़ेगा और ऐसी नीति बनानी पड़ेगी कि अपने पैरों पर खड़े

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हो सकें। देश को इस बात के लिए तैयार करना पड़ेगा, और मैं समझता हूं, देश तो इस बात के लिये तैयार है ही, कि गेहूं नहीं मिले तो कोई बात नहीं, हम चना खाकर गुजर करेंगे, हम बाजरा खाकर गुजर करेंगे, हम मक्का खाकर गुजर करेंगे लेकिन सरकार से कहेंगे कि मत सर झुकाइये अमेरिका के आगे जो इस तरीके से दबाव डालकर गेहूं देना चाहता है। ऐसा गेहूं हमें किसी हालत में मन्जूर नहीं होना चाहिये। वह जहर के बराबर है।

(३.०० म. प.)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां हम अपनी जनता से इस कठोर प्रतिज्ञा की आशा करते हैं और हमारी जनता इस तरह की कठोर यातनाओं को अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिये सहन करने के लिये तैयार भी है उसी तरीके से हम चाहेंगे कि सरकार भी उसी तौर से इस प्रश्न पर जनता को कॉन्फिडेन्स में, विश्वास में इसी तरीके से ले कि आम आदमी, चाहे आपकी पार्टी का हो, चाहे विरोधी पार्टी का हो या बगैर किसी पार्टी का हो, उसके दिमाग में यह बात बैठ जाय कि सरकार जो कुछ कर सकती थी उसने कर दिया। जिस तरीके की बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था हो सकती थी वह सरकार ने कर दी। अब यहां पर जितना उपलब्ध है उसी पर गुजारा करना पड़ेगा तो आप यह यकीन रखिये कि आप गेहूं दें, गेहूं के बजाय, बाजरा दें और भर पेट न भी दें, कम रोटी खाकर भी जनता गुजारा करेगी और देश के सम्मान की रक्षा करेगी लेकिन देश के सम्मान को किसी के गिरवी रखने को आपको नहीं कहेगी और आप करोगे तो भी आपके हाथ रोकने की कोशिश करेगी। इन भावनाओं के साथ, उपाध्यक्ष महोदय मैं समझता हूं सरकार को और हमको सब को मिलकर चलना चाहिये और ऐसी हालत में यह मुमकिन नहीं हो सकता बहुत तथ्य पूर्ण बातों के लिये सरकार यह कहती जाय कि हम तो ऐसा ही करेंगे आपकी समझ में नहीं आये तो नहीं आये, मैं समझता हूं सरकार को अब यह दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिये और इस हालत में देश को इस संकट में से हम गुजार नहीं सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सन्दर्भ का प्रश्न है हम सब एक हैं। लेकिन जहां यह प्रश्न आता है कि इस समस्या को कैसे हल किया जाय, वहां वह बड़ी नीति का प्रश्न बन कर खड़ा हो जाता है और हमारे देश में आज से नहीं पिछले कितने ही वर्षों से यह एक बहुत बड़ी डिबेट का प्रश्न बना हुआ है। एक तरफ वह चाहे किन्हीं शर्तों पर हो, किन्हीं दलील की बुनियाद पर हो, किन्हीं मशीनरी पर हो सिद्धान्ततः फ्रीडम रखी जानी चाहिये इसलिये, या इसलिये कि गांधी जी का रुख था इसलिये कोई किसी तरीके से कहे, एक तरफ मुक्त व्यापार फ्री ट्रेड की दलील दी जाती है, खाद्य समस्या को हल करने को इस देश में बात कही जाती है और बिल्कुल उसके विपरीत एक नियन्त्रित व्यापार, एक कन्ट्रोल्ड मार्केट, रेगुलेटेड मार्केट उसी तरीके से प्रोक्योर्ड और राशनिंग कम्प्लीटली कन्ट्रोल्ड व्यवस्था से खाद्य समस्या को हल करने की बात कही जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं इसमें अनुभवों में से गुजरने के बाद अब हम एक्सपेरि-

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मेन्ट्स की लग्जरी में से नहीं गुजर सकते। इसलिये मैं सरकार से बहुत ही नम्रता से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप अपने पैरों पर खड़े होने की बुनियाद को सही मानते हैं और यह मानते हैं कि आर्थिक दृष्टि से हिन्दुस्तान दूसरे देशों पर निर्भर अब ज्यादा नहीं रह सकता, एक नयी व्यवस्था बनाना है, विकास की समस्याओं को हाथ में लेना है तो आप निश्चित रूप से एक प्लान्ड इकोनोमी, एक प्लान्ड तरीके से व्यवस्था, एक प्लान्ड तरीके के रास्ते को अब छोड़ नहीं सकते बल्कि अभी तक मिक्स्ड इकोनोमी का साथ दिया आधा मर्द और आधा औरत, यह रास्ता अपनायेंगे उस रास्ते से अब आगे नहीं चल पायेंगे और खाद्य की यह भीषण समस्या को हल भी नहीं कर पायेंगे इसलिये लाजमी तौर से देश में खाद्य समस्या को हल करना है तो लाजमी तौर से नियन्त्रित मार्केट, मोनोपली प्रोक्योरमेन्ट, राशनिंग की पद्धति को आपको अपनाना चाहिये, अपनाना होगा और लागू करना चाहिये।

इस प्रकार की माननीय मित्र जो दलील देते हैं कि फ्री मार्केट हो, जैसे स्वतन्त्र पार्टी से आने वाले मेरे मित्र ने कहा या जन संघ के माननीय सदस्य ने कहा उस दलील में कुछ जस्टिफिकेशन उनको हो, लेकिन वह ऐसे देश के लिये हो सकता है जहां प्रोडक्शन बहुत बड़ी मात्रा में होता है, जो देश डेवलप्ड हो, जहां आर्थिक विकास के लिये बहुत बड़े डेवलपमेन्ट के प्रोजेक्ट हाथ में न लिये हों, जहां बड़ी बड़ी रकमें फाइनेन्स करने की दृष्टि से खर्च कर रहो हों इन्फ्लेशन का ट्रेन्ड न हो, ऐसा देश अमेरिका हो सकता है, इंगलैंड हो सकता है। जहां सामान्य इकोनोमी चलती हो उन देशों में ऐसी बात हो सकती है। लेकिन आपको याद होगा, पिछली लड़ाई के जमाने में फ्री इकोनोमी के मानने वालों को ऐसी स्थिति में प्रोक्योरमेन्ट और राशनिंग के रास्ते को अपनाना पड़ा था। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं स्वतन्त्र पार्टी और जन संघ के माननीय सदस्यों को भी कि आज यह एक नेशनल क्वेश्चन है। जिस तरह से आज देश को डिफेन्ड किया है, सभी ने मिल कर उसको डिफेन्ड किया है, इसके लिये कांग्रेस को अकेले श्रेय नहीं है, सब को श्रेय है, सारी जनता को श्रेय है। आज कहें कि फ्री इकोनोमी में रहें या कन्ट्रोल्ड में, इस तरीके से समस्या का हल नहीं हो पायेगा। तजुर्बे की बातों पर बहुत नजदीक आवेंगे। अब हवाई अम्ब्रेला की बात भी नहीं कहेंगे। सब पैरों पर खड़े हों। अमेरिका का एटम बम या सेबरजेट काम नहीं कर सकते। रक्षा के लिये अपने व्यू पोइन्ट पर काफी नजदीक आये हैं। अलग अलग पार्टीज ने यह महसूस किया है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है और हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं।

सोशयलिज्म पर डिफरेन्सेज़ हो सकते हैं, और बारे में डिफरेन्सेज हो सकते हैं, आगे दस वर्षों के बाद क्या स्थिति होगी, उस बारे में डिफरेन्सेज़ हो सकते, लेकिन हमें यह याद है कि युद्ध की स्थिति में, उस युद्ध के जमाने में अंग्रेजों को भी प्रोक्योरमेन्ट और राशनिंग की स्थिति को अपनाना पड़ा था क्योंकि युद्ध के कारण इन्फ्लेशनरी ट्रेन्ड पैदा होने के कारण फ्री इकोनोमी को नहीं कर सके। अनुभव के आधार पर देखें कि अगर कोई यह माने कि फ्री ट्रेड इकोनोमी करने से चीज मिल जावेगी, इस बात को मैं स्वीकार कर सकता हूं कि चीज मिलेगी लेकिन किस भाव पर मिलेगी वह

Page No 82

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिन्दुस्तान के ९० परसेंट लोगों के लिये यह चीज़ महत्वपूर्ण है कि किस भाव पर चीज़ मिलती है। लग्ज़री की चीजें मिलें उन पर कन्ट्रोल का सवाल नहीं है। वह उतना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं लेकिन खाद्यान्न कन्ट्रोल्ड रेट पर मिले, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन चीजों पर नियन्त्रण नहीं है वे चीजें मिलती हैं, लेकिन भाव कहां पहुंचे हैं? सरसों के तेल और सरसों पर कन्ट्रोल नहीं है लेकिन भाव कहां पहुंचे हैं? साधारण उपभोक्ता के नाते आप महसूस करते हैं कि भाव ऐसे रीज़नेबल हों कि साधारण उपभोक्ता उस समय पर चल सके।

मैं समझता हूं इस बुनियाद पर यह दलील, यह आरग्युमेंन्ट इस संकट-काल की स्थिति में हिन्दुस्तान को समाजवाद की ओर जाना है तो स्थायी रूप में हिन्दुस्तान को यह अपनाना चाहिये, लेकिन संकट-काल की स्थिति के रूप में देखें, एक नेशनल पॉलिसी इवोल्व करने की दृष्टि से देखें तो हम यह समझते हैं कि सरकार को चाहिये कि वह दिलेरी के साथ इन चीजों को लागू करे और वह फिर देखे कि देश की जनता का उसको सहयोग मिलेगा इसमें कोई सन्देह नहीं है। अपनी मशीनरी पर विश्वास नहीं है। कमियां बहुत भारी हैं। एक बात का अनुभव हुआ है। लोगों में राष्ट्रीयता का जो भारी विकास हुआ है उसके कारण लोगों के अन्दर एक स्पिरिट आयी है कि हमको अपने देश की रक्षा करनी है यह माननीय मुख्य मंत्रीजी को और हम सब को देखने को मिला है।

एक बत्ती बुझाने की बात ही ले लीजिये। बत्ती कहीं कोई दिखाई दी तो बम गिर जावेगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी की कार बालोतरा में रोक दी कि बत्ती बुझा कर चलो। तो इस तरीके से लोगों के अन्दर विजिलेन्स पैदा होगी बशर्ते कि हम लोगों को यह युद्ध की तरह से समझा सकें। अन्य की समस्या ऐसी है जैसे पाकिस्तान से बाड़मेर की रक्षा करनी है, पाकिस्तान से जोधपुर की रक्षा करनी है जिस तरह से जनता ने ब्लेक आउट को कामयाब बनाया जिस तरह की विजीलेन्स ब्लेक आउट में दिखायी जिस प्रकार से आम जनता के एक एक आदमी ने सिपाही वार्ड बन कर बतायी, गार्ड बन कर बतायी; उसी तरह से अन्न के मामले में हिन्दुस्तान और राजस्थान एक वार्ड और गार्ड बन सकता है बशर्ते कि उसके दिमाग में यह पैदा कर दें कि यह राष्ट्रीय समस्या है। जिस प्रकार देश का युद्ध में जीतना और हारना है। जो जवान अपने देश की रक्षा के लिये जिन्दगी दे रहे हैं वहां पर इस समस्या के बारे में जो देश में असामाजिक तत्व हैं जो अनाज को छिपाने की कोशिश करें या इस तरह की गलत बातें करें तो जिस तरह से जनता ने पाकिस्तान के जासूसों को जंगलों में पकड़ा है, बाजारों में पकड़ा है उसी प्रकार इस प्रकार अन्न को छिपाकर रखने वालों को जनता पकड़वायेगी और उनको डी. आई. आर. की तहत जेलों में बन्द करवायेगी। इस बारे में जनता का पूरा सहयोग मिल सकता है। चाहे मेरा सरकारी मशीनरी में इस बारे में विश्वास न भी हो लेकिन मैं जानता पर इस बात के लिये विश्वास करके चल सकता हूं वे हमें इस प्रकार के असामाजिक तत्व को पकड़वाने में मदद देंगे सहयोग देंगे तो हम निश्चित तौर से इस समस्या को हल करने में कामयाब हो सकते हैं।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय द्वारा जो रिपोर्ट वितरित की गई है उसे मुझे भी पढ़ने का मौका मिला। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है जिस तरह से हम अपने ही राज्य में इस समस्या को हल करने का प्रयत्न करते रहे हैं और इस बारे में सरकार की ओर से जो भी कदम उठाये गये हैं वे इस रिपोर्ट में बताये गये हैं। एक सामान्य कॉमनसेन्स की दृष्टि से भी देखा जाय तो इसमें राजस्थान की जनता के हित को दृष्टिगत नहीं रखा गया है।

इसके अन्दर एक बात का जिक्र किया गया है जिसको माननीय मंत्री महोदय ने माना है कि सामान्य तौर पर एक लाख टन कोर्स ग्रेन राजस्थान से बाहर रेल द्वारा जाता है। और इस साल में राजस्थान सरकार ने खाद्यान्न लेवी वगैरह के जरिये १ लाख ३८ हजार टन के करीब राजस्थान सरकार ने खरीदा है। उसमें से १ लाख ८ हजार टन बेच दिया बाकी सिर्फ ३० हजार टन बचा है। जितना राजस्थान सरकार ने बेचा उतना ही व्यापारियों को बाहर भेजने की इजाजत दी गई चने में और दूसरे कोर्स ग्रेन में कम। इस तरह से १.८ हजार टन के मुकाबले व्यापारियों ने ईमानदारी से ९० हजार टन बाहर भेजा। तो इस हिसाब से पिछले सामान्य सालों के मुकाबले जहां एक लाख टन एक्सपोर्ट होता था वहां राजस्थान सरकार ने डेलीबरेटली अपनी नीति से दो लाख टन तो एक्सपोर्ट कर दिया। इसके अलावा जो स्मगलिंग के जरिये एन०सी०आर० का नाजायज फायदा उठाकर के बाहर गया तो वह गलत बात है।

मैं उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं जरा माननीय मंत्री महोदय गौर से इस बात पर विचार करें। जहां आपने एक लाख टन के मुकाबले दो लाख टन एक्सपोर्ट कर दिया उन हालातों में जब कि सप्लाइज़ का हैन्डीकैप था। बाहर का एक्सपोर्ट किया हुआ व्हीट लगातार हमारे लिये कम होता जा रहा था ऐसी हालत में जहां राज्य सरकार को बफर स्टाक बनाना चाहिये वह कितना बनाया? व्हीट का केवल हमने बनाया ४२५० टन। जब की स्थिति यह थी गंगानगर, अलवर और कोटा में अगर प्रोक्योरमेन्ट करते तो और ज्यादा खरीदा जा सकता था। मैं अपने जिले की ही निवेदन करूं, कोट कासिम में १८ रुपया मन गेहूं चला गया। मैंने खुद ने कलेक्टर के पास जाकर कहा आप गेहूं क्यों नहीं खरीदते आज के भाव से ४५ रुपया क्विन्टल पड़ता है तो उनका जवाब था अभी हम देखते हैं मार्केट और नीचे जायगा अभी तो कन्ज्यूमर को खरीदने दो। तो, उपाध्यक्ष महोदय, आपने केवल १.३८ हजार टन कुल खरीदा उसमें से १.८ हजार टन बाहर भेज दिया अब केवल तीस हजार टन आपके पास मौजूद है जो राजस्थान की २४ लाख शहरी पोपुलेशन के लिये ४० लाख ८३३ आदमियों के लिये एक महीने का राशन है। यह स्टाक आप के पास मौजूद है, शहरों में बसने वाले लोगों की आबादी २५ लाख आदमियों की है जिसके लिये यह एक महीने का राशन है १२ किलो के हिसाब से। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने पिछली दफा जब फूड पर डिबेट हुई थी तो बड़े अकड़ के साथ कहा था कि आप चिन्ता मत करो, हम खाद्यान्न की पूरी व्यवस्था

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कर रहे हैं, इतनी कमेटियां मुकर्रर कर रखी हैं लेकिन आपने कुल अनाज ४,२५० टन खरीदा। जितना यह खरीदा गया वह राज्य की जनता को फीड करने के लिये नहीं खरीदा यह भी बाहर भेजकर मुनाफा कमाने की दृष्टि से खरीदा। इसलिये आपका यह कहना कि हमने राजस्थान की जनता को फीड करने की दृष्टि से यह खरीदा, यह बिल्कुल गलत है। वास्तविकता यह है कि आपका इस खरीद में व्यापारिक दृष्टिकोण था और आप चाहते थे कि जितना मौका मिले उतना ज्यादा मुनाफा कमाया जाय। आज ऐसी हालात होने के बावजूद चना हम एक्सपोर्ट करते गये बाजरा एक्सपोर्ट करते गये। जुलाई में संकट पैदा हो गया था जुलाई के महिने में आप अनाज खरीद सकते थे लेकिन आपने खरीदा नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में सरकार की जो इस प्रकार की नीति रही है उसके मुकाबले हम पंजाब को देखें तो वहां पर जब से फसल शुरू हुई तब से लेकर अब तक सामान्य तौर पर कीमतें ५०, ५६ और ५८ के बीच में रही हैं। उसके आंकड़े देने के बजाय आपने डेफीसिट एरिया के आंकड़े दिये लेकिन पंजाब में जिस पोलिसी का अनुकरण किया, स्ट्रिक्टली किया, उसके कारण वहां पर भावों में तीव्रता नहीं आयी। इसलिये मैं यह समझता हूं कि यह सरकार की नीति है उस पर सरकार को पुनर्विचार करने की जरूरत है।

अब दूसरा प्रश्न आता है डिस्ट्रीब्यूशन का। आज जो हम इस फूड की समस्या को हल करना चाहते हैं उसके लिये जो आपकी निश्चित तौर से नीति है वह है प्रोडक्शन बढ़ाने की लेकिन इसमें भी आप निर्भर कर रहे हैं टेक्निकल इम्प्रूवमेन्ट्स पर, पम्प लग जांय, अच्छा बीज दिया जाय, खाद मिले यह ठीक है इसकी भी सीमा है प्रोडक्शन बढ़ाने में। लेकिन आप मेन आधार टैक्नोलोजी को ही मानकर चल रहे हैं। हमारी पार्टी का ख्याल है इसके जो रिजल्ट्स आने वाले हैं वह बहुत कम हैं। इससे जिस तबके को फायदा होगा वह रिचर क्लास है। हमारा विचार है कि हिन्दुस्तान में बैटर लैण्ड रिफॉर्म्स तभी हो सकते हैं जब जमीन का बटवारा सिलिंग के अनुसार सख्ती के साथ हो तो मैं यह मानता हूं कि इसके बैटर रिजल्ट्स एकदम निकलेंगे रबी की फसल में ही आपको देखने को मिल जायेंगे। जिस तरह से हमने डिफेन्स के बारे में निर्णय लिया है उसी प्रकार राजस्थान के अन्दर जितनी जमीन बगैर फसल किये हुए पड़ी है जो कल्चरेबल लैन्ड है वह एक करोड़ एकड़ के करीब है...

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : इसमें बेकार जमीन भी शामिल है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह ऐसी जमीन है जो सरकार की नहीं प्राइवेट लोगों की है जो बेकार पड़ी है वह मिला दें तो एक दूसरे को नुट्रेलाइज कर देंगे।

आपके पास लैन्ड युटिलाइज़ेशन एक्ट है; और कानून बनाने की जरुरत हो तो बनाइये, ऑर्डिनेन्स लाने की जरुरत हो तो वह करिये, लेकिन आप जमीन किसान को दें और इसका तुरन्त लाभ इसी रबी की फसल में देख सकते हैं। अभी रबी की फसल में आपका प्रोडक्शन एक दम बढ़ सकता है। आपको

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
फर्टीलाइज़र का, पम्पिंग सैटों का नतीजा आवेगा, मैं इनको बन्द करने की बात नहीं कहता, पर इस तरीके से इस बात को करो तो परिणाम और भी अच्छा और तुरन्त आवेगा ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा, पांच मिनट में मैं निवेदन कर दूंगा । फूड प्रोडक्शन के लिये फ़ोरेस्ट लेण्ड के बारे में भी सोचना पड़ेगा । अगर डिफेन्स के साथ साथ फूड की समस्या को भी अहमियत देना चाहते हैं तो जिन लोगों की जंगलात में ऐसी जमीनें पड़ी हैं, जिनको आपने रोक रखा है उनमें से प्रोटेक्टरीज और डिबट को छोड़कर, रिलीज कर दीजिये ।

मैं अलवर की बात जानता हूं । आपने सिरसका सैन्चुरी बना रखी है जिसमें साठ-सत्तर गांव एनसर्कल्ड हैं । वहां कुछ महानुभाव आकर शेरों का शौक करें, शेरों को देखें, अमेरिका वाले, अंग्रेज आकर या राजा-महाराजा इन शेरों को देखने के लिये जावें; आज इस शौक और ऐशो-इशरत का वक्त नहीं रहा । आज इन जंगल के शेरों की जरूरत नहीं है, ये शेर अगर एक भी नहीं रहें तो देश पर कोई आफत नहीं आने वाली है, हमें तो आज उन शेरों की जरूरत है जो सीमाओं पर अपनी जान हथेली पर लेकर दुश्मनों का मुकाबला कर रहे हैं । हमें उन शेरों की जरूरत है जो हल लेकर खेत में अनाज पैदा कर रहे हैं । इस तरह अकेले मेरे जिले में सैन्चुरी में कम से कम बीस हजार बीघा जमीन रोकी हुई है । आपने वहां रेवेन्यू को लैण्ड अलॉट करने से रोक दिया । यह कह दिया कि यह सेन्चुरी के अन्दर है । शेर भाग जाते हैं इसलिये अलॉट मत करिये । आप तो यह चाहते हैं कि जो वहां पर इस समय बसे हुए हैं, उनको भी उजाड़ दें । तो इस मुद्दे पर आज आप गम्भीरता से विचार करें ।

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरीके से प्रोडक्शन के मामले में आप इस नीति को बुनियादी तौर पर परिवर्तित करिये ।

मैं अनाज के कन्ज़म्पशन के बारे में भी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा । आज हमारे देश में शराब बनाने के लिये जौ का इस्तैमाल बहुत हो रहा है । शराब और चीजों से भी बन सकती है, यह जरूरी नहीं कि जौ से ही बनाया जाय । आप जौ का इस्तेमाल शराब बनाने के लिये रोक दीजिये । इस पर बान लगा दीजिये और केन्द्र को भी कह दीजिये कि जौ से शराब बनाना बिल्कुल बन्द कर दिया जाय ।

इसी तरह से मक्का की बात है । इसका स्टार्च के लिये प्रयोग होता है टैक्सटाइल मिलों में खास तौर से । आज देश में गेहूं नहीं है, पी० एल० ४८० नहीं मिलता । आप कोर्स ग्रेन खाने का उपदेश देते हैं तो लाजमी तौर से इस तरह से कोर्स ग्रेन के होने वाले दुरुपयोग को रोकिये । स्टार्च के लिये ऑल्टर्नेटिव निकाला जा सकता है । टैक्नोलोजी के लोगों से जहां तक मुझे जानकारी मिली है, इसका अच्छा ऑल्टर्नेटिव निकाला जा सकता है, है भी । तो यह जरूरी कदम है जो सख्ती से और शीघ्रता से उठाया जाना चाहिये खास कर इसलिये कि राजस्थान में मक्का एक प्रमुख खाद्य पदार्थ है ।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो-तीन मिनिट में समाप्त करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

जिस तरह से प्रोडक्शन और डिस्ट्रिब्यूशन इस समस्या के प्रमुख अंग हैं, उसी तरह से एनफोर्समेन्ट भी एक इम्पोर्टेंट अंग है। और इस मामले में मैं सरकार को बहुत कमजोर पाता हूं। इसके लिये विशेष तौर से मैं मुख्य मंत्रीजी से कहूंगा कि इस इलेक्शन में हारने जीतने के ख्याल को आप दिमाग में से निकाल दें। हमने भी निकाला है। आप भी निकाल दें। आज देश की सुरक्षा ही हमारे लिये सब कुछ है और इसी दृष्टिकोण से किसी बात पर निर्णय करें। अगर हम एन्फोर्समेन्ट को सख्ती से अमल में लावेंगे तो कौनसा वर्ग रुष्ट हो जावेगा और उसका इलेक्शन पर क्या असर पड़ेगा, हमारी पार्टी पर क्या असर पड़ेगा, इसे आप इस समय भूल जाइये। देश बचता है, जनता बचती है, तो हर पार्टी और हर दल बच सकेगा। तो इस तरह से सोच कर मैं चाहता हूं कि आप इस एनफोर्समेंट को ईमानदारी से और सख्ती से लागू करेंगे। इससे फायदा ही होने वाला है, नुकसान नहीं होने वाला है।

इसी तरीके से जो भी अफसर इसमें गड़बड़ी करें, उसके खिलाफ आप पूरी सख्ती से कदम उठावें, वह फिर चाहे कोई भी हो, जिस तरह से पाकिस्तानी एजेन्टों के बारे में आपने नहीं सोचा कि यह कौन है क्या है इसका पार्टी पर क्या असर पड़ेगा, यह किसी का भाई है या भतीजा है या रिश्तेदार है, इसके बिना हमारे वोटों पर असर पड़ेगा, यह सब सोचे बिना और प्रिलिमिनेरी इन्क्वायरी में साबित हो गया तो आपने तुरन्त एक्शन लिया और उनको सीधे हमारे फौज के जवानों ने गोली मार दी। इसी तरह से इस मामले में भी कदम उठाया जाना चाहिये।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज यहां अभी भी युद्ध स्तर पर इस अन्न समस्या को हल करने के मामले में काम नहीं हो रहा है। मैं इसे जानता हूं और सारे राजस्थान की बात न कह कर केवल हमारे एक अलवर की मिसाल देता हूं। अलवर में सरकार ने प्रोक्योरमेन्ट किया १८४ हजार बोरी चने का। पर वहां यह आम फहम बात है कि एक रुपया बोरी प्रोक्योरमेन्ट अफसर ने रिश्वत का लिया है और इसमें उसने यह छूट दे दी कि चाहे जैसा सड़ा-गला, नया-पुराना चना कोई भी दे, कैसी भी बोरी दे दे चाहे जिस तरीके से काम कर दे। यह बात आप अपने कांग्रेसी सर्किल के लोगों से भी पूछ सकते हैं। ऑफिशियल सर्किल से भी पूछ सकते हैं। यह एक ओपन सीक्रेट है और आप इस तरह की ब्रोड इन्क्वायरी करावें तो आपको इसके सबूत भी मिल जावेंगे। मैं समझता हूं कि जो लोग इसके दोषी हों उनको आप सजा देंगे। मैंने यह बात फूड एडवाइजरी कमेटी के सामने भी रक्खी थी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैंने साफ तौर पर कहा था कि यह आदमी एस० डी० ओ० अलवर है। व्यापारियों ने मेरे से कहा है, आपके कांग्रेसी लोगों ने कहा है। अफसरों ने कहा है। यह एक ओपन बात है कि मिस्टर राधाकान्त व्यास जो एस० डी० ओ० अलवर हैं खुले तौर

Page No 87

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पर यह रिश्वत का व्यापार कर रहा है सभी परेशान हैं, ऐसी मुसीबत में हैं हम सब, देश संकटकाल से गुजर रहा है और यह इस तरह की हरकत करे। इस बारे में सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय,..................

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : रुपया किसने दिया, उसने भी कहा क्या ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : हां, उसने भी कहा है। यह तो आम-फहम बात है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आपने इसकी कोई लिखित शिकायत की है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : जी हां। जनता में इससे बड़ा असन्तोष है और असन्तोष हो रहा है तो नोटिस में लाना भी हम अपना फर्ज समझते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये हम यह समझते हैं कि गवर्नमेन्ट इस तरह से डिस्ट्रिब्यूशन प्रोडक्शन और एनफोर्समेन्ट के बारे में इस तरह से सतर्कता बरतेगी तो हम इस प्रोब्लम को हल करने की तरफ आगे बढ़ेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं वैसे नहीं चाहता था कि इस बहस के बीच में कुछ कहूं और यहां पर माननीय सदस्यों के जो विचार सामने आ रहे हैं उनको गम्भीरता के साथ सुनकर उन पर आगे हम विचार कर सकें, फैसला कर सकें, इस लिहाज से उपस्थित हुआ था।

सबसे पहले तो मैं, जो भी माननीय सदस्य अब तक बोले हैं और उन्होंने जिस भावना से बातें रक्खी हैं यहां, उन भावनाओं का स्वागत करता हूं।

माननीय उपाध्यक्षजी, आज इस बारे में कोई भी बेखबर रह कर नहीं चल सकता और खास तौर से राजस्थान के रहने वाले लोग, कि पाकिस्तान के द्वारा जो हमारे देश पर आक्रमण किया गया, वह आक्रमण कोई समाप्त हो गया हो और दर असल कोई सीज फायर जैसी चीज स्थायी हो गई हो। हमारे देश के बड़े नेताओं ने भी इस बात को कहा है कि यह अनइज़ी सीज फायर है।

आज पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं उनकी तरफ से भी, जो यह बात कही जा रही है कि काश्मीर का पोलिटिकल इश्यू और सीज फायर लाइन से विथ्ड्राअल की बात दोनों साथ जुड़ सकती है वरना वे पीछे नहीं हटने वाले हैं और पाकिस्तान अलग अलग तरह की धमकियां दे रहा है। कई क्षेत्रों में वे जिस प्रकार से घुस पैठ और डाकेजनी और लोगों के अपहरण की कार्यवाहियां कर रहे हैं; चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, या काश्मीर हो—जिस प्रकार की हरकतें वे कर रहे हैं वे राजस्थान के हम रहने वाले लोगों से छुपी नहीं हैं। निश्चित मालूम होता है कि उनके इरादे साफ नहीं हैं।

वे वक्त की ताक में हो सकते हैं और किसी कोशिश में हो सकते हैं, डिप्लोमैटिक दबाव डलवाने की कोशिश में हो सकते हैं। कई प्रकार के उन के दिमाग हो सकते हैं। हमारे देश ने, सारे देश ने एक होकर इस मौके पर इस बात को बताया कि जो साधन हमारे पास थे हम उनसे पाकिस्तान को इस मौके पर यह बताने के अंदर कामयाब हुए कि बाहर के शस्त्रास्त्रों से या ताकत से इस देश को

Page No 88

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

हर्गिज नीचे नहीं दिखा सकता और इस देश ने कामयाबी के साथ अपनी शक्ति का सबूत इस मौके पर दिखाया। देश का मनोबल ऊंचा उठा।

आज हमारे सामने उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी इस बात की है कि देश में एक हवा बनी। हमारे देश में आज अन्न की कमी है। पिछले वर्षों के अंदर हमने अनुभव किया कि करीब ६ मिलियन टन पी० एल० ४८० के जरिये हमारे यहां अन्न आता रहा। इस साल हमारे यहां पर और सारे देश भर के अन्दर जितनी खाद्य पदार्थ की पैदावार होनी चाहिये, अच्छी वर्षा नहीं होने से न सिर्फ राजस्थान में बल्कि देश के कई दूसरे हिस्सों में भी पैदावार की कमी हुई।

लेकिन इन सारी बातों के होते हुए भी आज सारे देश ने किसी एक राजनैतिक पार्टी ने नहीं, बल्कि सारे देश ने इस बात का एक दृढ संकल्प किया हुआ है कि अगर डिप्लोमेटिक फ्रन्ट पर पी. एल. ४८० को इस्तेमाल किया जाये और उसका इस्तेमाल करके काश्मीर के बारे में हम पर किसी प्रकार का दबाव डाला जाये तो यह देश पी. एल. ४८० के अन्तर्गत गेहूं को हरगिज लेना पसन्द नहीं करेगा चाहे कोई भी और कैसी भी मुसीबत हमारे सामने आये और उसको उठाना पड़े। आज पी.एल. ४८० हो या और किसी प्रकार की मदद हो दूसरे देश भारतवर्ष को सहयोग दें इसके लिए हम स्वागत करते रहे हैं लेकिन उसके साथ ही देश की सार्वभौमिकता के बारे में, हमारी मूल नीति के बारे में अगर कोई बंधन होता है तो उन चीजों को यह देश कभी भी पसन्द नहीं करेगा।

एक अग्नि परीक्षा से सफलतापूर्वक यह देश निकला है। उस पैटन की ताकत और सैबरजेट की ताकत के आगे जहां देश के जवानों ने अपने सिर नहीं झुकाये तो कुछ मिलियन टन गेहूं के लिये आज अगर देश अपना सिर झुकाता है तो उससे नीची बात कोई और नहीं हो सकती, कमजोर बात और कोई नहीं हो सकती। लेकिन जब हम इसको कहते हैं तो हमें इसको भी निश्चित रूप से लक्ष्य में रखकर चलना है कि हमारे देश को पैदावार इन खराब हालातों के अंदर भी किस प्रकार से बढ़ सके।

उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान के अन्दर जब हम यह बहस कर रहे हैं, कई इलाकों के अन्दर अकाल की स्थिति है, कई जगह पैदावार की कमी की स्थिति है और इसके अन्दर हमारे जो तालाब और नहरें हैं उनके अन्दर भी पानी कम है, ये सारी परिस्थितियां एक साथ जुड़ी हैं। मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं और खास तौर से इस वजह से भी कि उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी परसों ही गंगानगर जिले में गया था और जब वहां पर रायसिंहनगर, पदमपुर, गजसिंहपुर और करणपुर इलाकों में गया तो वहां के लोगों ने एक ही बात कही और वह यह थी कि पाकिस्तान के मुजाहिद और पाकिस्तान की फौज सामने घूमती रही, उसने हम पर चार चार बार हमले किये और उसका मुंह तोड़ जवाब हमने दिया और उनके आदमियों को पकड़ कर मौत के घाट उतार कर उनके हमले का जवाब हमने दिया और हम अपने गावों के अन्दर टिके रहे, इस प्रकार की बात उन्होंने कही और

Page No 89

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

उन्होंने कहा कि लेकिन आज के दिन पानी की कमी की वजह से हमको जबरदस्त परेशानी है कि खड़ी हुई कपास में जो गंग केनाल में पानी आता है वह कम आ रहा है और पाकिस्तान को जो पानी दिया जाता है आज लोगों के दिमागों में वह बात खटकती है। हम भारत सरकार से इस मौके पर विशेष रूप से यह कहना चाहेंगे कि जो सीमा पर बसे हुए लोगों ने मुसीबतों को उठाया है आज वहां अकाल की स्थिति है और जो वहां कि परिस्थिति है उसको देखते हुए मैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने जो कुछ कहा है उस बात से शत-प्रतिशत सहमत हूँ कि आज के दिन पाकिस्तान को जो पानी दिया जा रहा है वह नहीं दिया जाकर राजस्थान और पंजाब के अन्दर उस पानी का उपयोग किया जाना चाहिए कि जिससे इस अकाल की परिस्थिति में जो सीमा पर बसे हुए लोग हैं उनको मुसीबत के वक्त में मदद मिले।

इसी तरह से उपाध्यक्षजी, हमारे सामने यह प्रश्न भी है कि जो हमारे राजस्थान में पैदावार कम हुई और राशनिंग होनी चाहिए और ऐसे आपत्काल के अन्दर उन देशों के अन्दर भी कि जो फ्री ट्रेड में विश्वास करते हैं वहां भी राशनिंग हुआ। यह सब जानते हैं और प्रश्न इसका खड़ा होता है कि राशनिंग के लिए अन्न चाहिए, बफर स्टॉक चाहिए, गवर्नमेन्ट स्टॉक होना चाहिए। आज यह प्रश्न भी उसूल का नहीं रहता कि स्टेट ट्रेडिंग करें या नहीं करें—वैसे स्टेट ट्रेडिंग कम या ज्यादा मात्रा में हम कर ही रहे हैं; चाहे पी. एल. ४८० के द्वारा कर रहे हों या लेवी के जरिये कर रहे हों या किसी और जरिये से कर रहे हों। जो इन पिछले दिनों में अनुभव हुआ हमने कोशिश की, व्यापारियों से अपील की। हमने व्यापारियों से अपील सिर्फ इस बात की नहीं की थी कि वह लोग कुछ घाटा उठाकर चन्दा इकट्ठा करके हमेशा सप्लाई करते रहें। जो कहा वह यही कहा था कि आपस का कम्पीटीशन खत्म करके देश के ऊपर संकट है तो एक निश्चित भाव पर अपना वाजिब मुनाफा लेकर किसानों से खरीदें और लोगों में वितरित करें लेकिन इस मामले में जिस सहयोग की हम आशा करते थे वह सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। आपस में उनका कम्पीटीशन एक जगह वाले एक भाव पर करें तो दूसरी जगह दूसरे भाव पर इस प्रकार की बातें सामने आईं तो यह निश्चित बात है कि गवर्नमेन्ट के पास स्टॉक होना चाहिए। राजस्थान के अन्दर बल्कि जिस समय ब्रिटिश गवर्नमेन्ट थी, राजाओं का राज्य था उस समय लेवी सिस्टम था और उसका हमने विरोध किया था कि किसानों के ऊपर लेवी नहीं होनी चाहिए और अस्थाई तौर पर भी किसानों से लेवी ली जाये इसके बारे में भी नहीं मानते हैं। अभी अस्थाई तौर पर लेवी लेने से किसानों के सामने दिक्कतें आती हैं इसको भी हम महसूस करते हैं लेकिन आज के दिन जो परिस्थितियां हैं कि जिसके अन्दर हम सब को तैयार होकर चलना है यह आवश्यक हो जाता है कि हम आप लोगों के जरिये दूसरे तरीकों से, किसान भाइयों से भी इस बात के लिये यह निवेदन करूंगा कि जो आज देश के ऊपर संकट की घड़ी है इसके ऊपर उनको भी जो कुछ भी पैदा करते हैं उसमें से कुछ हिस्सा इस बात के लिये कि जिससे देश के अन्दर उपभोक्ताओं को बंटवारा करने में सहूलियत हो सकें,

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

वह दें । मैं उम्मीद करता हूं कि इस बात को हम लोग सब तरह से उनको समझायेंगे तो किसानों के अन्दर भी आज भावनायें नहीं हों ऐसी बात नहीं है और जैसा अभी बताया गया हमारे खाद्य मन्त्रीजी के जरिये कि आज ओपिन मारकेट के अन्दर जो इस लेवी के अलावा आएगा उसको समय समय के ऊपर पंजाब के सिस्टम के अनुसार यहां भी खरीदने के बारे में कार्य वाही की जायेगी जिससे और स्टेट ट्रेडिंग के द्वारा खरीद कर इस चीज को सप्लीमेन्ट किया जा सके ।

माननीय उपाध्यक्ष जी, राजस्थान के अन्दर जो परिस्थितियां खास तौर से खाद्य पदार्थों के बारे में जो मुश्किलें की बनीं वह पहले जुलाई, अगस्त महीने से बननी शुरु हुई । जबकि बारिश पहले देरी से हुई, फिर हुई और फिर आखिरी बारिश, एक बारिश भी अगर पिछले १५ रोज में हो गई होती तो काफी स्थिति में अन्तर होता । लेकिन इन परिस्थितियों की वजह से बहुत सा अन्तर आया । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पंजाब के बारे में अभी कहा गया कि पंजाब के अन्दर एक सा भाव है । मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान का गेहूं का उत्पादन करीब १०-१०॥ लाख टन के करीब है । उनका पिछले वर्ष में अनाज का उत्पादन २७-२८ लाख टन है । दोनों जगह की आबादी २ करोड़ की है । और दिल्ली की जिम्मेदारी भी उनके साथ जुड़ती है, उसके साथ कुछ रूरल एरिया भी जुड़ता है लेकिन दोनों की आबादी दिल्ली के साथ जोड़कर देखा जाय तो जो राजस्थान का उत्पादन है और पंजाब का है उसको भी लक्ष्य में रखकर यह सोचना पड़ेगा कि उनकी सफलता के पीछे उनके खुद के उत्पादन का कितना बड़ा हिस्सा होता है । उसी तरह से चने के अन्दर जहां तक मेरा ख्याल है राजस्थान के अन्दर ७-७॥ लाख टन पैदा होता है । पंजाब में १५ लाख टन चने का उत्पादन होता है । तो उत्पादन की दृष्टि से पंजाब का उत्पादन चाहे जिस क्षेत्र में लिया जाये चावल में या दूसरे में काफी अधिक मात्रा में है । तो पंजाब के अन्दर गेहूं के भावों में अन्तर पड़ता है, वहां इरिगेड एरिया इतना ज्यादा है कि चाहे मानसून फेल भी हो जाये तो भी पंजाब के अन्दर इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती जब कि राजस्थान में आज भी तीन पंचवर्षीय योजनाओं के बाद हमारे सामने यह समस्या है कि मानसून के ऊपर हमें बहुत ज्यादा निर्भर करना पड़ता है और मानसून के ऊपर हमारे खाद्य पदार्थों की पैदावार पर जबरदस्त असर पड़ता है ।

इन सारी बातों को लक्ष्य में रखकर मैं इसको मानता हूं कि जो भी हम प्रक्योरमेन्ट करना चाहते हैं इन दोनों सिस्टम के जरिये और भारत सरकार के द्वारा भी जो आज की हमारी परिस्थिति है और जो उनके पास स्टाक होगा और जो आज अमेरिका से खरीदा है उससे भी जो राजस्थान को आने वाले महीनों में उपलब्ध होगा उससे इस सारी परिस्थिति को सबसे सहयोग से हम सुविधाजनक बनायेंगे और उसको हल करने में कामयाब होंगे, ऐसा मैं मानकर चलता हूं ।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

यह सही बात है उपाध्यक्ष महोदय, कि कहीं भी एन्फोर्समेन्ट का स्टाफ हो, चाहे दूसरा स्टाफ हो, उसके बारे में शिकायतें आयें तो उसको आप निश्चित तौर से ध्यान में लायें। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि इस इमर्जेन्सी की वजह से हम भी इस खाद्य समस्या के बारे में ऐसा नहीं समझते कि हमें इसके बारे में चिन्ता करने की जरूरत नहीं है या केवल जनता से इमर्जेन्सी के नाम पर अपील करते रहें, यह हमारा दृष्टिकोण नहीं है। इस बात को हम निश्चित तौर से मानते हैं कि जितने फौज को लड़ने के लिए हथियार चाहिये मोर्चे पर, जनता का मनोबल इस खाद्य के जरिये उसी प्रकार से दृढ़ रखने के लिए हमें आवश्यक कदम उठाने होंगे और उन कदमों को उठाने के लिए हमारी अपनी तरफ से जो भी कदम हो सकते हैं हम उनको निश्चित तौर से उठायेंगे। आपके सामने कोई बातें ऐसी आवें तो आप निश्चित तौर से सुझाव दें। जो एडवाइज़री कमेटी कायम की है वह कमेटी भी केवल कोई सदन के पहले एक बार मिलने के लिये नहीं है बल्कि महीने दो महीने से लगातार मिलती रहे, सिचुएशन को रिव्यू करती रहे। आप लोग अपने सुझाव देते रहें। मैं इसको पार्टी का प्रश्न नहीं मानता। मैं निश्चित तौर से सदन को विश्वास दिलाता हूं कि खाद्यान्न की व्यवस्था करने में कोई राजनैतिक बात नहीं होगी और उसकी वजह से अगर चुनावों पर होता है तो हम उस बात के लिये भी कतई चिन्तित नहीं हैं और हम निश्चित तौर से इस बात को मानते हैं कि आज के समय में राजनीति को कायम रखना उतना जरूरी नहीं है जितना देश को कायम रखना जरूरी है। इसी तरह से हम इस कदम को भी उठाना चाहते हैं। किसानों की लेवी के बारे में बहुत सी बातें कहीं गई हैं, इस बारे में विचार प्रकट किये गये हैं लेकिन उस कदम को भी इसी दृष्टि से उठाया है कि आज हम सबसे कहेंगे कि अगर कुछ लोगों को इससे नाराजगी होती है तो उस नाराजगी को सहन करेंगे और इस बात की व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे कि जिससे लोगों को जो कुछ उपलब्ध है वह ठीक तरह से उनको उपलब्ध हो सके।

अलवर के बारे में वहां से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ बातें कहीं हैं कि जो वहां चना खरीदा गया उसके अन्दर खास तौर से रुपया लिया गया। मै उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम जल्दी से जल्दी किसी वरिष्ठ अधिकारी को वहां भेजकर पूरे मामले की जांच करवायेंगे और जो भी दोषी होगा उसको इस मामले में कोई भी रियायद नहीं दी जायेगी। क्योंकि आप जानते हैं कि बीच में भी इस चने के मामले में कुछ शिकायतें आई थीं और उनकी मौके पर जांच कर कहीं २ पर तो एडीशनल कलेक्टर तक को सस्पेंड किया गया है, कहीं पर और अधिकारियों को भी सस्पेंड किया गया है इसलिये यह कहना कि इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया गया तो इसका कोई प्रश्न नहीं उठता। साथ साथ, उपाध्यक्ष महोदय मै यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो परिस्थितियां हमारे सामने हैं उनमें और उसके अलावा भी लैंड यूटिलाइज़ेशन के बारे में प्रश्न उठाये गये हैं तो यह ठीक बात है कि अगर किसी के पास ऐसी जमीन है जिस

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

जमीन पर काश्त नहीं होती और वह यों ही पड़ी है तो फिर चाहे वह मानसिंहजी की जमीन हो या और किसी की जमीन हो मैं समझता हूं कि हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट की तरफ से निश्चित तौर से सख्ती से लैंड यूटिलाइजेशन एक्ट की धाराओं का उपयोग किया जायेगा और ऐसे आदमियों को जमीन काश्त के लिए दी जायेगी कि जिन लोगों के पास जमीन नहीं है जिससे उसके अन्दर काश्त हो सके और हमारा उत्पादन बढ़ सके। पल्सेज़ के बारे में जो कुछ कहा गया उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में आल इण्डिया लेवल पर यह निर्णय लिया गया कि आइल सीड एण्ड पल्सेज़ पर नियंत्रण न लगाया जाय। अगर हम केवल मोठ के मामले में रुकावट करते और दूसरे लोग, मूंग के मामले में नहीं करते तो वह अखिल भारतीय नीति से मेल नहीं खाता। इसलिए राजस्थान के अन्दर भी रोक लगाने वाली बात पैदा नहीं हुई। इस साल की जो परिस्थितियां हैं उसको दृष्टि में रखते हुए हम भारत सरकार से बात करके आगे जो कदम उठाया जा सकता है उसके बारे में हम और कार्यवाही करने के लिए कोशिश करेंगे।

माननीय उपाध्यक्षजी, यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एक जिले से दूसरे जिले में अनाज लाने ले जाने के बारे में और जोन्स के जो दूसरे प्रश्न उठाए गए हैं उनके बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कुछ प्रश्नों के बारे में अभी यहां पर तत्काल मैं कुछ कहूं उसकी बजाय केबिनेट में हम विचार करेंगे और इसके बारे में जो भी कार्यवाही कर सकना सम्भव होगा, हम अपनी तरफ से करने का प्रयत्न करेंगे। मैं और ज्यादा इस मौके पर कहूं, मैं समझता हूं कि वह आवश्यक नहीं है। आज दरअसल जो भी लोग इस काम के अन्दर लगे हुए हैं उन सब के सहयोग की अत्यन्त आवश्यकता है क्योंकि फसल खराब देश भर में होते हुए भी हमारी सीमा पर जो हालात आगे हो सकते हैं, उन सब को दृष्टि में रखते हुए इन सारी बातों का ख्याल रखते हुए ही इस प्रश्न को भी हमें युद्ध की तरह महत्वपूर्ण समझना है। इसमें किसी प्रकार की पार्टी विशेष का प्रश्न नहीं है, इसको सारे देश का राष्ट्रीय प्रश्न समझकर ही हल करने के बारे में प्रयत्न होना चाहिए और इसी तरह हमें कार्यवाही करनी होगी। और भी जो कुछ यहां पर कहा गया है उन बातों के बारे में मैं समझता हूं कि जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं उनके बारे में उनको बहुत २ धन्यवाद देता हूं। बस केवल इतना ही निवेदन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यह बहस ४ बजे तक चलेगी, इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यदि वे संक्षेप में भाषण देंगे तो अधिक लोग बोल सकेंगे। श्री शीशराम ओला।

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) : समय बढ़ाना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आगे के आयोजन को दृष्टि में रखते हुए समय बढ़ाना तो शायद सम्भव नहीं होगा।

श्री शीशराम ओला (खेतड़ी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज खाद्य समस्या पर सदन में विचार-विमर्श हो रहा है। मैं भी इस बारे में अपने सुझाव प्रस्तुत करना

(श्री शीशराम ओला)

चाहूँगा। वैसे जिस प्रकार से सारे विचार, सारे भाषण खाद्य समस्या पर हुए हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए अलग अलग प्रकार से सुझाव आए हैं। यह खाद्य समस्या केवल राजस्थान में हो, ऐसा नहीं है बल्कि सारे भारतवर्ष में एक प्रकार से खाद्य समस्या का संकट है। राजस्थान में हम क्या कर रहे हैं तत्काल और कितना उससे लाभ हो सकता है उसके जरिये, इस बारे में मैं दो चार सुझाव प्रस्तुत करता हूँ।

सबसे पहले मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूँ कि इंटर-डिस्ट्रिक्ट जो बान लगा हुआ है उसे हटा दिया जाय और राजस्थान के व्यक्ति राजस्थान के किसी जिले से अनाज ले सकें, उसको लाने ले जाने में दिक्कत न हो इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन आज स्थिति इसके विपरीत है। एक जिले से दूसरे जिले में अनाज लाया जाता है तो अनाज नहीं लाने देते हैं। एक जिले के लोग २५) रु० मन का गेहूँ खाते हैं और दूसरे जिले के लोग गेहूँ का दाना तक नहीं ले पाते हैं। हम राजस्थान से बाहर अनाज भेजने के प्रतिबन्ध की बात करें तो ठीक है लेकिन राजस्थान के अन्दर ही, एक प्रान्त के अन्दर लोगों को समान रूप से अनाज न मिल सके तो यह कोई शोभा की बात नहीं है।

दूसरी बात है भावों के बारे में। सरकार ने ५५) रु० बाजरे के भाव तथा ६८) रु० गेंहूं के भाव या ६२, रु० गेंहूं के भाव निर्धारित किए हैं। सरकार को इस प्रकार के भाव निर्धारित करने का कोई अधिकार नहीं है जब तक सरकार उन सब लोगों को जिनको कि अनाज की जरूरत है, निश्चित भाव पर अनाज मुहैया नहीं करा सके और अनाज के सारे व्यापार को अपने हाथ में नहीं ले ले, सरकार को इस प्रकार मे कामयाबी नहीं होगी और इससे एक प्रकार से अनाज बाजार से गायब होगा।

तीसरी बात में यह बताना चाहूँगा कि दस माइल का एरिया हमारी सरकार ने रखा है। राजस्थान के नजदीक पंजाब का जो दस माइल का एरिया पड़ता है तो वहां से कोई अनाज न जाय इसलिए बाउण्ड्री कायम की गई है, सीमा निर्धारित की है। इसके लिए मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मंत्रीजी से कि जो दस मील का एरिया आपने लगाया है तो उस दस माइल के एरिया में रहने वालों को आपने रिफ्यूजी बना दिया है। जो पाकिस्तान की सीमा पर लोग रहते हैं वे लोग तो फौजी लड़ाई से परेशान हैं और पाकिस्तान से परेशान हैं मगर हमारे जो पंजाब के नजदीक या यू. पी. के नजदीक रहने वाले लोग हैं वे इन नियमों से परेशान हैं। उस दस मील के अन्दर कितनी कठिनाइयां हैं यह आपने कभी ध्यान से नहीं देखा है। यदि आप ध्यान से देखते तो आप महसूस करते कि कितनी कठिनाइयां, कितनी तकलीफें लोगों को हैं। दस माइल के अन्दर रहने वाले अगर कोई एक गांठ अपने ऊपर रख कर लेकर जाते हैं तो आपकी पुलिस और आपके एन्फोर्समेंट वाले उसे उठा कर जेल में रख देते हैं और उसका वह अनाज नीलाम हो जाता है। उसका अनाज तो नीलाम होता ही है उसको सजा भी मिलती है। अगर

(श्री शीशराम ग्रोला)

किसान अपने घर पर खाने के लिए भी ग्रनाज बाहर से लाता है तो उसको सजा मिलती है, तो इससे बढ़ कर ज्यादती मेरी निगाह में दूसरी हो नहीं सकती है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि ग्राप महरबानी करके इस १० मील के बजाय ५ मील का एरिया निर्धारित करें तो ज्यादा उचित होगा, ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा।

मैं ग्रापको ग्रर्ज करना चाहूंगा कि जो किसान शहर में जाता है तो शहर वाले कहते हैं कि राशन कार्ड दीजिये ग्रौर राशन कार्ड पर १–२ किलो नाज मिल पाता है। राशनकार्ड गांव वालों के पास में नहीं हैं। शहरों में इतना ग्रनाज नहीं मिलता है उसको एक सप्ताह का नाज भी मिल सके। मैं झुन्झुनू जिले का रहने वाला हूं। वहां हर ३५ हजार कुटुम्ब ऐसे हैं कि जिनके कुनबे के संचालक लोग घरों पर नहीं रहते हैं, क्योंकि वे हमारी फौजों में हैं। ग्रगर ३५ हजार कुनबों के लोगों को नाज नहीं लिले ग्रौर वे भूखे रहें तो जो देश की रक्षा में स्यालकोट, लाहौर, छम्ब के मोर्चो पर जो लोग लड़ रहे हैं उनके पास उनके घर वालों की चिट्ठियां जायं ग्रौर उनमें वे लोग लिखें कि उनको नाज नहीं मिल रहा है तो उनको चिन्ता हो जाती है कि वह देश के दुश्मनों से लड़े या घर में नाज की व्यवस्था करें। मैं इस सदन को उपाध्याक्ष महोदय, ग्रापके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम ऐसे लोगों के लिए जो राष्ट्र की रक्षा के लिए तैनात हैं ग्रौर ग्रपने कन्धों पर बन्दूक लिये हुए खड़े हैं ग्रौर ग्रागे बढ़ रहे हैं ग्रौर किस प्रकार से ग्रागे बढ़कर पेटन टैंकों के एन्जिनों में गोले डालकर उनको तोड़ा है ऐसे लोगों की फेमिलीज को ग्रनाज नहीं दे सकें तो यह शोभा की बात नहीं है।

इन सारी समस्याग्रों का हल तब तक नहीं हो सकता जब तक कि किसान को हम एट्रेक्टिव नहीं बना पाते हैं कि वह ज्यादा नाज पैदा करे ज्यादा नाज पैदा करने का तरीका क्या है यह बताना चाहिए ग्रौर किसान को ग्रधिक ग्रन्न पैदा करने के लिए कुग्रों के लिए सब्सिडी देना चाहिए ताकि ऐसे कुए बनायें कि ज्यादा नाज पैदा कर सके। इस प्रकार से खेती के लिए सब्सिडी मिले या सहायता मिले। मेरे कहने का मतलब यह है कि किसान को खेती करने के लिए ग्रौर ग्रन्न पैदा करने के लिए उसको इतना एट्रेक्ट करें कि वह उसको जी जान से करे। उसको यह भरोसा होना चाहिए कि उसको इसमें इतना लाभ मिलेगा। उसको यह भरोसा होना चाहिए कि हमारी सरकार हमारे लिए किस प्रकार से सोचती है।

इसलिए ग्रन्त में ज्यादा वक्त नहीं लूंगा ग्रौर यह कहना चाहूंगा कि जो फौजी कुनबे हैं उनके लिए राशन की व्यवस्था हो। १० मील का जो एरिया है वह ५ मील हो, ज्यादे से ज्यादा नाज हो इसकी सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए, केवल भाषणों ग्रौर बातों से काम पूरा होने वाला नहीं है।

श्री बिट्ठल (बांसवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में खाद्यन्न की स्थिति ज्यादे से ज्यादा भयंकर खराब होती जा रही है, ग्रौर यह स्थिति इस समय तो ठीक है, लेकिन ग्राज से चार महीने बाद ग्रौर भी ज्यादा बिगड़ने की सम्भावना है। जब

(श्री विट्ठल)
मैं चाहूँगा कि सरकार को चाहिए था कि कभी भी अकाल पड़े तो अनाज की व्यवस्था करेंगे उसके लिए सरकार की जिम्मेदारी होती है। उसको जब तब भी हम लोग भी कहते रहे हैं कि अनाज की व्यवस्था सरकार को करना चाहिये, लेकिन आज तक सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। अभी इस साल के लिये करीबन २६ जिलों में से १७ जिलों में तो अकाल घोषित करना ही पड़ेगा। यह स्थिति हो गई है। कुए खाली पड़े हैं बल्कि सूख रहे हैं। पीने के लिए कुओं में पानी नहीं है; नालों में पानी बहता बन्द हो गया है। यह चौमासे का आखिरी महीना जा रहा है और बरसात नहीं होने के कारण यह हो रहा है, और आज हम लोग विचार कर रहे हैं कि अनाज की समस्या कैसे हल की जाय ?

यह सरकार की जिम्मेदारी है कि अनाज की समस्या हल करें, लेकिन जैसी चाहिए वैसी मुश्किल है। यह तो मैं आज भी कहना चाहता हूँ कि सरकार के लिए इस साल अनाज की समस्या का हल करना बहुत मुश्किल है। इधर पानी की समस्या, इधर घास की समस्या, इधर नाज की समस्या है। शहर में आज भी कन्ट्रोल चल रहा है। गांवों में किसानों के वहां पर कहां कन्ट्रोल सरकार ने नियम बना रखा है कि ५००० की जनता जहां पर है वहां कण्ट्रोल की दूकानें खुलेंगी। गांवों में अन्न की समस्या सब जगह हो गई है। किसानों के कोठों में नाज नहीं रहा तो फिर शहरों में नाज कहां से आयेगा ? चौमासे की फसल खराब हो चुकी हैं और उन्हालू फसल के लिए जो खेती बोने के लिए थी उसको छोड़ रखा है और इस साल नहीं बोई जायेगी क्योंकि उसमें नमी नहीं है। तालाब सूखे पड़े हैं तो नहरें चलेंगी कहां से ? यह सबसे बड़ी समस्या है मैं ऐसी बात नहीं कहूँगा कि आपने जिलों में नहीं देखा होगा। सारे राजस्थान की हालत खराब है और मैं राजस्थान की बाउन्ड्री पर रहता हूँ तो मध्यप्रदेश में भी यही हालत है, गुजरात में भी यही हालत है। पानी की कमी के कारण नाज की समस्या बहुत ही कठिन है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में तो समस्या बहुत ही खराब है। गत साल तो कुछ मक्का हुई थी और कुछ गांवों में ही अकाल पड़ा था, लेकिन इस साल तो दोनों जिलों में बिल्कुल ही अकाल हो गया है। वहां पर यह समझ लें कि ज्यादातर मक्का ही पकती है, लेकिन इस साल तो वह बिल्कुल ही सूख गई है। जिस किसान के यहां १० मन अनाज होता था उसके यहां दो मन नहीं होने वाला है। भुट्टे खाने को नहीं मिले। बांसवाड़े में जो मक्का कट रही है वह घास के काम आयेगी। यह साल तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। गत साल बांसवाड़ा जिले में कुछ मक्का पकी थी लेकिन उस साल की मक्का तो सरकार ने बाहर भेज दी। उसका किसानों को फायदा नहीं मिला। किसानों से मक्का ४० रु० क्विन्टल ली और बाहर भेजने पर १०० रुपये ६० रुपये क्विन्टल कमाये। इस तरह से जो भाव बान्धे थे उन भावों से किसानों का फायदा नहीं हुआ। उसका बड़े बड़े व्यापारियों को फायदा मिला। तो इस तरह से आज अनाज के अभाव में हमारे जिलों में बहुत बड़ा संकट है। सरकार आज से ही उसकी व्यवस्था नहीं करेगी, छोटे छोटे बान्ध बान्धना शुरू नहीं करेगी या कुए बनाना शुरू नहीं करेगी सरकार अनुदान देकर ब्लास्टिंग मशीनें मंगाकर

(श्री बिट्ठल)

उनको खुदवाने की व्यवस्था नहीं करेंगी तो पानी की व्यवस्था नहीं रहेगी और मवेशी भी जिन्दा नहीं रह सकेंगे और कुछ भी पैदावार लोग नहीं कर सकेंगे। यह व्यवस्था नहीं की तो वहां पर जो इस वक्त में स्थिति है वह बढ़ जायेगी। आप कुछ भी करें मैं जनता की तरफ से आपको रिपोर्ट दे रहा हूं कि वहां पर बिलकुल ही खराब हालत है। पटवारी गिरदावरी कर रहे हैं और कहीं पर ६ आना कहीं पर चार आना लगा रहे हैं, पर मै कहता हूं कि वहां बिल्कुल निल है। चार आना भी नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

आपके वे सरकारी नौकर हैं। थोड़ा बहुत सरकार की तरफ से लिखते हैं। लेकिन मेरी तरफ से रिपोर्ट है कि वहां फसल निल है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

इसलिये आज का जो भाव है वह आगे के लिए किसानों के लिए इस ढंग से हो कि सरकार जो व्यापारियों से खरीदती है उस भाव में और बेचने के भाव में ज्यादा फर्क न हो। चालीस रुपये क्विन्टल में माल खरीदा हुआ है तो वह नाज ८८ रुपये में व्यापारियों को बेचने के लिए दिया जाता है तो इतना फर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका असर उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। इसलिए भाव कुछ कम किये जायं।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

वाजिब भावों से अनाज किसानों से मिलेगा और सरकार को मुनाफा कम मिलेगा तो खाने वालों को बहुत बड़ा फायदा होगा। अगर आप ज्यादा मुनाफा लेंगे तो उन पर बुरा असर रहेगा। तो सरकार और व्यापारियों के भावों में जो फर्क हो उसमें कमी की जाय। इतना ही मैं कहना चाहता हूं।

(४.०० म. प.)

श्री गंगासिंह (जायल) : उपाध्यक्ष महोदय, इस समय यह जरूरी हो जाता है कि जो खाद्य समस्या है उसको एक राष्ट्रीय समस्या समझ कर उसके सम्बन्ध में सोचा जाय। दुनियां के हर देश के अन्दर अन्दर इस खाद्य समस्या को हल करने के लिये अनेक तरह की विचारधारायें हैं और मुख्यतः दो विचार धारायें चलती हैं वे यह हैं कि खाद्य समस्या को स्टेट ट्रेड की मार्फत चलाया जाय या खाद्य समस्या का हल फ्री ट्रेड के जरिये किया जाय। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, यह कभी भी कोई देश नहीं चाहेगा कि यहां न तो स्टेट ट्रेड हो और न फ्री ट्रेड हो। उपाध्यक्ष महोदय, इस समय हम अपमे एक्सपेरिमेन्टल बेसिस पर इस समस्या को हल नहीं सकते। हमें इकोनोमिक्स के प्रिन्सीपल्स के आधार पर देश की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए यह निश्चित करना पड़ेगा कि आया हम इस समस्या को स्टेट ट्रेड की मार्फत हल करेंगे या फ्री ट्रेड की मार्फत। सबसे बड़ी गलती जो हमारी सरकार ने की है वह यह है कि सरकार अपनी नीति को साफ नही कह सकी है कि वह किस नीति के जरिये खाद्य समस्या को हल करना चाहती है। उसकी नीति न तो स्टेट ट्रेड की है और न फ्री ट्रेड की। उसने अपनी नीति को मिक्स्ड ट्रेड के नाम से पुकारा है। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई देश हो सकता है जो मिक्स्ड

(श्री गंगासिंह)

ट्रेड की नीति से फलीभूत हो सके। जहां प्रिन्सिपल

(४.२ म० प०)

(श्री भीमसेन, सभापति पदासीन)

ग्रॉफ इकोनोमिक्स होते हैं, स्टेट ट्रेड है उस सम्बन्ध में दूसरी प्रोब्लम्स होती हैं उनसे लिन्क होता है। इसी तरह फ्री ट्रेड का लिन्क होता है लेकिन जब स्टेट ट्रेड न हो और फ्री ट्रेड भी न हो उस समय इसका रूप कैसा होगा यह नहीं कहा जा सकता। इस समय हमारी सरकार न तो स्टेट ट्रेड करती है न फ्री ट्रेड करती है उस समय हमारी खाद्य समस्या कैसे हल होगी। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस समस्या को हल करते समय उसकी पॉलिसी स्टेट ट्रेड की है या फ्री ट्रेड की रहेगी इस पर वह अपना मस्तिष्क साफ रखें जिसके कारण दूसरे रिएक्शन्स साफ साफ नजर आते रहें।

जहां तक मेरी पार्टी का सम्बन्ध है, हम इसमें विश्वास करते हैं कि फ्री ट्रेड होना चाहिये, हम स्टेट ट्रेड में विश्वास नहीं करते हैं और हम चाहते हैं कि ऐसी ऐसी समस्याएं देश में किसी समय पैदा हो जायें जिसके कारण कोई सरकार जनता को अन्न मुहैया नहीं कर सके वैसी परिस्थिति में खुद सरकार को ट्रेडर्स के रूप में आना चाहिए जिसके कारण वह सारे मारकेट को कन्ट्रोल कर सके, ट्रेड को कन्ट्रोल कर सके। लेकिन स्टेट ट्रेडिंग जहां तक हमारी पार्टी का सम्बन्ध है, कभी फलीभूत नहीं हो सकता। ऐसी परिस्थिति में मैं अनुरोध करूंगा कि हमारी सरकार की पॉलिसी बिल्कुल साफ होनी चाहिए कि वह कौनसे इकोनोमिक प्रिन्सिपल्स को फोलो करती है और किस तरह से इस समस्या को हल करना चाहती है।

इसके साथ-साथ भूमि के प्रोडक्शन के संबंध में अर्ज करूंगा। हमारी पार्टी यह विश्वास करती है कि सीलिंग कभी लागू नहीं होना चाहिए। हम विश्वास करते हैं कि सीलिंग का प्रोडक्शन पर असर नहीं पड़ने वाला है। इकोनोमिक फार्मिंग होना चाहिए। आप भूमि किसी हद तक ज्यादा तादाद में रखेंगे तभी अन्न ज्यादा पैदा होगा। हमारा ध्येय है कि यदि फार्म बड़ा होगा तो आप उसमें ज्यादा अन्न उपजा सकेंगे। लेकिन साथ ही साथ सरकार अपनी पोलिसीज पर निर्भर करती है और कहती है कि हमारे पास दूसरे जो टिनेन्ट्स है जिनके पास जमीन नहीं है उनको हम सीलिंग किए बिना जमीन नहीं दे सकते ऐसी स्थिति में क्या करें। मैं यह कहूंगा कि इसका हल यह नहीं है कि आप लोगों से जमीन छीन लें। और उनसे जमीन छीन कर दूसरों को दें यदि ऐसा करेंगे तो वे उतना प्रोडक्शन भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए मेरी राय है कि यदि कोई इकोनोमिक फार्म है और उसमें यदि आपके सीलिंग से अधिक भूमि है, मान लीजिए किसी के पास १००' बीघा भूमि है और उसमें ५०० मन अनाज पैदा होता है, यदि आप उसके पास से ४० बीघा जमीन ले लेंगे और ६० उसके पास छोड़ेंगे तो जिसको आप ४० बीघा जमीन देंगे वह ४० बीघा जमीन के अनुपात से उपज नहीं कर सकेगा। उसका प्रोडक्शन कम होगा क्योंकि वह फार्म इकोनोमिक फार्म नहीं होगा इसलिए मेरी राय है कि सीलिंग के बारे में आपको यह पोलिसी बनानी चाहिए

Page No 98

(श्री गंगासिंह)
कि सीलिंग से फायदा होने वाला नहीं है यदि आप अन्न ज्यादा उपजाना चाहते हैं तो आप फार्मर्स को इनिशियेटिव दें तो वे ज्यादा से ज्यादा अन्न उपजायेंगे । लेकिन पोलिटिकल स्टन्ट के कारण जमीन छीन कर दूसरों को देते हैं तो इससे अन्न की समस्या हल नहीं होने वाली है ।

दूसरी बात यह है, आपने चाहे ऐलान नहीं किया है कि कोआपरेटिव फार्मिंग करेंगे लेकिन आपकी जो नीति है और जिस तरह से कार्य कर रहे हैं उससे यह स्पष्ट होता है कि आपका ध्यान कोआपरेटिव फार्मिंग की ओर है जो कोआपरेटिव बेसिस पर फार्मिंग होता है उसको सरकार की ओर से ज्यादा मदद मिलती हैं । यदि आप दुनियां के कोऑपरेटिव फार्मिंग को देखें और वहां पर काश्तकारों की जो हालत हैं उसको ध्यान में रखेंगे तो आप यह महसूस करेंगे कि कोऑपरेटिव फार्मिंग का ध्यान गलत है । इससे कभी प्रोडक्शन बढ़ नहीं सकता । मैं ज्यादा नहीं कह कर कृषि मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि सीलिंग के आइडिया को छोड़ दें, कोऑपरेटिव फार्मिंग भी अन्न ज्यादा उपजाने वाली नहीं है । आप स्टेट ट्रेडिंग में विश्वास करते हैं या फ्री ट्रेड में इसको स्पष्ट करना लाजमी हो जाता है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): चेयरमेन महोदय, सदन के नेता महोदय ने जो अपने भाषण में कहा उसके बाद कोई अधिक कुछ कहने को रह नहीं जाता, लेकिन इस समस्या को राष्ट्रीय समस्या समझ कर जिस तरह से एक राय से इस मामले को सोल्व करने के लिये अपने यहां के लिये हमको सब पार्टीज़ को जैसा आह्वान नेता महोदय ने किया है उसके बल पर हमें देखना है कि हम कहां तक कामयाब हो रहे हैं । मैं इस मौके पर समयाभाव के कारण अधिक नहीं कहता हुआ, जैसा कि नेता महोदय ने बताया, रामानन्द जी के कहने पर कि वहां पर इस तरह का षड्यन्त्र हुआ है उसकी हम जानकारी और जांच करेंगे और भी आपके कहने पर, और भी आपके नोटिस में कोई बात आवें तो नेता महोदय ने आपको आह्वान किया है एमर्जेन्सी के समय में क्या सरकारी लोग और क्या दूसरे लोग इस तरह के गड़बड़ की बात करते हैं तो उन पर हमको निगाह रखनी है और उसके साथ यह भी जिम्मेदारी हम चुने हुए लोगों को लेनी होगी कि जो आदमी फूड के मामले में हरकत करेंगे उसको देश में नहीं रहने दिया जायगा, उसको सजा दिलायेंगे । इस तरह की बात यदि हम धार लें, यदि मिनिस्टर महोदय धर लें तो गड़बड़ हो नहीं सकती । हम फूड समस्या के बारे में सुझाव दें और इसको राष्ट्रीय समस्या की तरह समझ कर सरकार चलाने पर आमादा है जैसा नेता महोदय ने कहा, तो कोई कारण नहीं कि हम समस्या पर हावी नहीं हो सकते और हमको समस्या पर हावी होना है, हम सरकार के साथ सहयोग करके हावी होंगे और जिस तरह का पेनिक और दूसरी चीजें पैदा हो रही हैं उसका हमें फेज़ बदलना होगा और यह फेज़ तभी बदल सकते हैं जब कि इस तरह के लोगों को जो प्रोटेक्शन देते हैं उन प्रोटेक्शन देने वालों को कहना चाहिये कि उनको प्रोटेक्शन सरकार का नहीं मिलेगा । उसका प्रोटेक्शन कोई नहीं दे सकेगा चाहे किसी का भी ज्यादा से ज्यादा चाहे हो । तो एक इरादे के साथ में सदन के अन्दर

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)
काम करने की कोशिश करें इस भावना से इस सिलसिले में मुझे भी एन्करेजमेंट मिला। मैं भी ऐसे मामले बतलाऊंगा, जहां पर काम करना है।

चेअरमैन महोदय, कहीं पर तलवार से काम होता है। जब लड़ाई होती है तो वहां तलवार का काम सुई नहीं कर सकती है। और अगर सीने का काम करना है तो वहां तलवार सूई का काम नहीं दे सकती है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि यह पता आपको करना होगा। यह गवर्नमेंट की मशीनरी है, इसके कारण नीतियों की बात छोड़ दें—यह उचित नहीं है। यह मशीनरी अच्छे कामों के लिए नियुक्त की जाती है लेकिन जो सरकार फैसला करती हैं, जो फूड पालिसी है इसको अच्छी तरह लागू करने के लिए और खाद्य समस्या को हल करने के लिए सरकार कानून बनाती है लेकिन वह कानून जब लागू होता है तो करप्शन फैल जाता है। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता। लेकिन हमें इस करप्शन को रोकना होगा। हमें इसी मशीनरी से इस वक्त में काम चलाना है। इसलिए आपको महसूस करना पड़ेगा कि जहां पर सूई से काम करना हैं वहां पर सूई से ही काम करना पड़ेगा। और इस काम को जो करने वाले हैं, नीचे से ऊपर तक, उनको भी आप यह पूरी तरह से समझा दें कि सरकार ने यह डिक्लेअर किया है, खाद्यान्न की कीमतों के बारे में यह फैसला किया गया हैं–वह अच्छी तरह लागू हो। हमारे नेता ने कहा है कि बेईमानी को बर्दाश्त नहीं किया जायगा और जिन्होंने बेईमानी की है, उनको सजा दी जायगी उनको ठीक कर दिया जायगा और उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ में मैं कुछ मामले सदन के सामने रखता हूं। आज मुझे वक्त नहीं मिला, मैंने नो बजे तक नेता से मिलने की कोशिश की। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इन सब बातों को सदन में रखने का हमारा फर्ज होता है, उनके बारे में हमारी जवाबदेही होती है। क्योंकि ऐसे लोग यह कहते हैं कि हम जो कुछ करते हैं वह फूड मिनिस्टर साहब के इशारे से करते हैं। लेकिन यह कौन देखने जाता है कि उनके इस कथन में सच्चाई है या नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि इस मामले में हम में डर नहीं सोना चाहिए और जो ऐसे लोग हैं उनको पूरी तरह से सजा दी जाय। मैं ऐसे इन्स्टान्स आपके सामने पेश करना चाहता हूं क्योंकि नेता ने कहा है कि हम इसकी इन्क्वायरी करेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि जो मैं मामले रख रहा हूं उसकी फूड मिनिस्टर साहब इन्क्वायरी करवा लें।

एक मामला है, जो गेहूं लाया जाता है उसको उठाने के लिए टेन्डर किये जाते हैं, कन्वेयेन्स के लिए टेन्डर होते हैं और उसमें एक टेन्डर पास हो जाता है। उसके साथ एग्रीमेंट हो जाता है फाइनल और वह काम करने लग जाता है। इसके बाद एक आदमी फिर खड़ा होता है और वह कहता है, मैंने कम का टेन्डर दिया था। उसका टेन्डर पहुंचा नहीं रेकॉर्ड पर, लेकिन वह कहता है, मैंने टेन्डर दिया है वह टेन्डर मंजूर होना चाहिए क्योंकि वह कम रेट का टेन्डर था। यह मामला चलता है। आपका कलेक्टर और दूसरे लोग कहते हैं, बाबा इसका टेन्डर नहीं आया....

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : नाम बतायें! कहां का है ?

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : मै मिनिस्टर साहब को पढ़ कर सुनाऊंगा। यह झुंझुनू का है। मामला यह है कलेक्टर लिखता हैं इन आथोरिटी को, हावा साहब को लिखता है। मैं रिलेवेन्ट पोर्शन पढ़ देता हूं, आप चाहेंगे तो बतला भी दूंगा

"It was a clear condition that no tenders received after the date will be accepted. He did not submit his tender in time and hence his case was not considered.

It will not be proper to take this company on its word. There is a greater likelihood of the firm not having despatched the tender despite their contentions. A representative of the firm could have appeared before the officiating Collector on 16-7-65 instead of waiting till 19-7-65 with an application dated 16-7-65 by 19-7-65 the rates were known and any one could have come forth with such a claim."

यह जाता है। फिर कलेक्टर ने कहा है

"This matter was examined thoroughly in this office and then action was taken."

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं पांच मिनट में इस मामले को रखूंगा। फिर दूसरा कभी मौका होगा तो बतला दूंगा।

श्री नाथूराम मिर्धा (खाद्य मंत्री) : मैं सारे केस को जान गया और मैं बराबर उत्तर दूंगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सदन भी जान ले तो उसमें क्या एतराज है? आप इन्क्वायरी करवायेंगे?

श्री नाथूराम मिर्धा : इन्क्वायरी करवा ली है।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : वह आप बता देना। मैं सारा केस सदन के सामने रख दूं। हो सकता है, कोई कागज आपके सामने नहीं रखा गया हो, इसलिए पूरा केस सदन के सामने रखना जरूरी है। आपका जवाब तैयार है और सब चीजें तैयार हैं तो फिर तो मुझे सारा केस सदन के माननीय सदस्यों को बताना पड़ेगा। मैं यह दावे के साथ कहता हूं; कलेक्टर जो लिखता है उसको आप जानते हैं तो फिर तो मैं जरूर कहूंगा ......

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : आप कैसे जानते हैं?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : You just keep quiet.

"This matter was examined thoroughly in this office and then action was taken. If the contract of new contractors will be discontinued, it will create legal complications as all the formality, i. e. depositing of security amount worth Rs. 3,000 obtaining the registered agreement bond between Collector and the contractor etc. have already been performed."

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

यह कम्प्लेन्ट होने के बाद यह एक आदमी आता है और वह यह कहता है। इसके बाद डिप्टी मिनिस्टर लिखती हैं, डिप्टी मिनिस्टर खाद्य की हैं वे लिखती हैं :

"आवेदन-पत्र से सम्बन्धित समस्त कागजात देखने से लगता है कि आज की स्थिति में री-टेन्डर करवाना अनेक कानूनी दिक्कतें पैदा करेगा एवं राज्य सरकार की स्थिति को भी अनावश्यक रूप से बिगाड़ सकता है। अतः इसे पहले कानूनी तौर से पूरी तौर पर जांच करवा लिया जावे तथा तब तक के लिए रीटेन्डर की कार्यवाही को स्थगित रखा जावे। विभाग द्वारा जो जांच व नतीजा इस विषय में किया गया है वह पेश किया जावे।"

रीटेन्डर की कार्यवाही कानूनी जांच के बाद की जावे अतः जिलाधीश को आवश्यक आदेश दे दिये जावें। काम कर रहा है, फिर जनाब क्या होता है, यह तो आप आॅर्डर से देखिये। वह आर्डर करता है। कलेक्टर के लिखने के बाद इनका आॅफिस क्या लिखता है, वह मुझे नहीं मालूम। वह लिखता है :

"M/s Om Trading Co., Jhunjhunu have presented an application on 16th August, 1965 that he had sent tender on 15th August, 1965, but do not seem to have been received in the office. He had quoted the same rates as here approved last year. The rates so quoted are lower than the lowest rates quoted this year. He requested for entrusting contract to him on this basis. This application was filed by Shri Devi Singh, the then officiating Collector, on 23rd August, 1965, and probably neither any hearing was given to the party nor any intimation of the order was communicated to the party."

इसका मतलब यह कि "kindly re-invite the tender" यह आॅर्डर होता है और उसको दे दिया जाता है तब तक काम करने के लिए, यह मामले में आप समझिये, यह हुआ आपके कलेक्टर के लिखने के बाद। वह कोई भी आदमी हो, किसी को भी सिफारिश से हो—मैं तो यह समझा था कि आपको मालूम नहीं है। लेकिन आपके गुप्ता साहब और हावा साहब हैं, वे इस तरह का इन्टरप्रिटेशन करने, फूड के मामले में कलेक्टर को जानकारी देने और लिखने के बाद में भी उसे देना चाहते हैं। कौन से फेवरिट लोग ऐसे हैं; इसकी जांच करके, उन लोगों के टैन्डर को कैंसिल करके आउट आॅफ वे जाकर, उसके टैन्डर को स्वीकार करके उसको कन्वेयेन्स का काम दिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि यह क्लीअर कट केस है।

और भी मैं आपको बतलाऊं, कि जब इस मामले में गुप्ता साहब से पूछा गया कि यह ज्यादती क्यों की जाती है तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें. मिनिस्टर साहब चाहते हैं। मैं कोई गलत बात कहने का आदी नहीं हूं। इसमें क्या हुआ, क्या नहीं और एक हजार और तीन हजार रुपये की बात से मेरा ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसी चीजों के लिए हमको एक स्टेन्डर्ड मेन्टेन करना पड़ेगा। नेता ने कहा है कि

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

हमें ऐसे मामलों की जांच करनी पड़ेगी, उसके बाद में फैसला करना पड़ेगा और फैसला ऐसा करना पड़ेगा जो चार आदमियों की समझ में आये। आप फेवरिट को धक्का मारिये और इन दिनों के अन्दर जिस तरह से कानून को लगाना है उसी तरह से लगाइये। मेरी मान्यता है कि ऐसा केस हुआ है, ओन दी फेस आफ इट मालूम हुआ। जिसको टेन्डर पिछली साल मिला उसने दुबारा करा और दुबारा भी काम अच्छा हुआ है विशेष तौर से। एक बात। दूसरी बात यह कि तीन आदमियों का चालान होता है, दो आदमियों को कॉमोडिटीज एक्ट के अन्दर में गिरफ्तार किया जाता है। एक घनश्याम ताम्बी हैं। दो को हथकड़ी लगा कर ले जाया जाता है और एक को इज्जत के साथ ले जाया जाता है। दो को सजा हो जाती है और ताम्बी जी का मामला पेंडिंग रखा जाता है। यह वही ताम्बी है जिसका ब्लेक मार्केटिंग के अन्दर में चालान मौजूद है, लेकिन उसको फिर भी गवर्नमेंट अपनी फूड एडवाइजरी कमेटी के अन्दर रखती है और ऑल इंडिया कौंसिल के लिये नोमीनेट करती है। मैं नहीं समझता कि ऐसा क्यों हुआ? हमें कम से कम फूड के मामले में अच्छी व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस मशीनरी से जो मशीनरी आज आपकी है, आप कानून की मंशा को छूट दिलवाइये, और चाहे कोई आदमी बड़ा हो चाहे छोटा हो उसको सजा मिलनी चाहिए। ये ऐसी चीजें हैं, जिन की जनता में बहुत अधिक चर्चा है और इससे गलत बातें पैदा होती हैं। आप जनता के मानस को उठाना चाहते हैं, लेकिन ये बातें जनता के मानस को गिराने वाली हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जनता के मानस को ऊंचा उठायें। जो जनता के मानस को गिराने वाली बातें हैं उनसे हिकारत करनी पड़ेगी, उनको दबाना पड़ेगा। इस मौके पर आज हम निश्चित रूप से वायदा करें, सब पार्टियां और सब मेम्बर कि जो भी इस मामले में गड़बड़ी करेगा उसको हम नोटिस में लायेंगे हमारे मिनिस्टर के और उसके बाद हमें मिनिस्टर का लिखित जवाब मिले कि उस मामले में क्या हुआ। इसके साथ ही हमें इन ऑफिसर्स के ऊपर पूरी निगाह रखनी चाहिए। क्योंकि आज देशभक्त जनता है, आज देशभक्त चुने हुए लोग हैं, देशभक्त गवर्नमेंट है और इसमें काम करने वाले हैं। जिन लोगों का इसमें जबर्दस्त कुसूर है उनके बारे में, जब मौका मिलेगा, तब मैं अपने विचार रखूंगा। आज ऐसे मामलों में न सरकार की गलती है, न इलेक्टेड पर्सन्स की है और न जनता की है, लेकिन जिन लोगों की गलती है उनके ऊपर हमें हावी होना है और एक इरादे से हावी होना चाहिए। इसके अलावा कोई और मार्ग है नहीं।

श्री सभापती : मिनिस्टर साहब जवाब देंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : (खाद्य मंत्री) माननीय सभापति महोदय, ...

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : (रायसिंहनगर) × × ×

× × अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाले गए।

Page No 103

श्री नाथूराम मिर्धा : × ×

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : × ×

श्री नाथूराम मिर्धा : × ×

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) :

× ×

श्री नाथूराम मिर्धा : × ×

श्री सभापति : × ×

(अनेक माननीय सदस्य खड़े होकर बोलने लगे–शोरगुल)

श्री सभापति : × ×

श्री नाथूराम मिर्धा : × ×

(शोरगुल)

श्री सभापति : × ×

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : × ×

श्री मोहनलाल सारस्वत : × ×

श्री नाथूराम मिर्धा : × ×

श्री मोहनलाल सारस्वत : ×

श्री सभापति : × ×

श्री मोहनलाल सारस्वत : × ×

श्री सभापति : × ×

श्री मोहनलाल सारस्वत : × ×

श्री सभापति : × ×

श्री नाथूराम मिर्धा : × ×

श्री मोहनलाल सारस्वत : × ×

(शोरगुल)

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) :

श्री सभापति : × ×

श्री नाथूराम मिर्धा : × ×

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : × ×

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, विधि) :

श्री सभापति : × ×

श्री नाथूराम मिर्धा : × ×

श्री मोहनलाल सारस्वत : × ×

श्री सभापति : × ×

श्री मोहनलाल सारस्वत : × ×

श्री नाथूराम मिर्धा : × ×

श्री मोहनलाल सारस्वत : × ×

श्री सभापति : × ×

श्री नाथूराम मिर्धा : × ×

(श्री हीराभाई : बोलने के लिये खड़े हुए ।)

श्री मोहनलाल सारस्वत : × ×

श्री नाथूराम मिर्धा : × ×

श्री मोहनलाल सारस्वत × ×

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) :

(शोरगुल) सर्व श्री मोहनलाल सारस्वत और हीराभाई–साथ साथ बोलते रहने के कारण अश्रव्य)

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) :

श्री मोहनलाल सारस्वत : × ×

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : × ×

श्री हरिदेव जोशी (खनिज मंत्री) :

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) :

श्री नाथूराम मिर्धा : × ×

(शोरगुल)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : ×

श्री नाथूराम मिर्धा : × ×

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : (बनेड़ा)

श्री रघुनाथ बिश्नोई : × ×

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : × ×

श्री नाथूराम मिर्धा : × ×

(शोरगुल)

श्री सभापति : जो भाषण दिये गये हैं वे कार्यवाही में से निकाल दिये जावें । आप अपना भाषण जारी रखें ।

× × अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाले गए ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप अपनी रूलिंग दीजिये ।

श्री सभापति : रूलिंग हो गई ।

श्री नाथूराम मिर्धा : नीतियों के बारे में कहा गया कि राज्य सरकार यह समूचा कार्य खाद्य का…………

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री मोहनलाल सारस्वत : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर……

श्री सभापति : आप बराबर सदन की कार्यवाही डिस्टर्ब कर रहे हैं । मुझे इसके लिये कार्यवाही करनी पड़ेगी ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर…….

श्री सभापति : What is year point of order

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, ओन न पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, सभापति महोदय, इस सदन की परम्पराओं के विपरीत एक कार्य हो रहा है । इस सदन में अभी थोड़ी देर पहले माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत संतोषजनक भाषण हुआ, अब यह टेप रेकॉर्ड भाषण हो रहा है ।

श्री सभापति : This is no point of order.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मुख्य मंत्री जी के भाषण के बाद खाद्य मंत्री के इस टेप रेकार्डेड भाषण को बन्द कर दीजिये, मुख्य मंत्रीजी के गंभीर भाषण के बाद इस टालू और उबकाऊ भाषण को समाप्त कर दीजिये । अगर इसे बन्द नहीं करवाते तो …….

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : इसे प्रोसीडिंग्स से निकलवा दिया जाय ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मुख्य मंत्री जी की प्रशंसा को प्रोसिडिंग्स से निकलवा दीजिये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सभापति महोदय, नीतियों के प्रश्न पर जो दो तरह के एक दूसरे से विपरीत सुझाव दिये उस बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे समूचे भारतवर्ष की व राजस्थान राज्य की इस प्रकार की नीति है कि न तो हम इस स्टेज पर सारे देश में ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि सारे के सारे फूडग्रेन का ट्रेड हम अपने हाथ में प्रोक्योरमेंट की दृष्टि से ले लें और समूची वितरण व्यवस्था भी राज्य सरकार अपने हाथ में ले ले । फिर यह कहना कि राज्य सरकार यह नहीं करती तो फ्री ट्रेड कर दे, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हम इसे भी मानने की स्थिति में नहीं हैं । प्रस्ताव रखते समय भाषण दिया था तो मैंने कहा था कि……..

श्री मोहनलाल सारस्वत : तीन पाव का गेहूँ मिलता है, इसकी क्या व्यवस्था करते हैं ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, श्री मोहनलाल !

श्री हीराभाई (कुशलगढ) : व्यवस्था तो कुछ करते नहीं, यह कीचड़ कब तक फेंकते रहोगे, ये फालतू बातें हम सुनने को तैयार नही हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : चार आदमियों से अंगूर लगवा कर देश की खाद्य

Page No 105

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)

समस्या को हल करना चाहते हैं खाद्य मंत्री जी। मुर्गे, सूअर और अंगूर खिला कर देश की खाद्यसमस्या को हल करना चाहते हैं।

श्री मोहनलाल सारस्वत : खाद्य मंत्री जी डी. आई. आर. में गिरफ्तार करायेंगे तो हमें तो गिरफ्तार होना ही है, आप खाद्य समस्या को तो हल नहीं कर सकते········

श्री नाथूराम मिर्धा : आप इस तरह कितना ही करें हम आपको गिरफ्तार नहीं करवायेंगे·······

(४.३२ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पुनः पदासीन)

श्री मोहनलाल सारस्वत : उपाध्यक्ष महोदय, यहां सदन में देखिये, ये झूठे आंकड़े रखे हैं, अब आप पधार गये हैं, ५ मिनिट का समय दिलाइये।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यहां सदन की परम्पराओं को रखना आवश्यक है। सारी बातें सारी पार्टियों की तरफ से कही जा चुकी हैं। अब इनको कहने दें। इसके बाद स्पष्टीकरणात्मक प्रश्न यदि माननीय सदस्य करना चाहेंगे तो मौका दिया जायगा।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल (बयाना) ; माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सदस्य केवल ५ मिनिट स्पष्टीकरण के लिये चाहते हैं तो उपाध्यक्ष महोदय, यह आज्ञा इन्हें प्रदान कर दी जाय जिससे वे भी अपनी बात रख सकें और मंत्री उसका जवाब दे सकें।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय का भाषण हो चुकेगा, उसके बाद जो स्पष्टीकरण करना चाहेंगे उनको उचित अवसर दे दूंगा। इतना निवेदन करूंगा कि आज एक महत्वपूर्ण आयोजन है, उसकी अहमियत है, इसलिये यथासमय पूरा कर दें।

एक माननीय सदस्य : महत्वपूर्ण है, इसीलिये तो ये भी महत्वपूर्ण बात रखना चाहते हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह फर्मान जो हमको फूड मिनिस्टर साहब ने दिया है, इसमें ५८ रुपया क्विन्टल गेहूं का भाव दिया है। आप जानते हैं, आप भी गेहूं आरोगते हैं, क्या गेहूं का भाव आज ५८ रुपया क्विन्टल है ? या तो फूड मिनिस्टर साहब ५८ रुपया क्विन्टल के भाव से गेहूं दिलाकर बतायें कि यह सही है नहीं तो यह कागज झूठा है, इस कागज की कोई जरूरत नहीं है।

(कागज फाड़ कर सदन के आंगन पर फेंके)

(कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने भी कागज फाड़ कर फेंके)

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज ! मन्त्री महोदय जारी रखें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : On a point of order, Sir.

(कुछ क्षण विराम के अनन्तर)

(खाद्य मंत्रीजी की ओर इंगित करते हुए) आप बैठें तो अर्ज करूं·····

श्री उपाध्यक्ष : हां, फरमाइये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस सदन की कुछ स्वस्थ परम्पराएं रही हैं, मैं उनका

Page No 106

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)
हवाला देना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी का भाषण थोड़े समय पहले सदन में हुआ और उससे सदन को संतोष हुआ, इस पक्ष को भी संतोष हुआ। माननीय खाद्य मंत्री जिस प्रकार का भाषण दे रहे हैं, मुख्य मंत्रीजी के भाषण के बाद सदन की भावनाओं को सुन कर जो वातावरण मुख्य मंत्री जी के भाषण से पैदा हुआ, उसकी कद्र करते हुए माननीय सदस्य को अपने क्षेत्र की बातें कहने देते····

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : माननीय रामानन्दजी ने एक घन्टा भाषण दिया तब तो कुछ नहीं कहा।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! मैंने सदन की अनुमति से ही ४। बजे का समय नियत कर दिया था, अब उनका उत्तर प्रारम्भ हो गया हैं, पहले उनका उत्तर सुन लें, उसके बाद अगर कुछ स्पष्टीकरण के लिये प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ लें।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : कल उत्तर हो जायगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जी दस्तावेज सदन के माननीय सदस्यों को खाद्य मंत्रीजी ने दिये हैं उनमें मंत्री तो यह लिखते हैं कि गेहूं का आज ५८) रुपया क्विन्टल का भाव है। मैं ये १० रुपये देता हूं, राजस्थान के कृषि मंत्री ५८) रुपया क्विन्टल के भाव से गेहूं ला दें, मैं सदन छोड़ कर चला जाऊंगा। मैं स्तीफा देता हूं अगर वे ५८ रुपया क्विन्टल के भाव से गेहूं ला दें। लिहाजा यह झूठ बोलने के लिये कागज हमको दिये है········

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ने कागज फाड़ कर सदन के आंगन पर फेंके)

श्री उपाध्यक्ष : This is no point of order.

श्री भैरोंसिह : १० रुपये तो सदन की मेज पर रखवा लिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री नाथूराम मिर्धा : जैसा कि मैंने निवेदन किया, हमारी राजस्थान सरकार अन्न के सम्बन्ध में आने वाली जो कठिनाइयां हैं उनको ध्यान में रखते हुए कुछ स्टॉक अपने पास बना कर चलना चाहती है और उन स्टॉक्स के जरिये········

श्री मोहनलाल सारस्वत : पहले आप त्याग-पत्र दीजिये। इसके बिना काम नहीं चलेगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : जो मुश्किल वक्त सामने आने वाला है, खास तौर से बरसात की इस साल कमी के कारण, इस साल के दूसरे हालात हैं उनके कारण जो स्टॉक हम हमारे यहां बनाना चाहते हैं, जिनके बारे में मैंने शुरू के भाषण में जिक्र किया, कुछ सहायता भारत सरकार दे सकती है, कुछ हम करेंगे इन सब प्रयासों को मिला कर इस स्थिति का हम सामना करना चाहते हैं।

यदि सारा अनाज का व्यापार सरकार के जरिये या सरकार की एजेन्सी के जरिये हम करना चाहे तो इतना बड़ा बोझा लेने की स्थिति में आज हम नहीं हैं। जो आज हमारे सामने समस्याएं हैं उनको मद्देनजर रखते हुए न प्राइवेट ट्रेड के तौर पर हम काम कर सकते हैं और न सारे अनाज का स्टेट ट्रेडिंग ही आज की इन स्थितियों में हम कर सकते हैं।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

हम स्टेट की फूड पॉलिसी में और कन्ज्यूमर्स को वितरण करने के, प्रोक्योर करना, इसी नीति को लेकर आज इस देश के अन्दर समस्या का समाधान करने की दिशा के अन्दर आगे बढ़ना चाहते हैं।

श्री मोहनलाल सारस्वत : (रतनगढ़) ३५ की ज्वार ६७ में मिलती है।

(शोरगुल)

श्री नाथूराम मिर्धा : हमारे राज्य में पिछले साल जो स्थिति रही वह सब सालों से अच्छी रही, अच्छा उत्पादन रहा। हमारे राज्य में करीब ५८ लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ। उसमें से खरीफ की फसल में करीब ३१ लाख टन उत्पादन हुआ और करीब २७–२८ लाख टन रवी की फसल हुई जुलाई के महीने तक, खास तौर से खाद्यान्न की उपलब्धि का जहां तक प्रश्न है, चाहे उसमें कोर्स ग्रेन्स हों, चाहे व्हीट हो, अच्छी स्थिति रही। अराइवल्स भी ठीक थे। जहां तक भाव का प्रश्न है हमने मेक्जिमम प्राइस हैं व्हीट के, हमने इस सम्बन्ध में कुछ समय पहले निर्धारित किये थे उन्हीं कीमतों·······

श्री मोहनलाल सारस्वत : उस पर कितना विरोध हुआ। आज यह गड़बड़ नहीं होती·······

(शोरगुल–व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! माननीय सारस्वत····

श्री मोहनलाल सारस्वत : मै तो यह पूछता हूं····

(शोलगुल–अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूराम मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, आपका हुक्म हो तो मै बन्द कर दूं, मैं नम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि सदन का डिसिप्लिन तो हो।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, ये पेपर्स यहां पड़े हुए हैं यह प्रिविलेज का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : You ignore them.

(शोरगुल-घन्टी)

श्री हरीप्रसाद शर्मा (पाटन) : यह सदन की प्रोपर्टी है, कोई रद्दी कागज नहीं है····

श्री उपाध्यक्ष : आप फिक्र न करें।

श्री राधाकृष्ण गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रिविलेज का प्रश्न है····

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : There is no question of privilage. I have given the ruling. Order please !

(घंटी)

श्री राधाकृष्ण गोयल : सदन में जो पहले व्यवस्था दी गई थी उसको ध्यान में रखते हुए·······

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री नाथूराम मिर्धा : जुलाई के पहले सप्ताह तक जैसा मैंने निवेदन किया हमारी बाजारों के अन्दर खाद्यान्न की उपलब्धि काफी अच्छी मात्रा में रही और अराइवल्स ठीक रहे। इससे किसी प्रकार की दिक्कत हमारे सामने नहीं आ रही थी। खास तौर से व्हीट के बारे में जो दिक्कतें हमारे सामने

(श्री नाथूराम मिर्धा)
खड़ी हुई, जो मैक्जीमम प्राइसेज राजस्थान के अलग अलग दो जोन्स बना कर फिक्स की, जिस प्रकार से गेहूँ को ३ श्रेणियों में बांटकर भाव निर्धारित किए, वह काम अच्छी तरह चल रहा था। जून के महीने तक काफी सुचारू रूप से, ठीक ढंग से सब मंडियों में.........

विपक्ष के अनेक माननीय सदस्य : गलत, गलत, गलत, गलत !

(व्यवधान-घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : व्यवस्था का प्रश्न.........

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : यह प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है। देश संकट में है। आज की संकटकालीन स्थिति में अगर आप गलत स्टेटमेन्ट देकर इसी तरीके से सारी कार्यवाही को समाप्त करना चाहते हैं तो हम इसका विरोध करते हैं। आपने बताया है कि ५८ का भाव था, तस्कर बंद हो गया, फिर बताया कि जून के अन्दर अच्छी तरह से अनाज मिल रहा था.........

(शोरगुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : कतई नहीं मिल रहा था।

श्री मुरलीधर व्यास : हम इसका सख्त करते हैं, संकटकालीन स्थिति है या तो खाद्य मंत्री त्याग-पत्र दें, अगर काम नहीं कर सकते हैं; बाकी गलत भावना पैदा करके सदन को गुमराह न करें।

श्री मोहनलाल सारस्व : मंत्री त्याग-पत्र दें।

(शोरगुल–घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री मुरलीधर व्यास : अगर नहीं समझते हैं तो पद छोड़ दें। बिल्कुल बोगस बातें कह कर सदन को गुमराह न करें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! पहले आप उनको कहने दें।

(व्यवधान)

श्री मुरलीधर व्यास : अकाल पड़ा हुआ है, देश पर संकट है, स्थिति खराब है, अगर इस तरह मंत्री गलत स्टेटमेंट्स देते रहें तो फिर यह राज्य तो मर जायगा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मुख्य मंत्री कहते हैं कि व्यापारियों ने सहयोग नहीं दिया, उनको चेतावनी दी और ये कहते हैं कि व्यापारियों ने सहयोग दिया। खाद्यमंत्री उनके तलवे चाटते हैं और मुख्यमंत्री उनको चेतावनी देते हैं, ये दो बातें कैसे चलेंगी ?

(व्यवधान–घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ऐसे खाद्य मंत्री को क्यों नहीं हटाया जा रहा है ? आप फूड का पोर्टफोलियो खत्म कर दें या खुद मुख्य मंत्री इसको संभाल लें।

Page No 109

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज़ ।

(घंटी)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हम नहीं सुनना चाहते............

श्री उपाध्यक्ष : इस तरह का व्यवधान ठीक नहीं है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हमने मुख्य मंत्री को बड़े आदर से सुना, उन्होंने राज्य के व्यापारियों को चेतावनी दी, लेकिन आपको नहीं सुनेंगे । ऐसे खाद्य मंत्री से कुछ नहीं सुनेंगे जो हमारा सहयोग नहीं लेना चाहते । नहीं सुनेंगे, इन कागजों को फाड़ेंगे ।

(कागज फाड़ कर सदन के आंगन पर फैंके गए)

(व्यवधान—घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : यह सहयोग लेने का तरीका है ? ऑर्डर प्लीज !

(व्यवधान)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तरीका वह था जो मुख्य मन्त्री ने अपनाया............

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ऐसे खाद्य मन्त्री को हटाया जाय ।

(व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी (खनिज मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रोटेस्ट की एक सीमा होती है । जिस प्रकार से अभी सदन में बार बार कागज फाड़कर जो सदन में प्रदर्शन किया गया एक प्रकार से पूरे सदन का अपमान है और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमें प्रोटेक्शन दें । माननीय सदस्यों को इस बात का अधिकार है कि वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, किन्तु यह अधिकार नहीं है कि वे पूरे सदन का अपमान करें । मैं ऐसा समझता हूं कि इस प्रकार कागज फाड़ना और कहना पूरे सदन का अपमान है ....

(व्यवधान)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप लीडर ऑफ दी हाउस के अगेन्स्ट बोल रहे हैं, क्या वह अपमान नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज़ !

(कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े हुए)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : यह जनता की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑडर प्लीज़ ! (घंटी)

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : लोग भूखों मर रहे हैं । देश में ....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! माननीय हीराभाई ।

श्री हीराभाई : मिनिस्टर साहब गलत बयान देते हैं...........

श्री उपाध्यक्ष : आप ऐसी बात न करें जिससे कोई अप्रिय कार्यवाही करनी पड़े, शांति रखें । इस प्रकार की कोई बात नहीं कहनी चाहिए । यह सदन की परम्परा के....

Page No 110

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक झूंठ सुनें, दो झूंठ सुनें, क्या १०० झूंठ सुन लें ?

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की प्रतिष्ठा भंग नहीं करनी चाहिए। आॅर्डर प्लीज !

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : आप इस बात की व्यवस्था इस सदन में करें कि खाद्य मंत्रीजी, किसी तरह गलत बयान देकर मिसलीड न करें और गलतियां छिपाने के लिए सरकार और विभाग की असफलताओं पर लीपापोती करने के लिए कोई गलत बयान न दें, इस बात से हाउस को प्रोटेक्ट करें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Order please, let the chair say. सदन में प्रत्येक सदस्य को अधिकार है कि वे अपनी बात कहें। अगर वह गलत बात है तो उसके बारे में बहस हो सकती है और स्पष्टीकरण हो सकता है, लेकिन इस प्रकार से व्यवधान करने से सारे सदन की कार्यवाही को प्रतिपादित करना कठिन है। इसलिए पहले आप सुन लें। एक दम निर्णय लेना कि कोई गलत कह रहा है या सही, यह उचित नहीं है। पहले आप उनकी बात सुन लें, उसके बाद अगर कोई स्पष्टीकरण होगा तो, आपसे पहले भी कह चुका हूं, आपको इजाजत दी जायगी।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के सदस्य और कांग्रेस पार्टी के सदस्य खाद्य समस्या से सब ही बहुत चिंतित हैं और यह सारा रोष इस बात के लिये प्रकट हो रहा है कि लोग अपने अपने क्षेत्र की बात नहीं रख पाये हैं। फूड डिबेट केवल एक दिन के लिये ही रखी गई है जो पर्याप्त नहीं है। इसलिये इस रोष को ध्यान में रखते हुए माननीय खाद्य मंत्रीजी कल जवाब दे दें। एक दिन के लिये कार्यवाही सदन की और बढ़ा दें।

श्री उपाध्यक्ष : कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन पार्टी लीडर्स द्वारा तय हुआ है और सदन द्वारा एडाॅप्ट हुआ है। वह अब सदन की मंशा से ही परिवर्तित हो सकता है। इसमें परिवर्तन करने की मुझे शक्ति नहीं है। इसलिये मैं सहयोग के लिये आप सबसे निवेदन करूंगा।

श्री हरिदेव जोशी : He has concluded his speech.

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक कल म. पू. ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

कई माननीय सदस्य : क्या हुआ साहब ?

श्री हरिदेव जोशी : He has concluded his speech.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म.प. ४ बजकर ५२ मिनट पर दिनांक ९ अक्टूबर, १९६५ के म. पू. ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

———

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न सं० २९१ का उत्तर देखिये)

क्रम संख्या	प्रार्थी का नाम	जिला	अंगूरों के लिए ऋण स्वीकृत किया गया
१.	श्री कजोड़मल पुत्र गंगाराम	भीलवाड़ा	४,०००) रु०
२.	श्रीमती कलावती देवी पत्नि श्री रामचन्द्र ग्राम—रामपुरा रूपा	जयपुर	४,०००) रु०
३.	श्री तेजसिंह पुत्र इन्द्रसिंह सुवाना	बाड़मेर	४,०००) रु०
४.	श्री उम्मेद सिंह, पुत्र पुसाराम ग्राम देजर, पं०स० मन्डोर	जोधपुर	६,०००) रु०

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न सं० २९६ का उत्तर देखिये)

Copy of letter No. 20978 dated 21-12-64 from Labour Commissioner, Rajasthan, Jaipur to Secretary to the Govt. of Rajasthan, Appointments (A-II) Department, Jaipur.

Sub:-Confirmation on the posts of L. D. Cs. and U. D. Cs.

Rof:-Your endt. No. F10 (1) Appts. (A)/55 dated the 16th November, 1964.

With reference to your endt, under reply, it is stated that there is no case of irregular confirmation on the posts of L. D. Cs or U. D. Cs.

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न सं० ३०१ का उत्तर देखिए)

शिकार के लिए ली जाने वाली फीस की दरों की सूची

१५ दिवस के लिए

(क)	भारतीय नागरिक व विदेशी डिप्लोमेटिक कौर के हैड	२०) रु० प्रति गन मूल परमिट लेने वाले से व १०) रु० प्रति अतिरिक्त गन ।
(ख)	विदेशी पर्यटक-शिकार एजेन्सी या भूतपूर्व नरेशों के मारफत	५००) रु० प्रति गन ।
(ग)	अन्य विदेशी पर्यटक	२००) रु० प्रति गन ।

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न सं० ३०२ का उत्तर देखिए)

४ मंत्रियों पर एक वर्ष में होने वाला अनुमानित व्यय का विवरण

		अनुमानित व्यय
(१) मंत्रियों का वेतन		६०,०००) रुपये
(२) भत्ता :—		
(अ) सम्पच्युअरी	१२,०००)	
(ब) चिकित्सा	१,०००)	९७,०००) रुपये
(स) यात्रा	८४,०००)	
(३) अधिकारी व कर्मचारियों का वेतन, भत्ता आदि ।		
(अ) वेतन	७७,५२०)	
(ब) मंहगाई	१०,५६०)	
(स) चिकित्सा	१,४००)	
(द) यात्रा	६,०००)	१,०४,८००) रुपये
(इ) मकान किराया	६,९६०)	
(एफ) वर्दी	१,५००)	
(जी) सवारी	८६०)	
(४) बंगला		
(अ) मकान किराया	१२,०००)	
(ब) पानी व बिजली	८,४००)	२०,४००) रुपये
(५) मोटर व पेट्रोल आदि सवारी भत्ता		३३,५४०) रुपये
(६) अन्य		
(अ) टेलीफोन आदि		२५,०००) रुपये
(ब) स्वेच्छानुदान		२०,०००) रुपये
	कुल योग	३,६०,७४०) रुपये
	से	३,६०,७००) रुपये

परिशिष्ट ५

(समयाभाव के कारण समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

सीमेन्ट वर्क्स लाखेरी के कोल गेंग के मजदूरों को सुविधाएं

३१२. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सीमेंट वर्क्स लाखेरी में कोल गेंग विभाग में कुल कितने श्रमिक कार्य करते हैं और उनमें परमानेन्ट कितने हैं और टेम्प्रेरी कितने ?

(२) क्या यह सही है कि फैक्ट्री के मैनेजमेंट द्वारा इस विभाग का सारा कार्य ठेके पर करवाया जाता है ?

(३) क्या यह सही है कि ठेकेदार द्वारा ऐसी प्रणाली काम में ली जा रही है जिससे वह रोजाना के कार्य के लिये रोजाना मजदूरों को ड्यूटी पर लेता है और इस प्रकार ५-७ वर्ष से कार्य करने वाले मजदूरों को भी १ माह में केवल १५-२० दिन काम पर लिया जाता है ?

(४) फैक्ट्री एक्ट के अनुसार कोल गेंग के मजदूरों को कौन कौन सी सुविधायें प्राप्त हैं ?

(५) क्या यह सही है कि कोल गेंग के मजदूरों से ७॥) रु० माहवार किराये के काटे जाते हैं ?

(६) क्या यह सही है कि इस गेंग के मजदूरों से संबंधित कई विवाद औद्योगिक न्यायालयों में चल रहे हैं ? यदि हां, तो कितने और किस मांग पर ?

उत्तर

१. कोल गेंग में कुल २७६ श्रमिक (अधिकतम) काम करते हैं जिसमें परमानेन्ट ७३ तथा टेम्पोरेरी २०३ हैं।

२. जी हां।

३. जी हां।

४. फैक्ट्री एक्ट की करीबन सभी सुविधाएं दी जा रही हैं।

५. जी हां, आंशिक रूप में यह सही है।

६. जी हां, यह सही है कि कोल गेंग के मजदूरों से सम्बन्धित औद्योगिक न्यायालय में निम्न मांगों के सम्बन्ध में चल रहे हैं जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है:—

(i) Whether the feeding of hopers and other incidental work of the Locomotives of the Company and other incidental works after the commencement of the duty hours is justified and whether it affects the earning of the workers ? if so, how they should be compensated ?

(ii) Whether the demands of the General Cement Karamchari Union for allowing 10 National Festival Holidays is justified ? if so, from what date ?

(iii) whether the demands regarding fixation of grades and allowing of suitable annual increments is justified ? If so, from what date ?

(vi) Whether the Non-employment of 18 werkers as per list enclosed from 24-5-65 to 28-5-65 amounts to illegal lockouts ? If so, to what relief are they entitled ?

2. (i) Whether the workmen who have completed 240 days continuous service are entitled to be made permanent and are also entitled to get leave, casual leave and other benefits as admissible to the perma-

(श्री श्रम मंत्री)

nent employees ? if so, from what date ?

(ii) Whether the demand of the Union to condone the break of Provident Fund benefits to the workmen in Coal Gang is justified ? If so, how it should be regularised ?

3. Whether the termination of services of Shri S D Menon by Shri Gurudutt Singh Jhans, Coal contractor, A.C.C. Lakheri was legal and/or justified ? If not, to what relief he is entitled.

4. Whether the workers other than those declared permanent employed in the Coal gang of the A.C.C. Ltd., Lakheri through their contractor are entitled to holiday or wages in lieu there of for 28th May and 8th June, 1964 falling on the day of demise and Sharad-day of late Prime Minister, Shri Jawahar Lal Nehru, as allowed to rest of the workers of the Company and the contractor ?"

१८ वर्कर्स की लिस्ट

१. गोपाल काना १०५
२. रामचन्द्र गोपाल १५०
३. छोटू नन्दा १४५
४. बद्री सूरजभान १०३
५. बरदा कजोड़ २४६
६. भंवरलाल मांगे १८६
७. रामकलाण. धुलीलाल १६२
८. जमील आबिद हुसैन २१७
९. पांचू शिकमा १२८
१०. नैनवा ओंकार ३१०
११. रामचन्द्र आनन्दा २२७
१२. रामनारायण सुकाना २२१
१३. रामदेव पन्ना १६६
१४. मूलचन्द्र सोकरण ३४१
१५. बजरंग महावीर १८६
१६. हुक्मा परमा १५५
१७. माधो ओंकार १२६
१८. जगन्नाथ मोर १२१

पंचायत समितियों के अधीनस्थ पाठशालाओं का मूल्यांकन

३१३. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या पंचायत समितियों के अधीन प्राथमिक पाठशालाओं के सम्बन्ध में मूल्यांकन करने का कार्य राज्य मूल्यांकन विभाग द्वारा प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक समाप्त हो जावेगा ?

(२) क्या यह सही है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर में निरन्तर गिरावट आई है ? यदि हां, तो इसको रोकने की दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

(३) क्या यह सही है कि जब तक इस प्रकार का मूल्यांकन नहीं हो जाता तब तक माध्यमिक शिक्षा को जिला परिषदों के अधीन नहीं रखने का निर्णय सरकार ने ले लिया है ?

उत्तर

१. मूल्यांकन का कार्य सन् १९६३-६४ में किया गया था। इस विषय में मूल्यांकन का प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्राप्त हो गया है और वह विचाराधीन है।

२. जी नहीं।

३. जी नहीं।

आयुर्वेदिक औषधालय ग्राम चामुंडेरी

३१४. **श्री मोहनराज** (बाली) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या ग्राम चामुंडेरी (जिला पाली) में स्थित आयुर्वेदिक औषधालय 'सी' श्रेणी का है ?

(२) क्या यह सही है कि ग्राम चामुंडेरी की आबादी ५००० के लगभग है और आसपास के ६ अन्य ग्रामों की करीब ६ हजार और आबादी भी उसी औषधालय से लाभ उठाती है ?

(३) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कुल ६००) रु० का बजट बिल्कुल अपर्याप्त है और औषधियों की कमी के कारण सैकड़ों बीमार बिना इलाज लौटते हैं ?

(४) क्या सरकार इस हेतु बजट में अधिक प्रावधान करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कितना ?

उत्तर

(१) जी हां ।

(२) 'जी हां । परन्तु यह सत्य नहीं है कि ६ अन्य ग्रामों की ६ हजार की आबादी वाले भी इसी ग्राम से चिकित्सा लाभ उठाते हैं । नाना में भी औषधालय चामुंडेरी से करीब ५ मील की दूरी पर है।

(३) व (४) 'सी' श्रेणी के औषधालय के लिये बजट में ६००) रु० स्वीकृत हैं, परन्तु आवश्यकतानुसार मांग होने पर अधिक धन राशि की औषधि देने की व्यवस्था की जाती है । अतः बिना इलाज लौटने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

हायर सेकन्डरी स्कूल नागौर में विज्ञान की सीटें

३१५. **श्री गंगासिह राठोड** (जायल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(क) नागौर हायर सेकन्ड्री स्कूल में नवीं कक्षा में मैथेमेटिक्स-कम-साइन्स व बाइलौजी-कम-साइन्स की कितनी सिटें हैं ?

(ख) क्या यह सत्य है कि विद्यार्थियों को सीटें कम होने के कारण उनकी इच्छा के विषय नहीं मिल रहे हैं ?

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त विषय में सीटें बढाने के लिए प्रयत्नशील है ?

उत्तर

(क) हायर सेकन्डरी स्कूल नागौर की नवीं कक्षा में साइन्स कम मैथ्स की ४५ तथा साइन्स कम बाईलौजी की ४४ सीटें हैं।

(ख) यह कहना ठीक नहीं प्रतीत होता । विज्ञान विषय को लेने वाले इच्छुक छात्र जो प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अंकों से ८वीं कक्षा पास करते हैं उन्हें प्रवेश साधारणतया मिल जाता है । विज्ञान के स्तर को बनाये रखने के लिये यह संभव नहीं है कि हर छात्र को चाहे वे कितने भी अंकों में पास हुये हों प्रवेश दे दिया जावें ।

(ग) वर्तमान कठिन परिस्थितियों में तथा विज्ञान अध्यापकों के उपलब्ध न होने के कारण सीटें बढ़ाना अभी सम्भव नहीं हो सकेगा ।

बन बावरी गोली—काण्ड की जांच

३१६. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) :

(१) क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) चूरू जिले में बन बावरी गोली कांड की जांच के लिये सरकार ने किस अधिकारी को कब नियुक्त किया है ?

(२) क्या जिस अधिकारी को नियुक्त किया गया उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ? यदि हां, तो उन्होंने इस गोली काण्ड में किये दोषी पाया ? कृपया रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जाय।

(श्री गृह मंत्री)

उत्तर

१. चूरू में वन व्यापारियों द्वारा पुलिस पर गोली चलाने पर पुलिस को आत्म-रक्षा के लिए जो गोली चलानी पड़ी उस घटना की जांच के लिए सरकार ने सहायक कलेक्टर व मजिस्ट्रेट चूरू को दिनांक २७-७-६४ को नियुक्त किया।

२. जी हां। इन बावरियों व पुलिस की मुठभेड़ संबंधी ऊपर बताई गई घटना की जांच किये जाने पर पुलिस को दोषी नहीं पाया गया।

किसान छात्रावास, सांचोर

३१७. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि सांचोर में सार्वजनिक किसान छात्रावास काफी वर्षों से चल रहा है ? अगर हां, तो उसको राजकीय सहायता किस वर्ष तक कितनी धनराशि की दी गई थी और वह सहायता कब और क्यों बन्द की गई थी ?

(२) क्या यह सत्य है कि अब सांचोर किसान छात्रावास का राज्य सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है ? अगर हां, तो छात्रावास को सरकारी सहायता अब कब तक दे दी जावेगी ? वह सहायता क्या पिछले खर्चों के आधार पर दी जावेगी ? अगर नहीं, तो किस आधार पर दी जावेगी ?

(३) क्या सरकार उपरोक्त छात्रावास को जिस वर्ष से अनुदान बन्द किया गया था उस वर्ष से आज तक का एरियर वास्तविक खर्चों के आधार पर देना उपयुक्त समझेगी ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(४) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त छात्रावास इस वक्त जीर्ण शीर्ण अवस्था में है ? क्या यह भी सत्य है कि ऐसे टूटे-फूटे भवन में भी अभी बहुत अधिक विद्यार्थी मजबूरी की हालात में रहते हैं ? अगर हां, तो अब कुल कितने छात्र छात्रावास में हैं ? क्या सरकार छात्रावास भवन की, शिक्षा विभाग में विशेष धनराशि मंजूर कर मरम्मत शीघ्र कराना उपयुक्त समझेगी ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

१. यह सत्य है। किसान सार्वजनिक छात्रावास सांचोर को राजकीय सहायता सन् १९५७-५८ तक २६०) रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से दी जाती थी। परन्तु यह छात्रावास रजिस्टर्ड व मान्यता प्राप्त नहीं था अतः ५८-५९ से राजकीय सहायता बंद कर दी गई।

२. सत्य है। मान्यता विभाग द्वारा नहीं दी गई क्योंकि मान्यता प्राप्त करने के लिए छात्रावास से कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

३. यह सम्भव नहीं हो सकेगा। क्योंकि जब तक कोई संस्था मान्यता प्राप्त सूची में न आजावे ग्रान्ट-इन-एड के रूल्स के अनुसार उसे सहायता नहीं दी जा सकती और वह भी मान्यता प्राप्त होने पर ही दी जाती है।

४. जी हां। मौजूदा छात्रों की संख्या ८६ है। छात्रावास की मरम्मत आदि पर धनराशि सरकार द्वारा तभी स्वीकृत की जा सकती है जब छात्रावास मान्यता प्राप्त व सहायता प्राप्त कर लेवें।

जिला टोंक की पंचायत समिति के अध्यापकों को सिलेक्शन ग्रेड

३१८. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जिला टोंक की पंचायत समितियों के अध्यापकों को जो करीब २० सालों से पहिले शिक्षा विभाग में व २ अक्टूबर, १९५९ से पंचायत समितियों

(श्री जयनारायण सालोदिया)
में कार्य कर रहे हैं, वरिष्ठता सूची के आधार पर शिक्षा निरीक्षक करौली के आदेश-पत्र सं. ३६२६०-३८२, दिनांक ४-६-६५ ई० के द्वारा सिलेक्शन ग्रेड दी गई थी ?

(२) क्या यह भी सच है कि उक्त ग्रेड को प्राप्त करने की सूचना संबंधित अध्यापकों को दे दी गई थी पर फिर दूसरा आदेश सं० ४२५३०-५६, दि० ३०-६-६५ के द्वारा पंचायत समितियां में कार्य कर रहे अध्यापकों को सिलेक्शन ग्रेड नहीं दिये जाने की सूचना दे दी गई ? यदि हां, तो शिक्षा विभाग व पंचायत समिति के अध्यापकों में भेद क्यों किया गया है ?

(३) क्या यह सही है कि सरकार की यह नीति है कि वरिष्ठता व योग्यता के आधार पर ही सिलेक्शन ग्रेड दिया जाय ?

उत्तर

१. जिला टोंक की पंचायत समितियों के कुछ अध्यापकों को सिलेक्शन ग्रेड निरीक्षक द्वारा दी गई है।

२. यह भी सत्य है कि बाद में यह आज्ञा निरस्त कर दी गई क्योंकि १-६-६१ को वेतन श्रृंखला में सिलेक्शन ग्रेड देने के बारे में जो पदों की स्ट्रेन्थ थी उसमें पंचायत समितियों के पदों की स्ट्रेन्थ सम्मिलित नहीं थी। पंचायत समिति के अध्यापक पंचायत समिति सर्विसेज में सम्मिलित किये जाते हैं अतः इनका काडर शिक्षा विभाग के अध्यापकों से पृथक् है पंचायत समिति व विभाग में सिलेक्शन ग्रेड देने के नियम एक ही हैं और इसमें कोई भेद-भाव नहीं है। परन्तु पंचायत समितियों में ग्रेड देना विकास विभाग के अधीन है अतः यह मामला विकास विभाग द्वारा तय होना है।

३. यह सत्य है कि तृतीय वेतन श्रृंखला में सिलेक्शन ग्रेड पाने के लिये शिक्षक का मैट्रिक व प्रशिक्षित होना आवश्यक है।

स्थगित प्रश्न

३०-९-६५

मंडोर को देवताओं की गेलेरी में चित्र उतारने की अनुमति

२०८. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) दिनांक १०-३-६५ को सदन में जो 'vogue' अमेरिकन मेगजीन श्री मानसिंह महार द्वारा प्रस्तुत की गई थी और जिसमें जोधपुर के मंडोर के देवताओं की गेलेरी में देवताओं के साथ स्त्रियों के अशोभनीय चित्र छपे हुये थे, क्या उसके सम्बन्ध में सरकार ने इसकी जांच की है कि किसने ऐसे चित्र उतारे तथा किसकी अनुमति से ?

(२) क्या यह भी सही है कि वहां के चित्र लेना निषिद्ध है ?

उत्तर

१. 'वोग' नामक पत्रिका में कुछ चित्र छपे हैं जिसमें से कुछ जोधपुर (मन्डोर) के देवताओं के गेलेरी के भी थे। यह चित्र श्री हेनरी क्लार्क द्वारा खींचे जाना 'वोग' मेगजीन से प्रतीत होता है जिसके लिये किसी की भी अनुमति नहीं ली थी।

२. जी नहीं।

स्थगित प्रश्न

१-१०-१९६५

भूतपूर्व राजाओं से प्राप्त राज्य सरकार की आगरा में सम्पत्ति

२४१. **श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा):** क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य सरकार की आगरा में कितनी सम्पत्ति थी जो भूतपूर्व राजाओं द्वारा सरकार को प्राप्त हुई थी ? इस सम्पत्ति की अनुमानित लागत सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री उमरावसिंह ढ़ाबरिया)

(२) क्या यह सही है कि इस सम्पत्ति में से कुछ सम्पत्ति को राज्य सरकार ने बेचा ? यदि हां, तो कौनसी सम्पत्ति कितने में ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या सरकार और भी सम्पत्ति को बेचना चाहती है ?

उत्तर

प्रश्न स्थगित हुआ

स्थगित प्रश्न

१-१०-६५

किराये के भवनों में राजकीय विभागों के कार्यालय

२५५. श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जयपुर में कितने और कौन कौन से राजकीय विभाग किराये के निजी भवनों में हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) इन विभागों को प्रति वर्ष कुल कितनी रकम किराये के रूप में चुकानी पड़ती है ?

(३) किराये के ऐसे मकानों में कितने मकान राजकीय कर्मचारियों के हैं ?

(४) इन मकानों के मालिक कौन कौन राजकीय कर्मचारी सरकारी भवनों का उपयोग कर रहे हैं ?

(५) क्या इन अधिकारियों ने मकान बनाने के लिए राज्य सरकार से ऋण प्राप्त किया था ?

(६) क्या राजकीय ऋण इस शर्त पर दिया गया था कि ये भवन निजी उपयोग के लिये बनाये जायेंगे, और क्या इनका किराये पर दिया जाना नियम विरुद्ध है ?

उत्तर

सरकारसे उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

स्थगित प्रश्न

१-१०-१९६५

भूतपूर्व राजाओं से प्राप्त राज्य सरकार को इलाहाबाद में सम्पति

२५८. श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा): क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य सरकार की इलाहाबाद में कौन २ सी सम्पत्ति थी जो सरकार को भूतपूर्व राजाओं से प्राप्त हुई थी ? इन सम्पत्तियों की अनुमानित लागत सहित सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(२) राज्य सरकार को किस किस वर्ष इन सम्पत्तियों से कितनी कितनी आमदनी हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सही है कि इन सम्पत्तियों में से कुछ को बेच दिया गया है ? यदि हां, तो कौन कौन सी सम्पत्ति कितने कितने रुपयों में बेची गई ? इनको बेचने का क्या कारण था ?

उत्तर

(प्रश्न स्थगित हुआ)

ख

स्कम्भ सं.	पंक्ति सं.	अशुद्धि	शुद्धि
२४०६	१६	सकता।	सकता है।
२४१७	अन्तिम से १३	स्प ट	स्पष्ट
२४१६	६	भाव	भाव
२४२८	अन्तिम से ११	भा	भी
२४३०	१८	होडिग	होडिंग
२४३२	८	हेरेश	हेरस
,,	अन्तिम से १३	प्रक्योर	प्रोक्योर
२४३४	१०	जी	जो
२४४२	१	लाइसेन्सिग	लाइसेंसिग
२४५२	६	पलेबिसाइट	प्लेबिसाइट
२४६१	अन्तिम से ६	अत्रकरण	अनुकरण
२४७२	अन्तिम	हो सकें,	हो सके
२४७४	१३	वहां इर्रिगेट	वहां इर्रिगेटेड
,,	२५	हम प्रक्योर	हम प्रोक्योर
२४७६	अन्तिम से ६	उपाध्यक्ष महोदय	उपाध्यक्ष महोदय,
२४८६	२०	हम अपमें	हम अपने
२४६१	अन्तिम से ३	कि देईमानी	कि बेइमानी
२४६२	१३	नहीं सोना	नहीं होना
२४६७	अन्तिम	जनला के	जनता के
२४६८	८	मामलें ने	मामले में
,,	अन्तिम से ११	श्री सभापती	श्री सभापति
२५००	२१	**बिम्नोई**	**बिश्नोई**
२५०१	अन्तिम से ६	श्री योजेन्द्र नांथ	श्री योगेन्द्रनाथ
२५०३	१–२	मंत्रो जी।	मंत्री जी ?
,,	३	चाहते हैं।	चाहते हैं ?
२५०४	अन्तिम	कुछ स्त्रस्थ	कुछ स्वस्थ
२५०८	प्रथम	**श्री नथूराम**	**श्री नाथूराम**
,,	१०	**श्री हरीप्रसाद**	**श्री हरिप्रसाद**
,,	१६	privilage	privilege
,,	अन्तिम	हवीट के	व्हीट के
२५०६	१६	थिरोध करते	विरोध करते
२५१६	१०	o har ncidental	other incidental
२५२१	३	सिटे हैं	सीटें हैं
,,	अन्तिम से २	में किये	में किसे

४५४७

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक ८ अक्टूबर, १९६५)

स्कम्भ सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
२२९५	२	१० वां दिवस	१९ वां दिवस
२२९६			
२२९५	३	शक्रवार	शुक्रवार
२२९७	२	नें स्पेसिफीक	ने स्पेसिफिक
२३००	१२	सलेक्टिव	सिलेक्टिव
२३०१	अन्तिम से ४	में निजि	में निजी
२३२२	५	, ग्ठह	गृह
२३२३	शीर्ष	(रामानन्द अग्रवाल)	(श्री रामानन्द अग्रवाल)
,,	६	नेक्स्ट श्री	नेकस्ट, श्री
२३३५	१५	मंत्री सहकारी	मंत्री, सहकारी
,,	अन्तिम से २	उनकी ग्रपाइन्ट	उनकी अपोइन्ट
२३४३	अन्तिम से ५	२९५२८ ० का	२९५२८ रु० का
२३५१	४	सिद्ध होता कि	सिद्ध होता है कि
,,	६	डिटेन्श	डिटेन्शन
२३५५	१	प्रोर्डक्टव	प्रोडक्टिव
२३५७	अन्तिम से ६	(श्री नाथूराम मिर्धाः हमारी)	(श्री नाथूराम मिर्धा):हमारी
२३५९	,, ५	प्रोफ़ीटियरिंग	प्रोफीटियरिंग
२३६०	६	,,	,,
२३६३	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तरग्र	तारांकित प्रश्नोत्तर
२३६४	४	ढाबदिया	ढाबरिया
२३६५	अन्तिम से १२	. . .नियुक्ति	की नियुक्ति
२३६६	अन्तिम से ९	में	में
२३६७,	शीर्षक	प्रश्नोत्तरग्र	प्रश्नोत्तर
२३६९			
२३७८	३	अनुसचित	अनुसूचित
२३७९ से २४०७	शीर्षक	राज्य की खाद्य पर विचार विमर्श	राज्य की खाद्य स्थिति पर विचार-विमर्श
२३८४	अन्तिम से १४	खाद्यन्न	खाद्यान्न
२३९५	,, ६	ईस तरह	इस तरह
२४०१	,, १४	प्रासीक्युशन	प्रोसीक्युशन
२४०२	१०	समम	समय
२४०७ से २५१४	शीर्षक	राजकीय खाद्य-८ अक्टूबर, १९६५-विचार विमर्श	राज्य की खाद्य स्थिति-८ अक्टूबर, १९६५-पर विचार-विमर्श